लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला
Fourth Series

खंड 5, 1967 / 1889 (शक)
Volume (V), 1967/1889 (Saka)

[20 जून, 1967 से 3 जुलाई 1967 / 30 ज्येष्ठ 1889 से 12 आषाढ़ 1889 (शक)]
[June 20 to July 3, 1967/ Jyaistha 20 to Asatha 12, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)
(Volume (V) contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

4165

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 21 मंगलवार, 20 जून 1967 / 30 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
No. 21 Tuesday, June 20, 1967 / Jyaisth 30, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
602	कृषि उपज के मूल्यों सम्बन्धी नीति	Price Policy for Agricultural production ...	2665–2668
603	रुई विकास योजना	Cotton Development Scheme	2668–2671
604	राज्यों का खाद्यान्न का कोटा	Foodgrains quota of States	2672–2677
606	कमी वाले तथा अकालग्रस्त क्षेत्रों के निर्धारण की कसौटी	Criteria to determine scarcity and famine areas	2677–2679
607	केरल की चावल सम्बंधी आवश्यकता	Rice Requirement of Kerala	2679–2680
608	प्रोटीन से भरपूर आहार का उत्पादन	Production of Protein Rich Food	2680–2682
609	हिलटन होटल्स कारपोरेशन के सहयोग से होटलों की स्थापना	Hotels in Collaboration with Hilton Hotels Corporation	2682–2683

अल्प-सूचना श्न / S.N. Q.

15	चीनी मिलों द्वारा टिकिया वाली चीनी (क्यूब शूगर) का बनाया जाना	Sugar Mills Manufacturing Cube Sugar ...	2683–2687

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या / S. Q. Nos.

601	चीनी के उत्पादन में कमी	Shortage in Sugar Production	2687

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

605	विधान सभाओं, लोक सभा और राज्य-सभा में रिक्त स्थान	Seats Vacant in Legislative Assemblies Lok Sabha and Rajya Sabha	2688
610	दिल्ली के गोदामों में मानव उपभोग के अयोग्य दूध का पाऊडर	Unfit Milk Powder in Delhi Godowns ...	2688–2689
611	आन्ध्र प्रदेश द्वारा खाद्यान्न की सप्लाई	Food Supplies by Andhra Pradesh	2689
612	खाद्यान्नों के मूल्य	Foodgrains Prices	2689-2690
613	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34	National Highway No. 34	2690
614	केरल को खाद्यान्नों का संभरण	Foodgrains Supply to Kerala	2690–2691
615	किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण	Scientific training to Farmers	2691
616	बृहत बम्बई के निवासियों की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताएं	Food Requirements of People in Greater Bombay	2691–2692
617	आसाम के लिये गेहूं का कोटा	Wheat Quota for Assam — ...	2692
618	साधारण निर्वाचनों में मत डालना	Casting of votes in General Elections ...	2692–2693
619	दिल्ली हरियाणा और पंजाब को मिलाकर एक खाद्य क्षेत्र बनाना	Food Zone consisting of Delhi, Haryana and Punjab — ...	2693
620	नकदी फसलों का उत्पादन	Production of Cash Crops	2694
621	मालभाड़ा की दरों में वृद्धि	Increase in Freight Rates	2694–2695
622	राज्यों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों पर राज सहायता	Subsidy on Foodgrains to States	2695
623	पश्चिमी बंगाल के लिये खाद्यान्नों का नियतन	Allocation of Foodgrains to West Bengal ..	2695–2696

प्रश्नों के लिखित उत्तर – (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

624	बिहार में चीनी के कारखानों का बन्द होना	Closure of Sugar Factories in Bihar ...	2696
625	अमरीकी मडी में गेहूं की खरीद	Purchase of Wheat in US Market	2697
626	उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग	Sugar Industry in U. P.	2697–2698
627	ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण	Rural Credit Survey	2698
628	चोरी छिपे लाये हुए अनाज का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Foodgrains	2698–2699
629	अमरीका से खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains from USA	2699
630	सीलोन स्टेट एयरलाइन्स	Ceylon Airlines	2699–2700

अता. प्रश्न सं. / U. S. Q. Nos.

2951	कल्याण गेहूं के बीज	Kalayan Wheat Seeds	2700
2952	बड़ौदा के लिये विमान सेवायें	Air Services to Baroda	2700–2701
2953	बिहार सरकार का खाद्यान्नों का स्टाक	Stock of Foodgrains with Bihar Government	2701
2954	बिहार राज्य को बोरिंग मशीनों की सप्लाई	Supply of Boring Machine to Bihar State	2701–2702
2955	अलवर से भोपाल तक नया राष्ट्रीय राजपथ	Alwar-Bhopal New National Highway ..	2702
2956	आन्ध्र प्रदेश में चने की कमी	Scarcity of Grams in Andhra Pradesh ...	2702
2957	सेतुसमुद्रम परियोजना	Sethu Samudram Project	2702–2703
2958	पूर्वी घाट सड़क का निर्माण	Construction of East Coast Road	2703
2959	नागपुर स्थित मार्केटिंग एण्ड इन्सपेक्शन यूनिट	Marketing and Inspection Unit at Nagpur	2703–2704
2960	सोयाबीन से दुग्ध आहार तैयार करना	Milk Foods from Soya Bean	2704
2961	मारमोगाओ में जहाज बनाने का कारखाना	Shipyard at Marmagao	2704–2705

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

2963	गोआ तट पर छोटे पत्तन	Minor Ports on Goan Coast	2705
2964	गांवों में मृदुकोक की बिक्री	Sale of Soft Coke in Villages	5
2965	मछली पालने तथा पकड़ने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Centres for Rearing and Catching of Fish ..	2706
2966	पार्क स्ट्रीट कलकत्ता में पार्क होटल	Park Hotel at Park Street, Calcutta	2706
2967	भारत कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural Universities in India	2707
2968	जमाये गये (हाइड्रोजनेटेड) तेल की कमी	Shortage of Hydrogenated Oil ...	2707
2969	सार्वजनिक मालवाहक मोटरगाड़ियों के परमिटों के लिए जमानत की राशि	Security Deposit for Public Goods Carrier Permits	2708
2970	राजस्थान में खेती वाली भूमि	Land under Cultivation in Rajasthan ...	2708–2709
2971	चुनावों में अनुसूचित तरीकों का प्रयोग	Corrupt Practices used in Elections ...	2709
2972	चीनी की मिलों को गन्ने की सप्लाई	Supply of Sugarcane to Sugar Mills.. ..	2709
2973	भूमि का अर्जन	Acquisition of Agricultural Land	
2974	चीनी की बोरियों का पकड़ा जाना	Seizure of Sugar Bags ...	2710
2975	भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय को मद्रास से हटाकर दिल्ली लाना	Transfer of Head Quarters of Food Corporation of India from Madras to Delhi	2710–2711
2976	बिहार में सहकारी ऋण व्यवस्था	Co-operative Loan Arrangement in Bihar ..	2711
2977	उड़ीसा में सहकारी चीनी कारखाना	Cooperative Sugar Factory in Orissa ...	2711-2712

2978	रूपनारायण नदी पर पुल	Road Bridge on Rupnarain River	2721
2979	बीजों का आयात	Import of Seeds	2712–2713
2980	चारे की कमी के कारण दुधारु पशुओं की मृत्यु	Death of Milch Cattle for Want of Fodder ... —	2713
2981	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 और 31 को मिलाने के लिए राज मार्ग	Highway to Connect National Highway Nos. 34 and 31 — ...	2713
2982	अनाज का आयात	Import of Foodgrains	2714
2983	चम्बल नदी पर पुल	Bridge over River Chambal — ...	2714
2984	कोंकण तटीय स्टीमर सेवायें	Konkan Coastal Steamer Services	2714-2715
2985	उड़ीसा में भूमि संरक्षण	Soil Conservation in Orissa ... —	2715
2986	उड़ीसा में कृषि कालेज को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Agricultural College in Orissa	2715–2716
2987	उड़ीसा में सहकारी चीनी कारखाने	Cooperative Sugar Factories in Orissa ..	2716
2988	उड़ीसा में फलाइंग क्लब	Flying Clubs in Orissa	2716–2717
2989	चौथे साधारण निर्वाचन पर व्यय	Expenses on Fourth General Elections ...	2717
2990	राष्ट्रपतीय निर्वाचन पर व्यय	Expenses on Presidential Election	2717
2991	इंडियन एयरलाइन्स कार-पोरेशन की काबुल-श्रीनगर उद्घाटन उड़ान	I. A. C. Kabul-Srinagar Inaugural Flight	2717–2718
2992	दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से आगे यमुना नदी पर पुल	Bridge over Jamuna Beyond Humayun's Tomb, Delhi	2718
2993	हड्डियों, सींगों तथा खुरों से तैयार किया गया उर्वरक	Fertilizer Prepared from Bones, Horns and Hooves — —	2718–2719
2994	केरल में घटिया किस्म के चावल का निर्गम मूल्य	Issue Price of Coarse Rice in Kerala ...	2719

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2995	उत्तर प्रदेश से दालों के बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Pulses from U. P...	27 9
2996	देश में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों से आये हुये लोगों को फिर से बसाना	Rehabilitation of People from Famine Stricken Areas in the country	2719-2720
2997	केरल में मतस्यपालन उद्योग	Fishery Industry in Kerala	2720-2721
2998	उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन	Farm Out-put in U. P.	2721
2999	उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसन्धान परियोजनाएं	Agricultural Research Projects in U. P.	2721
3000	चीनी का उत्पादन	Production of Sugar	2722
3001	गन्ने की खेती	Sugarcane Cultivation	2722
3002	रसड़ा सहकारी चीनी मिल	Rasra Cooperative Sugar Mill	2723
3003	उड़ीसा में जोत वाली भूमि	Cultivated Land in Orissa	2723
3004	उड़ीसा के भूबन्धक बैंक	Land Mortgage Banks, Orissa	2723-2724
3005	सहकारी खेती	Cooperative Farming	2724
3006	बीजों तथा उर्वरकों के लिए अल्पकालिक ऋण	Short Term Loan for Seeds and Fertilizers	2724-2725
3007	प्रादेशिक मुर्गीपालन केन्द्र, भुवनेश्वर	Regional Poultry Farm Bhubaneswar	2725
3008	कलकत्ता स्थित पटसन विकास क्षेत्रीय कार्यालय	Regional Office, Jute Development, Calcutta	2725-2726
3009	भारत जर्मन पैकेज कार्यक्रम	Indo-German Package Programme	2726
3010	आगरे में ताज महल पर पुंज प्रकाश (फ्लड लाइट)	Flood Lights at Taj Mahal, Agra	2726

3011	अकाल ग्रस्त गांवों को अपनाना	A doption of Famine Stricken Villages ..	272
3012	पंचायती राज विधान तथा चुनाव	Panchayati Raj Legislation and Elections ..	2727
3013	त्रिवेन्द्रम स्थित टेपिओका अनुसन्धान केन्द्र	Tapioca Research Centre, Trivandrum ..	2727–2728
3014	केन्द्रीय पशुपालन फार्म	Central Cattle Breeding Farms	2728–5729
3015	अधिनियमों के हिन्दी साठ	Hindi Version of Acts	2729
3016	सहकारी आवास योजनाओं के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Cooperative Housing Schemes	2729
3017	प्रादेशिक खाद्य निदेशक	Regional Director of Food	2729–2730
3018	उड़ीसा में खेती का नया तरीका	New Agricultural Strategy in Orissa ..	2730–2731
3020	बीजों की आवश्यकता	Requirement of Seeds	2731–2732
3021	मध्य प्रदेश में सिंचित भूमि	Irrigated Area in Madhya Pradesh	2732–2733
3022	बिहार को ड्रिलिंग करने के बरमों की सप्लाई	Drilling Rig Machines Supply to Bihar ..	2733
3024	ग्वालियर में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centre at Gwalior	2733
3025	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नोभरक के रूप में काम करने वाले निकोबारी लोग	Ntcobarese working as Stevedores in Andaman and Nicobar	2733–2734
26	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी का भण्डार	Stock of Timber in Andaman and Nicobar Islands	2734
3027	भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, पूसा (बिहार) में कीटनाशक दवाइयों का गलत प्रयोग	Incorrect use of Pesticides at IAR Centre, Pusa (Bihar)	2735

3029	दिल्ली में चोरी छिपे लाया गया अनाज	Smuggled Foodgrains in Delhi	2735
3030	एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य से खाद्यान्नों की सीधी खरीद	Direct Purchase of Foodgrains by one State from another State	2735–2736
3031	गन्ने से चीनी निकालना	Extraction of Sugar from Sugarcane ..	2736
3032	राज्यों को अनाज के लिये राज सहायता	Food Subsidy to States	2736–2737
3033	पटना हवाई अड्डा	Patna Airport	2737
3034	मरुस्थल विकास बोर्ड	Desert Development Board	2737
3035	ऊद बिलाव पालन	Mink Farming	2738
3036	ब्रह्मपुत्र के रास्ते यातायात	Traffice through Brahmaputra	2738
3037	उत्तर प्रदेश के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central Grants to U. P.	2738–2739
3038	खाद्यान्नों के लिये केन्द्रीय गोदाम	Central Godowns for Foodgrains ...	2739
3039	जहाज भाड़ा और निर्यात सवर्द्धन	Shipping Freight and Export Promotion ...	2740
3040	उड़ीसा द्वारा पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई	Supply of Rice by Orissa to West Bengal ..	2740
3041	राष्ट्रीय सहकारी कालेज तथा अनुसंधान संस्था, पूना	National Cooperative College and Research Institute, Poona	2741
3042	बिहार में चीनी मिल	Sugar Mills in Bihar	2741
3043	गैर सरकारी फेरी वालों को दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बिक्री	Sale of DMS Milk to Private Vendors ..	2741–2742
3044	राजस्थान का रेगिस्तान	Desert in Rajasthan	2742
3045	कृषि पदार्थ मूल्य आयोग का प्रतिवेदन	Report of Agricultural Prices Commission ..	2742

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
3046	कमालपुर (मैसूर राज्य) में चीनी का कारखाना	Sugar Factory at Kamalpur, (Mysore State)	2743
3047	पश्चिमी रेलवे के भोजन व्यवस्था विभाग के लिये राशन का कोटा	Ration quota to Western Railway Catering Department ... —	2743
3048	जापान से चावल मिलों का आयात	Rice Mills from Japan	2743–2744
3049	यूरोपीय सांझा बाजार में चीनी का मूल्य	Price of Sugar in European Common Market	2744–2745
3050	यंत्रीकृत कृषि फार्म	Mechanised Agricultural Farms	2745
3051	आसाम में देरगांव सहकारी चीनी मिल में चीनी का खराब हो जाना	Wastage of Sugar in Dergaon Co-operative Sugar Mill in Assam	2745
3052	दिल्ली गोहाटी विमान सेवाएं	Delhi-Gauhati Air Services	2746
3053	खाद्यान्नों के आयात का भाड़ा	Freight for Food Imports	2746
3054	पश्चिम बंगाल के लिये भेजे गये अनाज का विशाखापटनम में उतारा जाना	Unloading of Foodgrains for West Bengal at Visakhapatnam	2746–2747
3055	दिल्ली में अन्तर्राज्यीय रोडवेज के टिकटों का काले बाजार में बिकना	Black-marketing of Tickets for Inter State Roadways at Delhi	2747
056	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये नये विमान खरीदने के बारे में 'लाल समिति' और शंकर दल की सिफारिशें	Recommendation of Lal Committee and Shanker Team for Purchase of New Aircraft for I. A. C. — ...	2747–274

अता प्र सख्या / U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
3057 उर्वरक ऋण समिति	Fertilizer Credit Committee	2748
3058 चीनी मिलों में लाभ की मात्रा	Margin of Profit in Sugar Mills	2748
3059 मनीपुर को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Manipur	2749
3060 रूसी ट्रैक्टर	Russian Tractors	2749
3061 फोर्ड मोटर कम्पनी द्वारा ट्रैक्टरों की बिक्री	Sale of Tractors by Ford Motor Company...	2749–2750
3062 डबल रोटी तैयार करने के लिये गेहूं का छिलका उतारना	Removal of Bran from Wheat for Preparation of Bread	2750
3063 चावल की बिक्री	Sale of Rice	2750
3064 होटल उद्योग के लिए सहायता	Aid for Hotel Industry	2751
3065 राजधानी में एक से अधिक अधिकृत राशन की दुकानों से राशन लेना	Drawing of Ration from more than one A. R. D. in the Capital	2751
3066 मध्य प्रदेश में कृषि अनुसन्धान परियोजनायें	Agricultural Research Projects in Madhya Pradesh	2751–2752
3067 मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भण्डागार	Central Warehouses in M. P.	2752
3068 मध्य प्रदेश में बागवानी तथा पशुपालन का विकास	Development of Horticulture and Animal Husbandry in Madhya Pradesh	2 52–2753
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	2753
एजल नगर में सशस्त्र मिजो विद्रोहियों द्वारा सरकारी अधिकारियों की हत्या करने और उनका अपहरण करने के समाचार	Reported Killing and kidnapping of Government Officials by armed Mizo Rebels in Aijal Town	2753

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.- Contd

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	Shri Yashwant Singh Kushwah	2753
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	2753
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	2758
केन्द्रीय मंत्रियों पर आरोपों के बारे में वक्तव्य	Statements Re. Allegations against Certain Central Ministers	2759
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	2761
पारपत्र विधेयक–जारी	Passports Bills–Contd.	2768–2774
खण्ड 11 से 27 तथा 1	Clauses 11 to 27 and 1	2773
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	2773
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	2773
श्री च. सु. देसाई	Shri C. C. Desai	2773
श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	2773
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	2773
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	2773
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	2774
अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1967–68	Demands for Grants (Railways) 1967–68 ..	2774
श्री चित्ति बाबू	Shri C. Chittyababu	2775
श्री प्र. न. सोंलकी	Shri P. N. Solanki	2777
श्री द्वा. ना. तिवारी	Shri D. N. Tiwary	2778
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	2779
श्री बृजभूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal	2780
चीन द्वारा अपने राजनयिक कर्मचारियों को वापिस ले जाने के लिये एक विमान भेजने के प्रस्ताव का समाचार	Reported Chinese Proposal to send an Aircraft to evacuate their Diplomatic Personnel	2777
कार्य मन्त्रणा समिति	Business Advisory Committee	2810
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	2810

लोक-सभा वाद-विवाद का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

मंगलवार 20 जून, 1967 । 30 ज्येष्ठ , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
2666	पंक्ति 7 में `श्री अन्नासाहिब शिन्दे ` के स्थान पर `खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे ) `पढ़िये ।
2679	पंक्ति 28 में `श्री अन्ना साहिब शिन्दे `के स्थान पर `खाद्य कृषि , सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे ) `पढ़िये ।
2681	पंक्ति 28 में `श्री अन्ना साहिब शिन्दे ` के स्थान पर `खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे ) `पढ़िये ।
2768	पंक्ति 16 के बाद `खण्ड - II - जारी`पढ़िये । पंक्ति 17 के बाद ` Clause -II--contdपढ़िये ।
2782	क टौती प्रस्ताव 18 के बाद - मांग संख्या 1 तथा प्रस्तावक का नाम श्री यशपाल सिंह के बीच में कटौती प्रस्ताव संख्या 19 पढ़िये , इसी प्रकार क.प्र.सं.21 के स्थान पर 20, 22 के स्थान पर 21, 23 के स्थान पर 22 और 25 के बीच में क.प्र.सं. 23 पढ़िये ।

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 20 जून, 1967/30 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
Tuesday, June 20, 1967/Jyaistha 30, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Price Policy for Agricultural Production

*602. **Shri Sidheshwar Prasad:**
Shri Ram Kishan Gupta:
Shri D. S. Patil:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken by Government to formulate an integrated price policy for agricultural production ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डा० एरिंग) (क) से (ग) सरकार द्वारा स्थापित किया गया कृषि मूल्य आयोग कृषि जिन्सों सम्बन्धी मूल्य नीति के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देते समय उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों और अर्थ-

व्यवस्था की आवश्यकताओं के बारे में एक सन्तुलित तथा समाकलित मूल्य ढांचे के विकास को ध्यान में रखता है।

Shri Sidheswar Prasad : I want to know the main factors taken into consideration by the Agricultural Prices Commission at the time of fixing the prices of agricultural products. Do they take into account the cost of production ? On what basis they determine prices ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम विभिन्न फसलों से सम्बन्धित उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हैं। खेती सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के आधार पर उत्पादन लागत निश्चित की जाती है और इसमें भिन्नता खेती में प्रयुक्त साधनों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण होती है।

Shri Sidheshwar Prasad : May I know whether it is not a fact that during the last few years there has been increase in the production of those goods which are not consumed by ordinary people and this have had no important place among the consumer goods, but these are sold at a higher rate in the market and as a result thereof there is going to be fall in production area of foodgrains and the production of non-essential goods has been increasing ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अब हमारा विचार वास्तव में प्रोत्साहन देने वाले मूल्य निश्चित करने का है। कृषि जिन्स मूल्य आयोग, जो सरकार को इन मामलों में सलाह देता है, ने अपने विचारार्थ विषयों के सम्बन्ध में बताया है कि मूल्य नीति और इससे सम्बन्धित बातों पर सिफारिश करते समय आयोग उत्पादकों को नये उन्नत वैज्ञानिक तरीके अपनाने और अधिकतम उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन देना है। दूसरे और तरीके भी हैं, जैसे भूमि तथा उत्पादन के दूसरे साधनों का उचित प्रकार से प्रयोग करने की आवश्यकता, मूल्य नीति का शेष अर्थव्यवस्था, मूल्यों के सामान्य स्तर, औद्योगिक लागत ढांचे इत्यादि पर उसका संभावित प्रभाव।

Shri Ram Kishan Gupta : I want to know whether Food-Grains Inquiry Committee have given any suggestion in this regard ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी, हां, खाद्यान्न नीति समिति ने भी अपनी सिफारिश में यह कहा है कि सर्व प्रथम सरकार को न्यूनतम मूल्य घोषित करने की नीति अपनानी चाहिये। मूल्यों के लिये राज-सहायता देनी चाहिये। इसके साथ साथ सरकार द्वारा नियत किये जाने वाले अनाज समाहार मूल्य उत्साहवर्धक होने चाहिये।

डा० रानेन सेन : यह तथ्य है कि उत्पादक, विशेषकर खाद्यान्न उत्पादक जब अपना माल बेचते हैं तो उन्हें निश्चित मूल्य मिलता है, परन्तु कुछ समय बाद जब खरीदी गई गेहूं बड़े व्यापारियों के गोदामो में जाती हैं तब मूल्य असाधारण तौर से बढ़ जाते हैं। गेहूं के बड़े व्यापारियों और दूसरे व्यक्तियों के इस दुराचार और खाद्यान्न की जमाखोरी को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। पहले यह सामान्य बात थी कि फसल की कटाई के बाद की अवधि में मूल्य घटा करते थे और बाद की अवधि में मूल्य बढ़ा करते थे और गैर-सरकारी व्यापारी जनता के आर्थिक जीवन से खिलवाड़ किया करते थे। इन सब पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार ने बहुत से उपाय अपनाये हैं, जिसमें खाद्य

निगम का स्थापित किया जाना भी शामिल है। हम यह चाहते हैं कि खाद्यान्न व्यापार अधिक से अधिक राजकीय क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाये। इसका केवल यही उपाय है।

Shri Bibhuti Mishra : Whether it is a fact that farmers are not members of the Agricultural Prices Commissions and those members do not understand the difficulties of farmers ? Whether Government are contemplating to appoint some peasants having experience of agriculture in the Agricultural Prices Commission and then prices may be fixed ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे पता है कि माननीय सदस्य इस बात पर बहुत समय से जोर दे रहे हैं। मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है। कृषि जिन्स मूल्य आयोग का गठन हो चुका है। नये सदस्यों की नियुक्ति करते समय इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the highest prices are fixed for the cotton produced by the agriculturists, and the restrictions are imposed but there is only 60% control on the cloth produced from cotton and the rest is free. Last time also Govt. increased the prices of cotton, but only after it had gone from the heads of the growers. Taking shortage of cotton into consideration whether the hon. Minister will raise the maximum prices of cotton just now so that the growers may get incentive they may try to produce more cotton ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : देश के सब भागों में काश्तकारों की इसी प्रकार की मांगें हैं। अभी पिछले दिनों मैं देश के अधिकतम रूई उत्पादक क्षेत्र में गया। वहां भी रूई के उत्पादकों ने यही मांग की। वास्तव में रूई के मूल्य वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निश्चित किये जाते हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, it has always been the trouble. I have raised this issue several times. The jurisdiction of Commerce Ministry has increased so much that it has created a problem. When we ask about tea and jute, we are told that it concerned Ministry of Commerce. Representatives of that Ministry should also be present in the House.

अध्यक्ष महोदय : मूल्यों के प्रश्न को वाणिज्य मंत्रालय को सौंप दिया जाना चाहिये। आपको कोई उपाय निकालना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : When it happens that a question relates to both the Ministries, both the Ministers should be present here. Govt. have no policy—Cotton does not come under agriculture ?

श्रीमती शारदा मुकर्जी : जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार चीनी के उत्पादन में चालू वर्ष के दौरान कमी हुई है। क्या मैं मंत्री महोदय से इसका कारण पूछ सकती हूँ ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस प्रश्न से यह अनुपूरक प्रश्न सम्बन्ध नहीं रखता।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्री कन्डप्पन: प्रत्येक राज्य में अनाज समाहार का मूल्य नियत किया जाता है, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने किसानों के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, विशेषकर उर्वरकों, श्रमिकों और बिजली पर होने वाले व्यय को स्थिर करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अनाज और व्यापारी फसलों के समाहार के लिये अधिकतम मूल्य निश्चित

करते समय ऐसे कदम उठायेगी जिनसे किसानों द्वारा उत्पादन के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु के मूल्य और न बढ़ें ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : कृषि जिन्स मूल्य आयोग एक विशेषज्ञ निकाय है और स्वभावत: वह न्यूनतम या खाद्यान्नों के समाहार मूल्यों की सिफारिश करते समय इन सब बातों को, जैसे खेती के काम में आने वाली चीजों के दाम बढ़ गये हैं, ध्यान में रखना चाहिये ।

श्री कन्डप्पन : खाद्यान्नों के मूल्य बहुत पहले ही नियत किये जा चुके हैं । इन मूल्यों के नियत किये जाने के पश्चात ऐसे उदाहरण मिले हैं कि खाद्य उत्पादन में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के दुगने, तिगने और चौगुने मूल्य बढ़े हैं । प्रश्न के इस पहलू का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है । इस पर उन्होंने विचार ही नहीं किया है ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मूल्यों के बढ़ने से उत्पादन-व्यय पर हुए प्रभाव पर विचार कर लिया गया है । अभी हाल ही में हमने एक स्थायी समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष....

श्री कन्डप्पन : मैं कोई समिति नहीं चाहता । इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय मंत्री को सुनें ।

श्री कन्डप्पन : क्या वह प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दे सकते । क्या वह यह कहना चाहते हैं कि खेती के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़े हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसे हमारे निर्वाह व्यय आंकने के आँकड़े होते हैं, उनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि निर्वाह व्यय में कितनी वृद्धि हुई है इत्यादि । इसी प्रकार हम कृषि की लागत के आंकड़े तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मेरे विचार से जब आँकड़े उपलब्ध होंगे तब उनके आधार पर कृषि मूल्यों की सिफारिश करना शायद सम्भव होगा ।

रूई विकास योजना

\+

* **603. श्री अ० क० गोपालन :** **श्री रमानी :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री पार्थसारथी :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रूई मिल संघ की रूई विकास योजना प्राप्त हुई है:

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना पर विचार कर लिया है; और

(ग) इसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डा० एरिंग) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : सांझी खेती के बहाने मिल मालिक कपास के उत्पादन क्षेत्र में प्रविष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या छोटे किसानों के हित की दृष्टि से सरकार को इस बात का पता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री : (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) माननीय सदस्य का यह कथन कि ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनियां रूई के उत्पादन में सम्भवत: प्रवेश करने का प्रयास कर रही हैं, ठीक नहीं है। ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों को कपास उत्पादन में प्रवेश करने की कोई अनुमति देने का सरकार का विचार नहीं है। रूई फैडरेशन द्वारा प्रस्तुत एक योजना है, जिसके अन्तर्गत, 1,50,000 एकड़ भूमि में सुनियोजित ढंग से उत्पादन करने के कदम उठाये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है और हमने यह सुझाव दिया है कि यदि रूई फैडरेशन यह चाहती है कि सुनियोजित ढंग से उत्पादन किया जाये तो उसके सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूई उत्पादन के लिए पौधे वितरण के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट में अमरीकी शिष्टमण्डल द्वारा दिये गये सुझाव का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि रूई उत्पादन करने वाली भूमि को खाद्यान्न उत्पादन करने के लिये प्रयोग में लाया जाना चाहिये। यदि यह सच है, तो समिति ने क्या सिफारिश की है ? क्या कोई अन्तिम निर्णय लेने से पहले सरकार इस रिपोर्ट पर विचार करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस प्रकार के सुझाव प्राय: प्राप्त होते रहते हैं कि रूई उगाने वाले क्षेत्रों को खाद्यन्न उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में बदला जाना चाहिये। हमार सूती कपड़े का उद्योग मुख्य उद्योग है और हम ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते, जिसके अनुसार हमें पूरी तरह रूई के आयात पर निर्भर रहना पड़े। इस प्रकार विभिन्न दलों द्वारा दिये गये सुझावों की जांच की जारही है परन्तु हमारे विचार से यह उचित होगा कि अपने ही देश में रूई का उत्पादन बढ़ाया जाये और अधिक भूमि में उत्पादन करने की बजाये प्रति एकड़ उत्पादन अधिक बढ़ाने पर जोर दिया जाये।

Shri Mani Bhai J. Patel : Will the hon. Minister be pleased to state the acreage or land under cotton cultivation ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : करीब २० करोड़ एकड़ भूमि में कपास की पैदावार होती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अमरीका के पोग आयोग के कथन और डा० सेन जो योजना आयोग में अतिरिक्त सचिव हैं, की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें कहा गया है कि हमें कपास का उत्पादन बन्द कर देना चाहिए। सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? क्या यह सच है कि डा० सेन समिति ने यह सिफारिश की है कि हमें कपास उगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप उस रिपोर्ट को प्रकाशित करवा रहे हैं, और यदि हां, तो कब ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम जो भी निर्णय लेंगे देश के हित को ध्यान में रखते हुए लेंगे। यदि मेरी जानकारी सही है तो डा० सेन ने यह सुझाव नहीं दिया है कि कपास के स्थान पर खाद्यान्न की पैदावार की जानी चाहिये। रिपोर्ट के प्रकाशन के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा।

Shri Sidheshwar Prasad : The Hon. Minister has just now mentioned that the per acre production of cotton in our country is low. I want to know the plan Government has prepared to increase its per acre production and what action has been taken in this regard?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मेरी जानकारी यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कपास का उत्पादन प्रति एकड़ लगभग 73 पौण्ड था इस समय यह 103 पौण्ड है। इसका अर्थ यह है कि कपास के उत्पादन में प्रति एकड़ 33%वृद्धि हुई है। भारत में सबसे अधिक कठिनाई यह है कि कपास का 80% उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है। बहुत कम प्रतिशत क्षेत्रों में सिंचाई योग्य भूमि है। पंजाब में, जहां अधिकतर क्षेत्र सिंचाई योग्य हैं वहां प्रति एकड़ उत्पादन बहुत अधिक है।

श्री सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या महाराष्ट्र और गुजरात कपास उत्पादक सहकारी समितियों से योजनाओं के विकास के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मेरी जानकारी में ऐसे कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि कोई सहकारी निकाय सुझाव भेजना चाहेगा तो उन पर ध्यान पूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या देश में पूर्णतः न केवल रूई का उत्पादन बढ़ाने बल्कि उसकी किस्म में भी सुधार करने की सरकार की योजना है ? ताकि हम विदेशों से रूई के आयात पर निर्भर न रहें। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रगति की है और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हमारी एक अखिल भारतीय समन्वय विकास योजना है। हमने वैज्ञानिकों से सलाह ली है। इस समस्या पर विचार करने के लिये हमने वैज्ञानिकों की एक समिति का गठन किया है। उन्हें आवश्यक वस्तुओं में सुधार करना चाहिये और इसके साथ साथ उत्तम बीज उपलब्ध करवाने के लिये कदम उठाने चाहिये। इसके लिये उत्तम व्यवस्था होनी चाहिये और पौधों की सुरक्षा के लिये उचित प्रबन्ध किये जाने चाहिये। देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये इस प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : Hon. Minister has told just now that the question of fixing of the prices of agricultural products is under consideration. I want to know whether the following things will be taken into consideration before fixing the prices :

1. There remains a relationship between the prices of foodgrains and cash crops.

2. There should be a balance between the prices of agricultural products and the goods produced by the factories.

3. There should not be sharp fluctuations prices of goods at the time of harvest and thereafter. Will these be taken into consideration ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वह शायद प्रश्न संख्या 602 के सम्बन्ध में कह रहे हैं; जिसके

विषय में पहले ही बताया जा चुका है । यह तो रूई मिल फैडरेशन की कपास सम्बन्धी विकास योजना है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं यह जानना चाहती हूँ कि कुछ देशों ने, जो भारत को रूई का आयात कर रहे हैं, यह सुझाव दिया है कि इस देश में कपास उत्पादन के क्षेत्र में कमी की जानी चाहिये, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैंने पहले ही कहा है कि देश में हमारा सूती उद्योग बहुत बड़ा है इसे ध्यान में रखते हुए हमारी कपास की पैदावार में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहती हूँ ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : अमरीका के समाचार पत्रों में कुछ ऐसी रिपोर्टें छपी हैं । परन्तु जैसा मैंने पहले कहा कि हम इस सम्बन्ध में किसी दूसरे के विचारों का अनुसरण नहीं करेंगे । इस सम्बन्ध में अपने देश के हितों का ध्यान रखेंगे ।

Shri Maharaj Singh Bharti : Rain is harmful for cotton crops. In case of less rain the quantity and quality of cotton would be better. But in case of drought, there would not be any cotton crops. Therefore, where there is good arrangement for irrigation and there is little rain, cotton crops would be in plenty and the quality would be good as is the case at the coast of the river Nil in Egypt. Taking all these things into consideration. I want to know whether the Govt. is taking any action to improve the cotton production in parts of Rajasthan, Punjab and Harayana and North-west area of our country, where, it rains less ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है पंजाब के कुछ इलाकों में कपास के मामले में बहुत प्रगति हुई है । राजस्थान में, राजस्थान नहर के इलाके कपास के विकास के लिये शायद बहुत उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं ।

श्री अ० वि० पाटिल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कपास के प्रति एकड़ उत्पादन में महाराष्ट्र में बहुत कमी हुई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : कपास के उत्पादन के अनुमान के अन्तिम आंकड़े हमारे पास नहीं हैं । ऐसे कुछ संकेत मिले हैं कि कपास के उत्पादन में कुछ कमी हुई है परन्तु जब तक अनुमान के अन्तिम आंकड़े प्राप्त न हो जायें मेरे विचार से किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether Government have compared the cost of production of the cotton produced in our country with the cost of production of cotton produced in those countries from where we import it ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री रामचन्द्र ज० अमीन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कपास उत्पादन के हमारे लक्ष्य में कमी होती जा रही है क्या सरकार ऐसी योजना बना रही है कि कपास के अधिकतम मूल्य नियत न कर न्यूनतम मूल्य नियत किये जायें, ताकि कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

राज्यों का खाद्यान्न का कोटा

+

*604. श्री भारत सिंह चौहान : श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री शारदा नन्द : डा० रानेन सेन :
श्री रणजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने विदेशों से खाद्यान्न का आयात संभवत: कम हो जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्यों के खाद्यान्न के कोटे में हाल में भारी कटौती करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितनी कटौती करने का विचार है और प्रत्येक राज्य का कोटा किस आधार पर कम किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डा० एरिंग) (क) और (ख) स्वेज नहर के बन्द हो जाने के परिणाम स्वरूप विदेशों से खाद्यान्न के आयात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकारों को चालू मास के महीने के कोटे के स्थान पर जो कोटा मिलने की सम्भावना है उसकी उन्हें सूचना दे दी गई है। उन्हें यह भी बता दिया गया है कि यदि महीने में आगे चलकर खाद्यान्नों की उपलब्धि में वृद्धि हुई तो स्थिति का पुर्नविलोकन किया जायेगा। प्रत्येक राज्य को सामन्यतया उन बन्दरगाहों से माल भेजने का प्रबन्ध किया जाता है जो उस राज्य को खाद्यान्न सप्लाई करने में सबसे उपयुक्त समझी जाती हैं।

इस सम्बन्ध में बन्दरगाह-वार उपलब्धि और विभिन्न राज्यों से सम्बन्ध रखने वाली आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इस समय प्रत्येक राज्य को सम्भावित भेजे जाने वाले अनाज की मात्रा बताना सम्भव नहीं है। प्रत्येक राज्य को भेजे जाने वाले अनाज की मात्रा में कटौती करना और सब बातों के अतिरिक्त बन्दरगाह-वार उपलब्धि और विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

Shri Bharat Singh Chauhan : Mr. Speaker, it is certain that the foodgrain expected to reach India from foreign countries would not come. Whether the Government have made some such arrangements so that the shortage of foodgrains in the deficit States may be met by supplying additional foodgrains ? Whether there is any scheme to fulfil that gap, because it is a serious problem ? Whether Govt. have prepared a list of those States who have got surplus foodgrains, so that the Centre on receiving foodgrains from those states may be able to meet the requirements of deficit States ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : स्वेज संकट से पूर्व हमें आशा थी कि 10·7 लाख टन खाद्यान्न हमें प्राप्त हो जायेगा। परन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप शायद जून के महीने में हमें 10·7 लाख टन खाद्यान्न के स्थान पर 7·2 लाख टन ही खाद्यान्न प्राप्त हो। हमने राज्य सरकारों को 8·5 लाख टन खाद्यान्न सप्लाई करने का वायदा किया है। अत: स्वभावत: सरकारों की आवश्यकता को पूरा करने में कुछ कठिनाइयां होंगी। इसीलिये मैंने अपने मुख्य उत्तर में यह बताया है कि राज्यों को देने वाले अनाज में कुछ कमी करनी पड़ेगी। परन्तु हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहां तक संकटग्रस्त क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उन पर बुरा प्रभाव न पड़े।

Shri Bharat Singh Chauhan : What I mean to say is whether you have prepared a list of the surplus States so that on procurement of foodgrains from them, the Centre may send it to scarcity areas ? Food situation is very grave at the moment, and that is why I want to know whether the Government have prepared some such scheme ?

श्री अन्ना सहिब शिन्दे : हम कुछ उन राज्यों से, जहां अनाज की अधिकता है, निवेदन कर रहे हैं कि वे अनाज वसूली का आन्दोलन तेज कर दें ताकि केन्द्र को अधिक मात्रा में अनाज प्राप्त हो सके।

Shri R. S. Vidyarthi : According to the estimates of the Minister, the foodgrains amounting to about 7 million tons or so only could be received due to the difficult situation arised in Suez Canal. May I know the quantity of foodgrains the Govt. intend to reduce in Delhi, because Delhi is a nonproducing area. Whether Government would prepare some ration scheme for the people of Delhi, so that the foodgrains from Haryana, Punjab and Uttar Pradesh may be allowed to come here ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मेरे आंकड़ों के अनुसार यह 7·2 लाख टन है 72 लाख टन नहीं। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूँ कि दिल्ली को दी जाने वाली अनाज की सप्लाई में कोई कमी नहीं की जायेगी।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बतलाया है कि स्वेज नहर के संकट के कारण राज्यों को दिये जाने वाले अनाज की मात्रा में कमी कर दी गई है। यह सर्वविदित है कि स्वेज संकट से पूर्व भी पश्चिम बंगाल को केन्द्र द्वारा 15 लाख टन गेहूँ कम सप्लाई किया गया था। इसके बाद फिर मई के प्रारम्भ में इसमें और कमी हुई। अब यह सर्वविदित तथ्य है कि पंजाब, हरियाना और उत्तर प्रदेश में गेहूँ की फ़सल बहुत अच्छी हुई है।

एक माननीय सदस्य : हरियाना में नहीं।

डा० रानेन सेन : हरियाना में शायद न हो, परन्तु पंजाब और उत्तर प्रदेश में है, जैसा कि समाचार पत्रों से विदित है।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें प्रश्न के विषय में चर्चा करनी चाहिये।

डा० रानेन सेन : चूंकि मंत्री महोदय ने स्वेज संकट का उल्लेख किया है अतः मैं उस सम्बन्ध में कह रहा हूँ बहुत से राज्यों में गेहूँ की खेती बहुत अच्छी हुई है। इसकी बजाये कि हम सम्बन्धित राज्य सरकारों पर, गेहूँ को वसूल करके कमी वाले राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल या बिहार को गेहूँ सप्लाई करने पर निर्भर रहें, भारत सरकार स्वेज संकट का बहाना न बनाकर तेजी से अधिक गेहूँ वसूल करने के लिये कदम क्यों नहीं उठाती ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं पहले पश्चिम बंगाल के प्रश्न का उल्लेख करूंगा और इसके बाद गेहूँ की प्राप्ति के प्रश्न को लूंगा। यद्यपि अनाज की उपलब्धि सीमित है और इसकी कठिनाई है फिर भी पश्चिम बंगाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने उसको दिये जाने वाले अनाज में कमी नहीं की है। जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है हम अधिक उत्पादन वाले राज्यों पर बराबर जोर डालते रहते हैं कि वे जिस मात्रा में भी बचा कर अनाज उपलब्ध हो सके, केन्द्रीय सरकार को दें। हम पंजाब से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं और उन्होंने केन्द्रीय भंडार को 2,25,000 टन अनाज देने का वायदा किया है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है माननीय

सदस्य को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग सूखे से बुरी तरह पीड़ित है और हम वहां कुछ मात्रा में अनाज भेज रहे हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशों से शीघ्र गेहूँ पहुंचने से बिहार के अकालग्रस्त क्षेत्रों को सप्लाई की जाने वाली गेहूँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया कि बिहार सरकार के काश्तकारों के पास जो अपना स्टाक है क्या उसमें से सब अनाज प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम बिहार सरकार को काफी मात्रा में माइलो सप्लाई कर रहे हैं। जहाजों के देर आने के परिणाम स्वरूप माइलो पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा 1,80,000 टन गेहूँ के स्थान पर हम 1,45,000 टन गेहूँ और 10,000 टन जौ पंजाब से दे सकेंगे। फिर भी बिहार को प्राप्त होने वाली खाद्य सहायता में कुछ कमी रहने की सम्भावना है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि बिहार सरकार ने राज्य में से अनाज हासिल करने के लिये हर सम्भव कदम उठाये हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं। कमी वाले राज्यों में अधिक उत्पादन करने वाले स्थान हैं और कमी वाले क्षेत्रों में भी किसानों के पास अधिक अनाज है। हम राज्य सरकारों को सलाह दे रहे हैं कि उन्हें पहले अपने राज्यों में ही अनाज प्राप्त करने का जोरदार प्रयत्न करना चाहिये।

Shri Raghuvir Singh Shastri : I want to know whether the people belonging to U.P. and Haryana, adjoining Delhi, who had foodgrain crops at their homes and who used to come to Delhi would be permitted to bring their requirement of foodgrains from their homes ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वर्तमान राशन नियंत्रण के अन्तर्गत यह अनुमति है कि यदि माननीय सदस्य दिल्ली प्रशासन को आवेदन करें तो दिल्ली प्रशासन उनके आवेदन को स्वीकृति देगा।

Shri Raghuvir Singh Shastri : We should be given the facility to bring foodgrain from outside Delhi.

श्री समर गुह : इस तथ्य को जानते हुए कि पश्चिम बंगाल में अनाज के लिये दंगे हुए हैं और बहुत से जिलों में बहुत से बाजार लटे गये हैं और हजारों भूखे लोग अनाज की खोज में पागलों की तरह एक घर से दूसरे घर में जारहे हैं और इन भूख से पीड़ित लोगों ने बहुत सी गाड़ियाँ रोकी हैं बकुरा और पुरनलिया जिलों में सूखे की स्थिति है और वहां लगभग 21 लाख लोगों को शीघ्र ही सहायता की आवश्यकता है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल के मामले पर विशेष ध्यान देगी और पश्चिम बंगाल को आंध्र, पंजाब और हरियाना की मंडियों से सीधे गेहूँ या चावल खरीदने की अनुमति देगी ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है मैं पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में उनकी चिन्ता जानता हूँ। इसलिये हमने पश्चिम बंगाल को दी

जाने वाली सप्लाई में कमी नहीं की थी, यद्यपि हमारी खाद्य स्थिति संतोषजनक नहीं है। जहां तक एक राज्य सरकार द्वारा गेहूँ के खरीदने का सम्बन्ध है, स्थिति के अनुसार इसका विचार किया जायेगा ? यदि अधिक खाद्य उत्पादन करने वाले राज्यों को जो मात्रा केन्द्र को सप्लाई करनी है, उसकी सप्लाई में बाधा नहीं पड़ी तो, पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर विचार किया जायेगा।

Shri Chandrika Prasad : Will the Hon. Minister be pleased to state the effect on the drought affected areas of Eastern U.P. as a result of cut effected in wheat supply ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार काफी मात्रा में अनाज प्राप्त करने में सफल रही है, जिसके लिये वह बधाई की पात्र है, मेरे विचार से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इसके परिणाम स्वरूप अब स्थिति गम्भीर नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा हम उन्हें कुछ गेहूँ दे रहे हैं यद्यपि इसमें कुछ कमी करके।

श्री हेम बरुआ : राष्ट्रपति नासिर ने कुछ दिन पूर्व अपने वक्तव्य से यह कहा था कि भारत को भेजे जाने वाले अनाज के लिये स्वेज नहर बन्द नहीं रहेगी। इससे अमरीका द्वारा भारत को भेजे गये अनाज के देरी से पहुंचने की हमारी अशंका समाप्त हो गई थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार इस आंशका पर दृढ़ रहेगी और विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले कोटे में कमी करेगी या वह अपनी नीति पर पुनर्विलोकन करेगी और विभिन्न राज्यों को पहले ही की तरह अनाज सप्लाई करेगी ? क्या स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण उसमें से अनाज के जहाज नहीं गुजर सकते और क्या सरकार इस बात का बहाना बनाना चाहती है क्योंकि राज्य सरकारों को अनाज सप्लाई न करने का यह आसान तरीका है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं मा० सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि हम इस बात की आड़ लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैंने तो सभा के समक्ष तथ्य रखे हैं।

सभा को इन बातों का पता रहना चाहिये। जहां तक स्वेज नहर के खुलने का सम्बन्ध है, हम संयुक्त अरब गण राज्य के पदाधिकारियों से लगातार सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं और जब भी स्वेज नहर से रास्ता मिलेगा हम उसका उपयोग करेंगे।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा निश्चित प्रश्न था। राष्ट्रपति नासिर ने कुछ दिन पूर्व विशेष रूप से कहा है कि भारत–अनाज ले जाने वाले जहाजों के लिये स्वेज नहर बन्द नहीं रहेगी और मेरा प्रश्न राष्ट्रपति नासिर के इसी वक्तव्य पर आधारित था।

श्री सोमचन्द सोलंकी : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार किन कारणोंवश गुजरात राज्य को नियमित तौर पर अनाज का पूरा कोटा नहीं देती है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : स्थिति सर्व विदित है हमारे पास सीमित अनाज उपलब्ध है। गुजरात और दूसरे सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में जो कठिनाइयां और मुसीबत हैं, उनकी जानकारी है। हम सबको संतुष्ट करने की स्थिति में नही हैं। हम यथासम्भव गुजरात सरकार की सहायता कर रहे हैं।

श्री वासदेवन नायर : इसी प्रकार मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं यद्यपि कठिनाइयां है किन्तु फिर भी केरल राज्य की ओर ध्यान दिया जायेगा । जहां तक मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर का सम्बन्ध है, मुझे इसमें विरोधाभास प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व संकट का उल्लेख करते समय भी उन्होंने कहा था कि जहां तक विभिन्न राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनाज की मात्रा में कटौती किये जाने का प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की एक बैठक बुलाऊंगा । परन्तु उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है और राज्य सरकारों को इसकी सूचना दे दी है । ये दोनों उत्तर किस प्रकार एक दूसरे से मेल खाते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने से पहले वह मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की बैठक बुला रहे हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : स्वेज संकट के परिणाम स्वरूप केरल की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । जहाँ तक मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की बैठक बुलाने की बात है, हम यथा शीघ्र बैठक बुलाने की बात सोच रहे हैं । अचानक ही संकट उत्पन्न हो गया और यदि हम राज्यों को इसकी सूचना नहीं देते तो उन्हें और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता । हम अब अच्छी तरह योजना बना सकते हैं । इन सब मामलों पर स्थायी समिति की बैठक में चर्चा की जायेगी ।

श्री लीलाधर कटकी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से फसल की अगली कटाई तक प्रति मास न्यूनतम 20,000 टन अनाज माँगा है ? क्या भारत सरकार ने आसाम सरकार को केवल 5,000 टन गेहूँ प्रति मास भेजने का निश्चय किया है और वह 5,000 टन गेहूँ भी अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है । यदि यह सच है, तो केन्द्रीय-सरकार आसाम राज्य को कितनी मात्रा में अन्न सप्लाई करना चाहती है ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम आसाम राज्य को 50,00 टन नहीं बल्कि 10,800 टन गेहूँ भेज रहे हैं । हम इस पर विचार कर रहे हैं, वह आसाम काफी दूर है और कुछ वहां यातायात की कठिनाइयाँ भी हैं ।

श्री हेम बरुआ : आसाम को अनाज न भेजे जाने का यह कोई तर्क नहीं हो सकता कि वह दूर है आप आसाम की इस प्रकार उपेक्षा नहीं कर सकते ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे दुख है कि मुझे गलत समझा गया । मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि वहां पर यातायात की कठिनाइयाँ हैं । हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि निर्दिष्ट मात्रा में अनाज आसाम राज्य को पहुँचाया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : आसाम राज्य के साथ भी दूसरे राज्यों के समान व्यवहार किया जायेगा ।

अन्ना साहिब शिन्दे : जी हाँ मैं माननीय सदस्य के विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा तरीका अपना रहा हूँ कि एक प्रश्न पर कुछ सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये पुकार रहा हूँ और दूसरे प्रश्न पर अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिये पुकार रहा हूँ। मैं कम से कम एक प्रश्न पूछने के लिये यथा सम्भव अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देना चाहता हूँ।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में खाद्य का संकट है और स्वेज नहर के बन्द हो जाने से यह संकट और बढ़ गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिये जो पहले पंजाब खाद्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते थे और अब इससे अलग होने पर अत्याधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं और जो अपनी आवश्यकता के लिये पर्याप्त अनाज उत्पन्न नहीं कर सकते, सरकार ने उनको अनाज देने के लिये क्या कदम उठाये हैं। दूसरे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में हमारे अनाज की भारी तस्करी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जिसके प्रति सरकार का ध्यान पहले ही आकर्षित कराया जा चुका है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जम्मू कश्मीर में अनाज के सम्बन्ध में की जा रही तस्करी के विषय में मुझे कोई सूचना मिली नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर सरकार से इस सम्बन्ध में पूछताछ करूँगा जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, उसको दिये जाने वाले कोटे में कोई कमी नहीं की गई है।

Shri Nitraj Singh Chaudhary : I want to know whether any reduction has been made in the quota alloted to Madhya Pradesh, and if so whether it has been supplied, taking into consideration the grave food situation prevailing there ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मध्य प्रदेश की गम्भीर खाद्य समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने वहां भेजे जाने वाले अनाज की मात्रा में कोई कमी नहीं की है।

कमी वाले तथा अकालग्रस्त क्षेत्रों के निर्धारण की कसौटी

\+
*606. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री मधु लिमये : **श्री स० मो० बनर्जी** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'अभाव' वाले, अत्यधिक 'अभाव' वाले और अकालग्रस्त क्षेत्रों के बीच का अन्तर स्पष्ट करने के लिये नई कसौटी निर्धारित की है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्धारित की गई कसौटी, जिसकी रूपरेखा भूतपूर्व खाद्य मंत्री ने तैयार की थी, समाप्त हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो नई कसौटी का आधार क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डा० एरिंग) : (क) और (ख) भारत में कोई दुर्भिक्ष संहिता नहीं है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कसौटी निर्धारित नहीं की गई है। संकट की तीनों दशाओं में अन्तर स्पष्ट करने की कसौटी निर्धारित करने का काम राज्य सरकारों का है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri George Fernandes : There are always famine conditions in India and a number of people die every year on account of it. But there is no famine code in India and that is why there is confrontation between the States and the Centre on this point. In these circumstances do the Govt. think it proper to lay down a famine code ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे :)

अकाल संहिता या अभाव की कसौटी निर्धारित करना राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है । सदस्य महोदय के प्रश्न को सुझाव के रूप में लिया जा सकता है ।

Shri George Fernandes : The new Govt. of Bihar had declared certain areas of the State as famine-affected areas and the Central Govt. had raised hue and cry in respect there to. The Centre had criticized the State Govt. for allegedly taking wrong steps. If there is no famine code for the whole of India, on what basis the Central Govt. has blamed the State Govt. like that ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : राज्य सरकार को पूरा हक है कि वह अपने राज्य के किसी भी क्षेत्र को अकालग्रस्त या अभावग्रस्त घोषित कर सकती है । फिर भी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को परामर्श दे सकती है और इस परामर्श को मानना राज्य सरकारों के लिये अनिवार्य नहीं होता । हमारा विचार था कि अकाल की स्थिति घोषित करने से पूरे देश में मूल्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और बिहार सरकार को अधिक आर्थिक सहायता भी नहीं मिलेगी । इसीलिये बिहार सरकार को यह परामर्श दिया गया था कि वह अकाल की स्थिति घोषित न करे ।

Shri Ramanand Shastri : May I know whether the Central Govt. are aware of the amendments made by the Bihar State Govt. in their famine code and if so, the details thereof ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि बिहार सरकार ने अपनी दुर्भिक्ष संहिता में संशोधन किया है । दूसरे, भारत सरकार ने पूरे देश के लिये कोई दुर्भिक्ष संहिता नहीं बना रखी है ।

Shri Chandra Jeet Yadav : It is in the jurisidiction of States to lay down the famine code and they can declare any area of their State as famine affected area. The existing famine code of States are too old to be properly applicable in the present circumstances. In view of all this do the Govt. intend to present a uniform famine code before the Food Ministers' conference going to be held recently, so that a uniform code for famine or scarcity should be followed by all the States of the country ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह एक कार्यवाही का सुझाव है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Some areas of Bihar State have been declared famine-affected areas while areas of Madhya Pradesh equally affected by the famine have not been declared affected areas. It is due to the different criteria regarding scarcity, acute scarcity famine andfollowed by the different States. Do the Govt. propose to lay down a uniform definitions of scarcity and famine etc. ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : ये सब सुझाव मात्र हैं । यह राज्यों का विषय है ।

Shri Ram Sewak Yadav : He may kindly tell about various criteria ?

अध्यक्ष महोदय : उनके पास इसका उत्तर नहीं है।

श्री राम किशन : हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अत्यधिक अभावग्रस्त घोषित किया गया है। क्या हिमाचल प्रदेश को इसके लिये कोई सहायता दी जा रही है। यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हिमाचल प्रदेश को लगभग 6000 टन अनाज दिया जा रहा है। यद्यपि हम अभाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, किन्तु फिर भी हिमाचल प्रदेश को दी जाने वाली अनाज की मात्रा में कटौती नहीं की गई है। जो राज्य अभावग्रस्त होता है उसे सर्वप्रथम सामान्य मात्रा में अनाज दिया जाता है। उसी आधार पर हिमाचल प्रदेश को भी सहायता दी जा सकती है।

केरल की चावल संबंधी आवश्यकता

+

*607. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री म० सुदर्शनम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया है कि यदि केन्द्र पर्याप्त मात्रा में चावल की सप्लाई करने में असमर्थ है, तो केरल को चावल का आयात करने के लिये उसके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा में से कुछ विदेशी मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डा० एरिंग)

(क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : समाचार पत्रों में भी ऐसा समाचार छपा था और बहस का उत्तर देते हुए खाद्य मंत्री ने भी इस सभा में कहा था कि सरकार चावल सप्लाई के उन स्रोतों से लाभ उठायेगी जिनके बारे में केरल के मुख्य मंत्री ने संकेत दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इससे इन्कार कर चुके हैं कि केरल के मुख्य मंत्री ने कोई सुझाव दिया है।

श्री सेझियान : माननीय सदस्य ने खाद्य मंत्री द्वारा इस सभा में दिये गये वक्तव्य का उल्लेख किया है। अतः सरकार को उस वक्तव्य से अवगत होना चाहिये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कुछ समय पहले केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में केरल सरकार को पत्र लिखा था। उसके उत्तर में राज्य सरकार ने जो तार भेजा था, उसका मूल पाठ इस प्रकार है :

"केरल के मुख्य मंत्री ने कई बार यह कहा है कि सरकार केन्द्रीय सरकार से अनाज की मांग करके दान नहीं मांग रही है। हम कठिन परिश्रम करके बहुमूल्य फसलें उगाते हैं

जिनसे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। यदि केरल राज्य स्वतंत्र होता तो वह उस विदेशी मुद्रा का उपयोग विदेशों से अनाज मंगाने में कर सकता था। परन्तु चूंकि वह भारत का अंग है और चूंकि आयात और निर्यात केन्द्र का विषय है, इसलिये यह केन्द्र की जिम्मेदारी है कि वह राज्य को पर्याप्त मात्रा में अनाज दे।"

इसके उत्तर में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि वह सरकार सीधे अनाज का आयात करना चाहती है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या केरल सरकार ने केन्द्र को कभी ऐसा सुझाव दिया था या अपने भाषणों में ऐसा संकेत दिया था कि केरल को कहां-कहां से चावल मिल सकता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं मूल प्रश्न के उत्तर में ही इसका उत्तर दे चुका हूं। यदि किसी राज्य सरकार से सुझाव आता है तो उस पर विचार किया जाता है।

प्रोटीन से भरपूर आहार का उत्पादन

+
*608. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकालग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिये प्रोटीन से भरपूर एक अपरिष्कृत आहार तैयार करने के लिए एक नई परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस आहार में क्या क्या मूल तत्व होंगे;

(ग) इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना धन व्यय होगा; और

(घ) यह परियोजना कब पूरी हो जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डा० एरिंग) : (क) केन्द्र ने (1) बालाहार और (2) मिश्रित आटा ये दो प्रोटीन-प्रधान खाद्य-पदार्थ बनाने की दो अग्रिम परियोजनाओं को आरम्भ किया है।

(ख) बालाहार में प्रोसैस किया हुआ गेहूं या मक्का या मूंगफली का आटा, बंगाली चने का आटा या दुग्ध चूर्ण शामिल होता है और उसमें विटामिन या खनिज भी होते हैं। मिश्रित आटे में आटा टेपिओका का आटा और मूंगफली का आटा सम्मिलित होता है।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

बालाहार : बालाहार बनाने की अग्रिम योजना सरकार द्वारा बम्बई में शुरू की गयी है, जिसकी प्रति दिन 10 टन खाद्य पदार्थ बनाने की क्षमता है। इसमें 65 प्रतिशत आटा, 25 प्रतिशत मूंगफली का आटा और 10 प्रतिशत बंगाली चने का आटा तथा विटामिन और खनिज भी होते हैं। प्रयोगात्मक उत्पादन छः महीने तक किया जायेगा और इस अवधि में लगभग 1500 टन बालाहार का उत्पादन होगा। उत्पाद की उत्पादन लागत लगभग 1000 रुपये

प्रति टन आयेगी। यह आहार बिहार को 950 रुपये प्रति टन के हिसाब से दिया जा रहा है। उत्पादन शुरू हो चुका है और बिहार को माल भेजा जाना शुरू हो चुका है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने बालाहार का उत्पादन भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से करना शुरू किया है, जिसे इस कार्य के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेन्सी (यू० एस० ए० आई० डी०) सहायता देगी। इस कार्यक्रम के अधीन 72,000 टन आहार के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 70 प्रतिशत मक्का का आटा जो अमरीका द्वारा उपहार-स्वरूप दिया जाता है, अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेन्सी द्वारा वित्तपोषित 25 प्रतिशत प्रोटीन–प्रधान मूंगफली का आटा, उपहार-भण्डार से लिया गया 5 प्रतिशत दुग्ध-चूर्ण होता है तथा इसे विटामिन और खनिजों से अधिक पौष्टिक बनाया जाता है और ये विटामिन और खनिज अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेन्सी और संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल आपात कोष की सहायता के रूप में मिलता है। भारतीय खाद्य निगम शुरू में बालाहार के निर्माण पर आने वाला पूरा खर्चा वहन करेगा जिसमें कच्चे माल की खरीद, मिश्रण करने, प्रोसैस करने, पैकिंग करने और यातायात पर आने वाले खर्च भी सम्मलित हैं। इनमें से जो तत्व मुफ्त मिलने वाले हैं, उनका मूल्य सरकार द्वारा वापिस कर दिया जाता है। मूंगफली के आटे की कीमत को छोड़कर शेष सारा खर्च बिहार सरकार से वसूल कर लिया जायेगा और बिहार सरकार इस खर्च को दुर्भिक्ष सहायता पर आने वाले खर्च में दर्ज करेगी तथा निर्धारित ढंग से इसके लिये केन्द्रीय सहायता मांगेगी। इस परियोजना पर कुल 14 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। इस पर सरकार का 1·21 करोड़ रुपये शुद्ध खर्च होगा।

मिश्रित आटा : मिश्रित आटे का उत्पादन 25 टन प्रति दिन के हिसाब से मद्रास में किया जा रहा है। इसके तत्वों में 75 प्रतिशत आटा, 17 प्रतिशत खाद्य टेपिओका का आटा, और 8 प्रतिशत खाद्य मूंगफली का आटा सम्मिलित है। उत्पादन शुरू हो चुका है और यह बिहार को भेजा जा रहा है। यह उत्पादन छः महीने तक किया जायेगा और उस पर लगभग 24 लाख रुपये खर्च होंगे। यह आटा बिहार को अनाज के आटे के मूल्य पर ही दिया जा रहा है। उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य में जो 1.68 लाख रुपये का अन्तर है वह भारत सरकार द्वारा पूरा किया जायेगा।

चपलाकांत भट्टाचार्य : भारत के समुद्री तटों पर बड़ी मात्रा में शार्क लिवर तेल एकत्र किया जाता है, क्या इससे कोई प्रोटीन-प्रधान आहार तैयार नहीं किया जा सकता ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या सरकार प्रोटीन-प्रधान आहार को देश के उन सभी भागों में वितरित करेगी, जहां जहां लोग प्रोटीन रहित भोजन से अपना निर्वाह कर रहे हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अभी तो यह आहार बिहार के अकालग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्रों को भेजा जा रहा है। बिहार की स्थिति सुधरने पर इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

Shri Manibhai J. Patel : How many calories are there in the food prepared so far.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे पास इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है।

श्री वेदव्रत बरुआ : क्या सरकार ने सोयाबीन, जो प्रोटीन-प्रधान होता है, के उपयोग का भी विचार किया है और यदि हां, तो इसका उत्पादन भारत में कहां कहां किया जा सकता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान इन सब सुझावों पर विचार कर सकता है।

Shri K. N. Tiwary : May I know whether the Govt. are aware of the fact that Japan has found out some protein-rich products from sea and whether the Govt. have taken some measures to utilize those products in India also ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ये सब सुझाव हैं, जिन पर विचार किया जा सकता है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि अण्डे, मुर्गियों के मांस में काफी प्रोटीन होता है। क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है, जिससे देश में अंडों का उत्पादन बढाया जा सके और हमें मगरमच्छ के अण्डे न खाने पड़ें, तथा मुर्गियों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना बनाई है जिससे हमें मुर्गियों के मांस के स्थान पर कुत्ते का मांस न खाना पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव बहुत ही उपयोगी है।

हिल्टन होटल्स कॉरपोरेशन के सहयोग से होटलों की स्थापना

श्री रा० बरुआ :
***609· श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय फर्मों तथा अमरीका की हिल्टन होटल्स कॉरपोरेशन के सहयोग से देश में होटल स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती महाआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। शिव सागर एस्टेट्स तथा हिल्टन होटल्स कॉरपोरेशन, अमरीका के बीच करार का मसौदा सरकार के विचाराधीन है।

श्री रा० बरुआ : इस समय हमें अनुमानतः कितने होटलों की आवश्यकता है और हम अपनी इस आवश्यकता को कहां तक पूरी कर सके हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : हमारा इस समय ऐसा अनुमान है कि आगामी तीन वर्षों में हमें कम से कम और दो-तीन हजार प्रथम श्रेणी की होटल-शय्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। देश में पर्यटकों के महत्व के विभिन्न भागों में विशेषत: दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हम इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं।

श्री रा० बरुआ : क्या इस सम्बन्ध में हिल्टसं होटल से सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष कोई विशेष शर्तें रखी गई हैं और यदि हां, तो पश्चिम एशिया के देशों की तुलना में ये शर्तें कैसी हैं?

डा० कर्ण सिंह : मुझे पता नहीं कि उनको पश्चिम एशिया के देशों में क्या शर्तें मिलती है ; उन शर्तों पर विचार किया जा रहा है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : बड़े पैमाने पर हिल्टन होटल्स के आने के बारे में वर्तमान होटल मालिकों का क्या विचार है और उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

डा० कर्ण सिंह : हिलटंस इस देश में बड़े पैमाने पर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बम्बई में एक होटल के लिए प्रस्ताव रखा है। होटल-मालिकों का उनसे सम्भवत: मतभेद है, लेकिन देश में प्रथम श्रेणी के होटलों की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखना भी आवश्यक है।

श्री मु० न० नाधनूर : बंगलौर के पर्यटक महत्व को दृष्टि में रखते हुए क्या वहां एक होटल की व्यवस्था करने का विचार है ?

डा० कर्ण सिंह : जी हां, भारतीय पर्यटक विकास निगम, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, बंगलौर में एक फाइव स्टार होटल बना रहा है और मैं उसकी नींव रखूंगा।

Shri George Fernandes : The hon. Minister has stated that the draft agreement between Shiv Sagar Estates and Hilton Hotels Corporation is under consideration of the Government. May I know since how long this matter has been pending before the Cabinet and whether any representative of Shiv Sagar Estates has returned from U.S.A. with some suggestion or proposal after having negotiations with the proprietors of Hilton Hotels Corporation ?

Dr. Karan Singh : The matter is before us since 1963 and it is, no doubt, a pretty long time and we want to take a decision on the matter as early as possible.

श्री नायनार : क्या केरल में होटल खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

डा० कर्ण सिंह : जी हां, कोवालम में खोलने का विचार है।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या मंत्रीजी को पता है कि भारतीय होटल मालिकों ने अन्तर्राष्ट्रीय होटल व्यवस्थापकों के सम्मेलनों में भाग लेकर तथा विदेशों के सहयोग से पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है, जैसा कि ओबराय इन्टरकौन्टिनल ने, होटल मालिकों को देश में होटल खोलने के सम्बन्ध में जिस मुख्य कठिनाई का आज सामना करना पड़ता है वह है वित्त का अभाव, दूसरी कठिनाई यह भी है कि उन्हें वहां विशेषत: आकर्षक पर्यटक केन्द्रों में, जहां कि वे होटल खोलना चाहते हैं, भूमि नहीं मिलती ?

डा० कर्ण सिंह : वित्त सम्बन्धी कठिनाई का सरकार को पता है। भारतीय होटल मालिकों को सुविधाएं देने तथा उनके लिये उचित मूल्य पर भूमि की व्यवस्था करने और विशेष होटल विकास निधि स्थापित करने के लिए, ताकि उन्हें ऋण दिये जा सकें, विशेष कार्यवाही की जा रही है।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

चीनी मिलों द्वारा टिकिया वाली चीनी (क्यूब शुगर) का बनाया जाना

अ० सू० प्र० 15 श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री रामसेवक यादव** :

श्री मधु लिमये : **श्री रवि राय :**

श्री जे० ए० पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिकिया वाली चीनी (क्यूब शुगर) बनाने के लिए देश में कितने चीनी मिलों को लाइसेंस दिये गये हैं तथा उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ख) इन मिलों द्वारा टिकिया वाली चीनी कुल कितनी मात्रा में बनाई जाती है :

(ग) सरकार ने टिकिया वाली चीनी का क्या मूल्य निर्धारित किया है ; और

(घ) देश में चीनी की कमी को देखते हुए क्या टिकिया वाली चीनी बनाने के लाइसेंस समाप्त करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) टिकिया वाली चीनी बनाने के लिए चीनी मिलों को कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती तथापि, इस समय देश में चीनी की दो मिलें टिकिया वाली चीनी तैयार कर रही हैं । उन मिलों के नाम हैं :

(एक) मैसर्स दौराला शूगर वर्क्स, दौराला, (उत्तर प्रदेश),

(दो) मैसर्स महाराष्ट्र शूगर मिल्स, तिलकनगर, (महाराष्ट्र),

(ख) वर्ष 1966 में इन कारखानों ने टिकिया वाली कुल चीनी 1339 मीट्रिक टन बनाई ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन कारखानों द्वारा तैयार की गई टिकिया वाली चीनी का कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया है ।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कोई लाइसेंस नहीं दिया गया ।

Shri George Fernandes : When the production and the prices of sugar are controlled by the Government, what is the reason that the prices of Cuba sugar manufactured by these units are not controlled by Government. as a result of which Cuba sugar is today sold in black market and it is available to them only who can afford to buy it in black market.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है । मैंने प्रश्न के मुख्य उत्तर में बताया है कि इस समय टिकिया वाली चीनी के मूल्य नियंत्रित नहीं हैं । लेकिन वर्ष 1966 में हमारे देश में टिकिया वाली चीनी बनाने वाले कारखानों ने 1339 मीट्रिक टन टिकिया वाली चीनी तैयार की । एयरलाइन्स, रेलवे, ताज एक्सप्रेस, होटल्स दूतावास आदि कुछ उपभोक्ता वर्ग हैं जिन्हें टिकिया वाली इस चीनी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन टिकिया वाली चीनी बहुत कम मात्रा में बनाई जाती है । जहां तक मूल्य-नियंत्रण का प्रश्न है, मैं समझता हूं इस पर विचार किया जा सकता है ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has stated that the quantity of Cuba suger thus manufactured at present is 1,339 tonnes. I want to know the amount of profit per ton earned by these manufacturers.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वित्त मंत्रालय की कोस्ट एकाउन्टेन्ट ब्रांच ने इस प्रश्न की जांच की थी और उनके द्वारा किये गये लागत विश्लेषण के आधार पर ऐसा पता चला कि 27 किलोग्राम टिकिया वाली चीनी पर 5 रुपये का लाभ है, इसलिए अनौपचारिक रूप से यह सुझाव दिया

गया कि इसके मूल्य में 5 रुपये की कमी की जानी चाहिए और, तदनुसार, निर्माताओं ने अनौपचारिक रूप से मूल्य 5 रुपये घटा दिया ।

Shri Madhu Limaye : Sir, my question has not been answered. I wanted to know the per ton profit earned by the manufacturers.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे पास ब्यौरा नहीं है ।

श्री जे० एच० पटेल : (कन्नड़ में बोले)

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (मराठी में बोले)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव । (व्यवधान) : उन्होंने कोई सवाल पूछा और उन्होंने कुछ जवाब दिया । मैं समझता हूँ उन्होंने मराठी में जवाब दिया । मैं न तो प्रश्न ही समझा और न जवाब ही समझ सका ।

Shri Madhu Limaye : Sir, Shri George Fernandes will come to our rescue, he can interpret it.

Shri George Fernandes : He has asked whether Cuba sugar was imported from abroad.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : चीनी का आयात नहीं किया जाता ।

अध्यक्ष महोदय : नक्सलवाड़ी तथा इस भाषाई प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए मैंने पिछले शुक्रवार को नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया था, किन्तु नक्सलवाड़ी पर विचार करने में ही सारा समय निकल गया और हम भाषा सम्बन्धी इस प्रश्न पर विचार-विमर्श नहीं कर सके, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कौन किस भाषा में बोलता है, तथापि, इस सम्बन्ध में कोई हल निकालना जरूरी है । इसलिए आगामी बैठक में दलों के नेताओं के साथ हम इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करेंगे ।

Shri Madhu Limaye : So long you do not make arrangements, we shall arrange for translation.

अध्यक्ष महोदय : हम अगली बैठक में इस पर विचार करेंगे ।

श्री क० लकप्पा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने कन्नड़ में प्रश्न पूछा था और उन्हें उसका कोई उत्तर नहीं मिला । हमें केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रश्न पूछने पर ही उसका उत्तर मिलता है । क्या यह हमारी प्रादेशिक भाषाओं का अपमान नहीं है ? इस सभा में यह भेद-भाव क्यों ? मैं इस बारे में आश्वासन चाहता हूँ .....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई आश्वासन नहीं दिया जाता । (व्यवधान) श्री राम सेवक यादव ।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has stated that this Cuba sugar is required by the Airlines in order to provide facility to the air-travellers. I want to know whether statement showing the special utility and reasons for more consumption of this Cuba sugar in the air has been prepared or it is manufactured simply with a view to earning more profit ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने यह मामला पर्यटन मंत्रालय को सौंपा है। यदि वे हमें यह संकेत दें कि इसका उत्पादन आवश्यक नहीं है, तो हम इसे बन्द कर देंगे और हम टिकिया वाली चीनी बनाने का कोई कोटा नहीं देंगे।

श्री शिवाजीराव सं० देशमुख : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चीनी उद्योग को दिये जाने वाले लाइसेंस की शर्तों के अधीन उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि वे केवल टिकिया वाली चीनी ही बनायें। इसी प्रकार यदि 'वैक्यूम पैन' (Vacuum pan) चीनी कारखानों को भी अपने निर्यात पात्र चीनी कारखाने न चलाने दिये जायें, तो वे बिना किसी कठिनाई के खांडसारी बना सकते हैं, जो अनियंत्रित वस्तु है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार चीनी उद्योग से नियंत्रण हटाने तथा ऐसे लाइसेंस के बिना चीनी तैयार करने का आदेश देने की व्यावहार्यता का विचार करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। जहां तक विनियमन का सम्बन्ध है, चीनी कारखानों को खांडसारी बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। यहां तक कि टिकिया वाली चीनी बनाने के लिये भी, जब तक उन्हें कोटा नहीं दिया जाता, वे इसे नहीं बना सकते।

Shri Maharaj Singh Bharti : Sir, out of these two Cuba sugar producing factories, I know one of them viz. the Daurala Sugar Works, which mainly produces sugar but taking out some quantity of the same, it manufactures Cuba sugar also. My specific point is this, when this factory is allotted a separate quota for the manufacture of Cuba sugar, what is the reason that the prices of the Cuba sugar are not controlled by the Government ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम दौराला कारखाने को औसतन प्रति मास लगभग 41·7 टन का कोटा देते हैं जो नियंत्रित मूल्यों के आधार पर उपलब्ध किया जाता है। इस मात्रा में से 33 प्रतिशत मात्रा अनौपचारिक रूप से तय किये गये मूल्यों पर दिल्ली में बेची जाती है और 66 प्रतिशत जल-पान गृहों, कैन्टीनों, सरकारी विभागों, रेलवे, इंडियन एयरलाइन्स तथा दूतावासों को जाती है।

Shri Maharaj Singh Bharati : Sir, my simple question was whether the prices of this Cuba sugar for the manufacture of which a separate quota is allotted, are not controlled.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि हम इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। चूंकि मात्रा थोड़ी है, इसलिये सरकार को काफी प्रशासनिक खर्च वहन करना पड़ेगा। इन सभी बातों पर विचार करना आवश्यक है और माननीय सदस्य के सुझाव पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : Today there is shortage of sugar in the country, while raw-sugar is available in abundance. Keeping this in view, whether it is not possible for the Government to allow manufacture of the Cuba sugar from this raw-sugar which is liked more by the people and which also contains vitamins in larger quantities ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य की यह धारणा सही नहीं है कि हमारे पास रा-शूगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में है। जितनी कुछ रा-शूगर तैयार की गई थी वह विदेशों को केवल उतनी निर्यात के लिये तैयार की गई थी जिसके बारे में पहले वचन दिये जा चुके थे।

Shri Hukam Chand Kachavaiya : May I know the difference in prices of the Cuba sugar and the ordinary sugar and the prices at which this Cuba sugar is sold in the market, and whether the quota for the manufacture of this Cuba sugar is increased with a view to meet its foreign demand ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : प्राप्त जानकारी के अनुसार, दौराला चीनी दिल्ली में उपभोक्ताओं को 73 रुपये 55 पैसे प्रति 27 किलोग्राम स्टैन्डर्ड बोरी तथा 68 रुपये 65 पैसे प्रति 27 किलोग्राम इकनॉमी बैग की दर से बेची जा रही है ।

Shri Hukam Chand Kachavaiya : Whether its more production is due to its more demand abroad ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इसका निर्यात करने का अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को इस बात का पता है कि बाजार में नियंत्रित चीनी के दाम बहुत ऊंचे होने तथा उसके न मिलने के कारण टिकिया वाली चीनी की मांग बहुत बढ़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप टिकिया वाली चीनी की कीमत भी हाल में बढ़ गई है और यदि हां, तो इन दोनों के बीच का सन्तुलन ठीक रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह एक सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे कि क्या इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाना संभव होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चीनी के उत्पादन में कमी

***601. डा० कर्णी सिंह :**

श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक उत्पादन शुल्क लगाये जाने का 1966–67 के मौसम में चीनी के उत्पादन में हुई कमी से कोई सम्बन्ध है; और

(ख) सहकारी और गैर-सरकारी प्रबन्धकों के कारखानों की कार्य-कुशलता का अनुपात क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी, नहीं ।

(ख) इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है । परन्तु वर्तमान मौसम के उत्पादन के रुख से यह पता लगता है कि सहकारी कारखानों की तुलना में ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनियों के उत्पादन में कमी हुई है ।

Seats Vacant in Legislative Assemblies, Lok Sabha and Rajya Sabha

* 605. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) the number of seats in the various State Legislative Assemblies, Lok Sabha and Rajya Sabha that have fallen vacant since the last General Elections;

(b) the number of seats out of them filled by bye-elections and also the number of seats still remaining vacant; and

(c) when they are likely to be filled up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D.R. Chavan) : (a) 22 seats in the various State Assemblies, 8 in the Lok Sabha and 23 in the Rajya Sabha fell vacant since the last General Elections;

(b) Of these, 13 seats in the State Assemblies, 5 in the Lok Sabha and 21 in the Rajya Sabha have since been filled by bye-elections and the number still vacant is 9,3 and 2 respectively; and

(c) Out of the nine seats vacant in the State Legislative Assemblies, election petitions are pending in respect of election of the returned candidates from Tandur assembly constituency in Andhra Pradesh and Tonk assembly constituency in Rajasthan. In both these cases, the petitioners have also claimed that they be declared elected. Accordingly, bye-elections to fill these vacancies cannot be held until the petitions are disposed of. An election petition is also pending in respect of the election of the returned candidate from Safakadal assembly constituency in Jammu and Kashmir. In this case the bye-election has been stayed by the orders of the High Court. A bye-election to fill this vacancy can be held only when the stay is vacated by the High Court. Bye-elections in respect of the vacancies in the Lok Sabha and the remaining seats in the State Legislative Assemblies will be held as soon as the electoral rolls are revised. The two vacancies in the Rajya Sabha will be filled when the concerned State Legislative Assemblies are next in session.

Unfit Milk Powder in Delhi Godowns

* 610. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri D.N. Patodia :
Shri Mohammed Imam :
Shri S.K. Tapuriah :
Shri Gadilingana Gowd :
Shri Kashi Nath Pandey :
Shri N S. Sharma :
Shri D. C. Sharma :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Umanath :
Shri Nambiar :
Shri C.K. Chakrapani :
Shri P. Gopalan :
Shri K. Haldar :
Shri K. M Madhukar :
Shri R. Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large quantities of milk powder in some of the godowns of Delhi have been found unfit for consumption;

(b) whether Government have tried to ascertain the causes thereof; and

(c) if so, the outcome of the enquiry and the action taken against the officials concerned responsible for this loss ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) ; (a) 1.181 tonnes of imported skimmed milk powder was rendered unfit for consumption during 1966-67 and 9 tonnes has been rendered unfit so far during the current year 1967-68.

(b) Delhi milk Scheme handles large quantities of imported skimmed milk powder. In handling large quantities, wastage of some milk powder by spillage or due to exposure to weather etc. is unavoidable.

(c) Quantities involved are small; and the loss has arisen in the normal course. No action against any official is called for.

Food Supplies by Andhra Pradesh

* 611. **Shri M. R. Krishna** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Andhra Pradesh has given the assurance to the Central Government that his State would enhance the food supplies to the deficit Southern States.

(b) if so, whether any pre-conditions and proposals have been made by the State Chief Minister in this regard; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) The Chief Minister of Andhra Pradesh had stated at the Chief Minister's Conference held at New Delhi in April, 1967, that the export target of rice from Andhra Pradesh in 1966-67 would be 6 lakh tonnes (as against the quantity of about 2.77 lakh tonnes of rice exported in the year 1965-66). He also stated that the export of the aforesaid 6 lakh tonnes of rice was subject to the condition that the Government of India supplied 2 lakh tonnes of wheat and milo to Andhra Pradesh.

खाद्यान्नों के मूल्य

*612. **श्री राममूर्ति :**

श्री प० गोपालन :

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व खाद्य मन्त्री ने रुपये के अवमूल्यन के समय राष्ट्र को यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि इससे खाद्यान्नों के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या जब से यह आश्वासन दिया गया है तब से रुपये के अवमूल्यन का खाद्यान्नों के मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) इस बात का पता लगाया जाना सम्भव नहीं हो सका है कि भूतपूर्व खाद्य मंत्री ने राष्ट्र को कोई ऐसा वचन दिया था । फिर भी 6 जून को रुपये के अवमूल्यन के समय सरकार ने यह निर्णय लिया था कि केन्द्रीय स्टाक से दिये जाने वाले अनाज के निर्गम मूल्यों में

कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, यद्यपि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अनाज के मूल्य में वृद्धि हो गई है ।

(ख) नवम्बर–दिसम्बर, 1966 तक केन्द्रीय स्टाक से सप्लाई किये जाने वाले अनाज के निर्गम मूल्य अवमूल्यन से पहले ही के अनुसार थे और उसके पश्चात् अनाज के निर्गम मूल्यों में वृद्धि की गई थी ताकि सरकार द्वारा सहन की गई राज सहायता की मात्रा में कमी हो सके । जहां तक मंडी में अनाज के मूल्यों का सम्बन्ध है, पिछले दो वर्षों से लगातार खराब फसल के परिणामस्वरूप, अवमूल्यन के बाद इसमें वृद्धि हुई है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34

***613. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**

श्री स० चं सामन्त :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ 34 जो उत्तरी बंगाल के रास्ते कलकत्ता पत्तन और आसाम को मिलाने वाला एक मात्र सड़क मार्ग है, को चौड़ा तथा मजबूत करने का काम पुनरीक्षित लागत प्राक्कलनों को मंजूरी देने में विलम्ब होने के कारण रुका पड़ा है, और

(ख) इस राष्ट्रीय राजपथ को चौड़ा तथा मजबूत करने के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है तथा अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) (क) जी, नहीं ।

(ख) इस राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को चौड़ा और सशक्त करने के लिये कुल मिलाकर 111·09 लाख रुपये के तेरह प्राक्कलन स्वीकृत कर दिये गये हैं । 1965–66 के अन्त तक इस निर्माण कार्य पर 62·13 लाख रुपये का व्यय बुक किया जा चुका है ।

केरल को खाद्यान्नों का संभरण

***614. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री चक्रपाणि :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री प० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में राशन व्यवस्था को समाप्त होने से बचाने के लिये केरल राज्य के मुख्य मंत्री ने हाल में केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्न का विशेष कोटा, खासकर चावल मांगा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केरल राज्य सरकार को कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सादामुयिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) ; (क) केरल सरकार राशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये काफी मात्रा में चावल मांग रही है ।

(ख) और (ग) भारत सरकार राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिये भरसक प्रयास कर रही है ।

Scientific Training to Farmers

*615. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri R. Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that proper scientific training to the farmers for advanced agriculture at village level is lacking even now;

(b) whether it is also a fact that for want of training in advanced agriculture, the farmers commit serious mistakes in the use of modern implements, chemical fertilizers and pesticides;

(c) if so, whether any programme for giving proper training to the farmers in this respect is under consideration of Government; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) Yes, to some extent and in certain areas.

(b) Scientific agriculture needs skills in handling inputs like chemical fertilizers, pesticides and modern implements; and the absence of adequate training, farmers are apt to commit mistakes in their use sometimes.

(c) The Government of India have already drawn up a programme of farmers' training for implementation in selected High-Yielding Varieties Programme Districts. The scheme has been taken up on a pilot basis in a few districts and its extension to other areaa is under the consideration of the Government of India.

(d) The question does not arise.

बृहत् बम्बई के निवासियों की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताएं

*616. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बृहत् बम्बई के निवासियों की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार ने विशेष उत्तरदायित्व लेने का आश्वासन दिया है;

(ख) इस विशेष व्यवस्था के अधीन बृहत् बम्बई को प्रति मास कितना खाद्यान्न दिया जाता है; और

(ग) बृहत् बम्बई की कुल आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार पूरा करती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम के लिये गेहूँ का कोटा

617. श्री धीरेश्वर कलिता :

श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम राज्य के लिये गेहूँ के कोटे में कटौती हो जाने के कारण उस राज्य में गेहूँ खाने वाले बहुत अधिक व्यक्तियों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इसके परिणामस्वरूप आटा मिलें, मिठाई बनाने वाले संस्थान तथा बेकरी बिल्कुल बेकार पड़ी हैं तथा इनमें काम करने वाले कर्मचारियों की बिना वेतन और काम के जबरन छुट्टी कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आसाम राज्य के लिये गेहूँ के कोटे में वृद्धि करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) आसाम में अधिकतर लोग चावल खाने वाले हैं । सरकार को इस बात का पता है कि गेहूँ खाने वाले लोगों को चाहे उनकी संख्या कम है, कुछ संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) आसाम को अप्रैल में 5,500 टन गेहूँ का कोटा दिया गया था जिसे बढ़ाकर मई में 10,000 टन कर दिया गया है । जून के लिये भी राज्य के लिये 10,000 टन का कोटा नियत किया गया है ।

साधारण निर्वाचनों में मत डालना

***618. श्री तु०राम** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत साधारण निर्वाचनों में समाज के निर्बल वर्गों के मतदाताओं को या तो अपने मत डालने ही नहीं दिये गये या उनके मत अन्य लोगों द्वारा डाले गये ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि निर्वाचक नामावलियों में बड़ी संख्या में अप्राप्तवयों तथा मरे हुए लोगों के नाम भी शामिल थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ स्थानों पर संगठित अल्पसंख्यक दलों ने डराने-धमकाने वाले तरीके अपनाकर निर्वाचनों को उचित और निष्पक्ष ढंग से नहीं होने दिया; और

(घ) यदि उपरोक्त (क) से (ग) भागों के उत्तर हां, तो भविष्य में स्वतंत्र और उचित निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : यह उपधारणा है कि माननीय सदस्य समाज के निर्बल वर्गों' के प्रति निर्देश करने में, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के प्रति निर्देश कर रहे हैं। यह कहना सही नहीं है कि इन समुदायों के मतदाताओं को गत साधारण निर्वाचनों में या तो अपने मत नहीं डालने दिए गए या उनके मत अन्य व्यक्तियों द्वारा डाले गये। निर्वाचन आयोग में केवल तीन शिकायतें, एक उत्तर प्रदेश से और अन्य दो बिहार से प्राप्त हुई थीं कि उपद्रवी तत्वों द्वारा कुछ हरिजन मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से निवारित किया गया था।

(ख) जी हां, किन्तु यह संख्या नगण्य है।

(ग) इस विषय पर सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) निर्वाचन विधि और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए सर्वथा यथायोग्य समझे जाते हैं। निर्वाचक नामावलियां तैयार/पुनरीक्षित करते समय और तब जब कि ये नामावलियां तैयार हो जाती हैं और प्रारूप के तौर पर प्रकाशित की जाती है, दोनों ही अवसरों पर उनका व्यापक प्रचार किया जाता है। प्रारूप जो नामावलियों में, लोपों की दशा में, नामों के सम्मिलित किये जाने के दावे और उनमें पहले ही विद्यमान किसी प्रविष्टि के प्रति आक्षेप, इन नामावलियों के प्रारूप के तौर पर प्रकाशित होने के पश्चात् शीघ्र ही जनता से आमन्त्रित किये जाते हैं तथा 30 दिन की कालावधि के भीतर प्राप्त ऐसे सभी दावों/आक्षेपों की जांच की जाती है और उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त, निर्वाचक नामावलियों की दो प्रतियां हर ऐसे राजनीतिक दल को, जिसके लिए राज्यों में निर्वाचन प्रतीक आरक्षित किया गया है, मुफ्त प्रदाय की जाती हैं जिससे कि वे दल उनमे परिवर्धनों और उच्छेदों के बारे में, यदि कोई हो, सुझाव दे सकें।

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को मिलाकर एक खाद्य क्षेत्र बनाना

***619. श्री य० द० शर्मा :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली, हरियाना और पंजाब का एक खाद्य क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नकदी फसलों का उत्पादन

*620. **श्री वी० ना० शास्त्री :**
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली, रुई, पटसन आदि जैसी नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से गत वर्ष आरम्भ की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित लगभग सभी योजनाओं के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 1966–67 में केन्द्र द्वारा आयोजित योजनाओं के अन्तर्गत 2·66 लाख एकड़ भूमि पर रूई, 60·55 एकड़ भूमि पर न्यूक्लियस, 832·00 एकड़ भूमि पर बिनौला और 1281 एकड़ भूमि पर वी. एफ. सी किस्म का तम्बाकू बोया गया। पटसन की खेती को बचाने के लिये दबाई छिड़कने हेतु मुफ्त यूरिया बांटने का काम 2·90 लाख एकड़ भूमि के सम्बन्ध में किया गया है।

यह कहना कि इन योजनाओं के वांछनीय परिणाम नही निकले हैं, समझ में नहीं आता। पटसन की खेती को बचाने के हेतु बहुत बड़े क्षेत्रों में यूरिया बांटने की योजना काफी सफल रही है। इसी प्रकार न्यूक्लियस और बिनौले के उत्पादन में सफलता मिली है। देश में रूई या मूँगफली के सम्बन्ध में प्रयोग की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना सबसे अच्छी है। ये सीमित क्षेत्रों में चलाई जाने वाली योजनाएं हैं और इससे राज्य की रूई, मूंगफली या पटसन की योजनाओं को सहायता मिलेगी। तम्बाकू की योजना, मुख्यतया निर्यात किये जाने वाले तम्बाकू की सीमित है। योजनाओं को देरी से मंजूरी मिली थी और नई योजनाओं के कारण आवश्यक संगठन को स्थापित होने में समय लगेगा। 1966–67 में मौसम विपरीत होने के परिणामस्वरूप इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में बहुत कठिनाई हुई है।

माल भाड़ा की दरों में वृद्धि

*621. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री जुलाई, 1967 से माल भाड़ा की दरों में होने वाली वृद्धि के बारे में 6 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल भाड़े में होने वाली वृद्धि को रोकने के प्रयत्नों के असफल हो जाने की स्थिति में कुछ प्रतिकारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है; और

यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) 6–6–67 को लोक सभा में मौखिक प्रश्न संख्या 325 के उत्तर में जैसा सूचित किया था कि मामले पर कान्फ्रेंसों के साथ बातचीत की जा रही है और जरूरत पड़ी तो मामले पर आगे विचार-विमर्श करने के लिये एक प्रतिनिधि शिष्टमंडल यू० एस० ए० भेजा जायेगा। चूंकि मामले पर लिखापढ़ी हो रही है अतः प्रतिकारात्मक उपायों का प्रश्न नहीं उठता है।

राज्यों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों पर राजसहायता

*622. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले चावल तथा आयातित गेहूँ पर समान दरों पर राज सहायता देती है; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले आयातित गेहूं और घटिया चावल की बिक्री के लिये अपने स्टाक द्वारा राज सहायता कर रही है। आयातित गेहूं पर समान दरों पर राज सहायता दी जाती है क्योंकि सब राज्यों में इसका निर्गम मूल्य समान नियत किया जाता है।

(ख) घटिया किस्म के चावल का निर्गम मूल्य, कारखाने द्वारा वसूली मूल्य अधिकतम नियंत्रित मूल्य था एक राज्य विशेष में विद्यमान वसूली व्यवस्था के अनुसार स्थानीय रूप से वसूल किये गये धन से बने चावल के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पश्चिमी बंगाल के लिये खाद्यान्नों का नियतन

*623. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : **श्री स० चं० सामन्त**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** :
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री देवेन सेन** :
श्री भगवान दास : **श्री समर गुह** :
श्री कं० हाल्दर : **श्री चित्तरंजन राय** :
श्री गणेश घोष : **श्री बें० कृ० दास चौधरी** :
डा० रानेन सेन : **श्री प्र० रं० ठाकुर** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगा गया चावल तथा गेहूं का मासिक कोटा मार्च 1967 से हर महीने वहां पहुंच रहा है;

(ख) क्या यह विश्वास किये जाने के कारण बांकुरा, पुरुलिया आदि सूखा-ग्रस्त जिलों में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ग) यदि हां तो क्या इस आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिये कुछ अतिरिक्त अनाज का आवंटन किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मार्च 1967 के अन्त में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री, खाद्य मंत्री और वित्त मंत्री के बीच हुई बैठक में इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि जून 1967, तक पश्चिमी बंगाल को प्रतिमास 15,000 टन चावल और 75,000 टन गेहू सप्लाई किया गया जायेगा। वास्तविक चावल की सप्लाई अनुमानत: 15,000 टन है। गेहूं की सप्लाई में, अप्रैल और मई में आवंटित किये गये 75,000 टन के कोटे में कमी हो गई है।

(ख) पुरुलिया और बंकुरा जिले सूखा और कमी की स्थिति से प्रभावित हुए हैं। यह बताना कठिन है कि कब से यह कमी की स्थितियां उत्पन्न हुईं।

(ग) जून मास में पश्चिमी बंगाल सरकार को सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में बांटने के लिये 5,000 टन 'माइलो' का आवंटन किया गया है।

बिहार में चीनी के कारखानों का बन्द होना

*624. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री श्रीधरन : **श्री मोलहू प्रासद :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री लक्षण लाल कपूर :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री स० कुण्डू :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न होने के कारण बिहार में चीनी के 9 कारखाने बन्द होने वाले हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन चीनी-कारखानों के प्रबन्धकों ने अपने कारखानों को वहां से हटाकर दक्षिण भारत ले जाने की अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार के चीनी के कोटे में की गई भारी कमी को दृष्टि में रखते हुए इस स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस बात का पता लगा है कि आगामी गन्ना पेलने के मौसम में गन्ने की कमी की वजह से बिहार में शायद नौ मिलें बन्द न हो जायें।

(ख) जी नहीं।

(ग) 1967–68 के मौसम में मिलों को दिये जाने वाली गन्ने की सप्लाई में वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा है।

अमरीकी मंडी में गेहूं की खरीद

*625 **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अमरीकी मंडी में से 400,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने की अनुमति दी है;

(ख) क्या यह मात्रा 15 लाख मीट्रिक टन के लिये प्रत्याशित उस करार में शामिल है जिसके लिये बातचीत सफल हो गई बताई गई है;

(ग) इस गेहूं को खरीदने, भारत में लाने तथा कमी वाले राज्यों में बांटने के लिये सरकार ने किस प्रकार की योजना बनाई है; और

(घ) सरकार का कब तक इस गेहूं को खरीदने और भारत पहुंचने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) नये पी. एल. 480 के समझौते को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले भारत सरकार के अनुरोध पर अमरीका ने प्रतिपूर्ति योग्य खरीदारी प्राधिकार के माध्यम से 600 हजार टन अनाज (480 हजार टन गेहूं और 120 हजार टन माइलो) खरीदने की अनुमति दे दी है। अनाज की यह मात्रा प्रस्तावित नये समझौते के अधीन दिये जाने वाले 15 लाख टन खाद्यान्न के अंश के रूप में होगी।

(ग) अनाज की इस मात्रा की खरीद भी वाशिंगटन स्थित इंडिया सप्लाई मिशन द्वारा की जा रही है। जहाजों द्वारा इसे भारत लाने का प्रबन्ध भी उक्त मिशन तथा नई दिल्ली स्थित चीफ कंट्रोलर आफ चार्टरिंग द्वारा किया जायेगा। यह अनाज, अनाज के जनरल पूल में भिजवा दिया जायेगा जहां पर भारत सरकार को आयात या आन्तरिक वसूली द्वारा प्राप्त अनाज रखा जाता है और यहाँ से यह अनाज राज्यों और उपभोक्ताओं में जनरल पूल से उन्हें दिये जाने वाले नियतन के अनुसार वितरित किया जायेगा। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रत्येक राज्य को इस मात्रा में से कितना अनाज दिया जायेगा।

(घ) यह अनुमान है कि कुल 6 लाख टन अनाज जून से पहले खरीदा जायेगा। जुलाई 1967 के अन्त से पहले जहाजों में लाद दिया जायेगा और सितम्बर 1967 के मध्य तक भारत पहुंच जायेगा।

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग

*626 **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग अर्थात चीनी उद्योग दक्षिण भारत की ओर जा रहा है;

(ख) क्या कानपुर चीनी संस्थान में किये गये अनुसन्धान से पता चला है कि उत्तर प्रदेश की भूमि गन्ने के उत्पादन के लिये बहुत अच्छी है;

(ग) क्या इस अनुसन्धान से यह भी पता चला है कि पर्याप्त मात्रा में पानी देने से दक्षिण भारत के गन्ने में अधिक चीनी निकलती है और प्रति एकड़ उत्पादन भी अधिक होता है; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के इस प्रमुख उद्योग को दक्षिण भारत में ले जाये जाने से रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उत्तर प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण का काम गन्ना अनुसंधान स्टेशन शाहजहांपुर द्वारा किया जा रहा है और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा नहीं। अब तक जितना कार्य किया गया है उससे पता चलता है कि सामान्यत: उत्तर प्रदेश की भूमि गन्ने के उत्पादन के प्रतिकूल नहीं है ।

(ग) पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था से उत्पादन काफी बढ़ सकता है परन्तु मौसम और जल-निर्वहन की समस्या तो फिर भी बनी रहेगी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण

*627 **श्री मधु लिमये :**
श्री एस० एम० जोशी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) किसानों को सस्ती दरों पर ऋण देने के मामले में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें क्या अतिरिक्त सुविधाएं दे रही हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 713/67]**

Seizure of Smuggled Foodgrains

628. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the details of the foodgrains seized on the 31st May, 1967 while these were being smuggled from Delhi to Uttar Pradesh;

(b) the action taken against the persons involved therein;

(c) whether Government have taken any steps with a view to prevent the recurrence of such incidents of smuggling; and

(d) if so, the details thereof;

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No foodgrains were seized on 31st May, 1967 in the circumstances mentioned in the question.

(b) to (d) Do not arise.

अमरीका से खाद्यानों की सप्लाई

*629 श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री वेदव्रत वरुआ :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार भारत को वर्तमान करार के अन्तर्गत दी जाने वाली गेहूँ की मात्रा से और अधिक गेहूँ देने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो भारत को कितना और अधिक गेहूँ दिया जायेगा और अतिरिक्त अनाज कब तक आना आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) इससे देश की खाद्य स्थिति में कहां तक सुधार होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) नये पी. एल. 480 के समझौते को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले भारत सरकार के अनुरोध पर अमरीका ने प्रतिपूर्ति योग्य खरीदारी प्राधिकार के माध्यम से 600 हजार टन (गेहूँ और माइलो) खरीदने की अनुमति दे दी है। अनाज की यह मात्रा प्रस्तावित समझौते के अधीन दिये जाने वाले 15 लाख टन खाद्यान्न के अंश के रूप में होगी। यह अपेक्षा की जाती है कि 6 लाख टन अनाज जुलाई के समाप्त होने से पहले खरीदा जायेगा और जहाजों में लाद दिया जायेगा तथा वह जुलाई में ही भारत में पहुंचना शुरू हो जायेगा। इस अतिरिक्त मात्रा के आने से केन्द्रीय सरकार इस स्थिति में हो सकेगी कि वह जुलाई और अगस्त महीनों के कठिन समय में प्रभावित राज्यों को अपेक्षित मात्रा में आयातित अनाज दे सके।

Ceylon Airlines

*630. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether the Ceylon State Airlines have requested for the permission to land its planes in Delhi; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) : A

request made by a Delegation of the Government of Ceylon which had talks with a Delegation of the Government of India on 12th and 13th June, 1967 in New Delhi, to amend the India-Ceylon Air Services Agreement so as to permit Air Ceylon to operate services between Colombo and Delhi any time after 30th June, 1968 has been agreed to.

कल्याण गेहूँ के बीज

2951. श्री अब्दुल गनी दार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण गेहूँ के बीजों से प्रति एकड़ उत्पादन दुगना हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो 1962 से 1965 तक प्रत्येक राज्य में किसानों को ये बीज प्रति वर्ष कितनी कितनी मात्रा में दिये गये थे; और

(ग) इनको लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) कल्याण गेहूँ 2·7 की किस्म पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में मैक्सिकन सामग्री से तैयार की गई है। मूल सामग्री 1963 में एस–227 के नाम से भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में मैक्सिको से प्राप्त हुई थी। इस किस्म के गेहूँ के बीज की थोड़ी-थोड़ी मात्रा लुधियाना, मोवाली, पूसा तथा वेलिंगटन भेजी गई थी। दिल्ली में यह सामग्री कुछ भारतीय अच्छी किस्मों तथा मैक्सिकन किस्मों के साथ अध्ययन हेतु उगाई गई थी। 1963–64 में विभिन्न केन्द्रों पर किये अध्ययनों के अनुसार एस–227 में लीफ रस्ट आदि अनेक परिवर्तन हुए हैं परन्तु पौधे के उत्पादन सम्बन्धी अच्छे परिणाम निकले हैं। सामग्री देखने में भी काफी अच्छी तथा आकर्षक थी। यह किस्म वी 18 से सर्वथा भिन्न थी। तत्पश्चात लीफ रस्ट प्रतिरोधी पौधों के विषय में चुनाव किया गया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने जिस सबसे अच्छी किस्म का चुनाव किया था उसे कल्याण 227 कहा गया जबकि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान व उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से जिस किस्म का चुनाव किया वह सोना 227 थी। 1966–67 की अवधि में कई स्थानों पर मूल 227 से सोना 227 व कल्याण 227 के साथ तुलनात्मक अध्ययन किये गये। इन सब केन्द्रों के परीक्षणों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। दो केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1966–67 में सोना 227 (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का चुनाव) व कल्याण 227 (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का चुनाव) की तुलना में मूल एस-227 को अच्छा समझा गया जिसका कारण सम्भवतः यह था कि वह उस वर्ष रस्ट या गेरुआ रोग से बची रही। बाकी समस्त केन्द्रों से आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और उन पर देश के गेहूँ अनुसन्धान कार्यकर्ताओं की अगस्त 1967 में होने वाली आगामी बैठक में विचार किया जायेगा। इस समय विभिन्न चुनावों के बारे में होने वाले प्रयोगों तथा तकनीकी सुझावों के आधार पर जो किस्म उत्पादन व रोग रोधक दृष्टि से अच्छी समझी जायेगी उसे आम खेती के लिए जारी कर दिया जायेगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़ौदा के लिये विमान सेवायें

2952. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री 30 मई 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 911 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा के लिए विमान सेवाएं पहले मानसून ऋतु को छोड़ कर अन्य मौसमों में चलती थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ौदा हवाई अड्डा जहां सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई विमान पट्टी है खराब हो गया है और यदि हां तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या हवाई पट्टी के दोनों ओर जहां मुहराम ड्रैसिंग की हुई है; अच्छे मौसमों में विमान उतारे जाते थे; और

(घ) क्या वायु सेवा के विमान चालक तथा भाटकित विमानों के विमान चालक इस दूसरे धावन-पथ की जांच करते हैं जिन्होंने इसे जहाज उतारने के लिये सुरक्षित माना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) गैर मान सूनी मौसम में हवाई पट्टियों में से कोने की हवाई पट्टी को विमान सेवाओं के लिये प्रयोग किया जा रहा था क्योंकि कंकरीट से बने धावन-पथ में दरार आ गई थी और उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। धावन पथ की मरम्मत और नाले के बन जाने के बाद किनारे वाली हवाई पट्टी की चौड़ाई को कम कर दिया गया था जिसके बाद वह विमानों की उड़ान के योग्य नहीं रही थी।

Stock of Foodgrains with Bihar Government

2953. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri R. Shastri ;

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Bihar Government propose to stock at least one lakh tonnes of foodgrains in order to encounter the havoc caused by floods in Bihar every year;

(b) whether any assistance has been asked for by the Government of Bihar from the Central Government in this regard; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) (a) to (c) : Government of Bihar have asked for an additional allocation of one lakh tonnes of imported wheat for building up reserves in areas likely to be affected by floods.

बिहार राज्य को बोरिंग मशीनों की सप्लाई

2954. **श्री स० कुण्डू :** **श्री श्रीधरण :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री लषण लाल कपूर :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार से पिछले तीन मास में दी गई रिग बोरिंग मशीनों के परिणाम स्वरूप कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हुई तथा कितने ग्रामों के लिए पीने के जल की व्यवस्था हुई; और

(ख) लोहे की उपयुक्त नालियां उपलब्ध न कराये जाने के कारण कितने बोरिंग कार्यों में विलम्ब हुआ अथवा वे अधूरे रह गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख)—पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

Alwar-Bhopal New National Highway

2955. Shri Meetha Lal : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new National Highway is being constructed from Alwar to Bhopal via Dausa, Lalsot and Sawai Madhopur; and

(b) if so, the time by which it would be completed ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

आन्ध्र प्रदेश में चने की कमी

2956. श्री ईश्वर रेड्डी: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में चने की अत्यन्त कमी की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) आंध्र प्रदेश की चने की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(घ) राज्य सरकार को कौन-कौन सी किस्मों का चना चाहिए ; और

(ङ) 1967 – 68 में अब तक उस राज्य को प्रत्येक किस्म के चने की कुल कितनी मात्रा भेजी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश में चने की गम्भीर कमी की शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने कोई निश्चित मांग नहीं की है।

(ङ) वर्ष 1967 – 68 के लिये आन्ध्र प्रदेश के लिये 1700 टन चना और 300 टन चने की दाल नियत की गई है।

सेतुसमुद्रम परियोजना

2957. श्री किरुतिनन : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मद्रास राज्य में सेतुसमुद्रम परियोजना की क्या स्थिति है;

(ख) इस परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं तथा यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) और (ख) : फिलहाल थल और सागर दोनों में विस्तृत सर्वेक्षण ट्रायल बोरिंग और ट्रेसर अध्ययन किये जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिये एक अलग संगठन की स्थापना की गई है जिसका मुख्य कार्यालय मद्रास में है। इन अध्ययनों के इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जाने की आशा है और इनमें लगभग ३७ लाख रुपये की लागत का अनुमान है।

(ग) तकनीकी रिपोर्ट के प्राप्त होने और परीक्षा किये जाने के बाद ही परियोजना पर आगे कार्यवाही का विचार किया जा सकेगा।

पूर्वी घाट सड़क का निर्माण

2958. श्री किरातिनन : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मद्रास तथा कन्याकुमारी को मिलाने वाली पूर्वी घाट सड़क के निर्माण की क्या स्थिति है ;

(ख) इस योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कोई रकम नियत की गई है तो वह कितनी है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) यह एक राज्य सड़क है। अतः इसके विकास का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का है। उसे इस सड़क का विकास करने में सहायता के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिसम्बर, 1966 में 16 लाख रुपये का सहायता अनुदान देने का प्रस्ताव किया था जिससे महाबलिपुरम् और मलानम् के बीच गायब टुकड़े के निर्माण की लागत के 50 प्र० श० की पूर्ति होती और शेष 50 प्र० श० या अधिक की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा अपने साधनों से की जाती। इस अनुदान से राज्य सरकार ने इस कार्य के एक भाग के लिये प्राक्कलन स्वीकृत किया है जो 10.21 लाख रुपये का है और कार्य के इस भाग का निर्माण अभी प्रारम्भ किया है।

(ख) और (ग) : ऊपर स्थिति के स्पष्टीकरण के बाद प्रश्न नहीं उठते।

नागपुर स्थित मार्केटिंग एण्ड इन्सपेक्शन यूनिट

2959. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या नागपुर में मार्केटिंग एण्ड इन्सपेक्शन यूनिट निदेशालय के एक कर्मचारी ने 1 जून, 1967 से अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल कर रखी है;

(ख) क्या इस निदेशालय के कर्मचारी इस कर्मचारी के तंग किये जाने के विरुद्ध आन्दोलन करते आ रहे हैं; और

(ग) क्या इस विवाद को हल करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक निम्न श्रेणी क्लर्क ने, जिसकी सेवा निवृत्ति के आदेश जारी किये गये थे, अनशन शुरू किया था परन्तु अब उसने 9 जून 1967 से अपना अनशन समाप्त कर दिया है।

(ख) क्लर्क यूनियन ने कुछ बाहरी तत्वों के उकसाने पर निम्न श्रेणी लिपिक की सेवा-निवृत्ति के विरुद्ध आन्दोलन में भाग लिया था।

(ग) अब आन्दोलन को वापस ले लिया गया है।

सोयाबीन से दुग्ध आहार तैयार करना

2960. श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन और अमरीका में सोयाबीन से दुग्ध आहार (मिल्क फूड्स) तैयार करने में काफी सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में भी अधिक मात्रा में बाल आहार तैयार करने के लिये वनस्पति-दूध का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)—(क) जी हाँ, चीन में इसका काफी समय से प्रयोग हो रहा है।सोयाबीन पदार्थ अमरीका में भी लोकप्रिय हो गए हैं।

(ख) सोयाबीन भारत में काफी मात्रा में पैदा नहीं किया जाता। फिर भी बाल आहार तैयार करने के लिए वनस्पति प्रोटीन की तकनालौजी पर अनुसन्धान किया जा रहा है।

मारमोगाओ में जहाज बनाने का कारखाना

2961. श्री शिंकरे : क्या **परिवहन तथा नौवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा विदेशी जहाज रानी फर्मों से भारत में निर्मित जहाजों की मांग काफी बढ़ गई है;

(ख) क्या भारत में जहाज बनाने के वर्तमान कारखाने उनकी जहाजों की मांग पूरी कर सकते हैं;

(ग) क्या मरमागाओं में जहाज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार ने किन्हीं योजनाओं को अंतिम रूप दिया है;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं।

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ। भारत में बने हुए जहाजों की मांग केवल भारतीय शिपिंग फर्मों में ही होती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) : मारमोगाओ में शिपयार्ड के निर्माण का कोई भी प्रस्ताव सरकार के

विचाराधीन नहीं है। सरकार ने पच्छिमतट पर कोचीन में एक शिपयार्ड स्थापित करने का निश्चय कर लिया है।

गोआ तट पर छोटे पत्तन

2963. श्री शिंकरे : क्या **परिवहन तथा नौवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ तट पर स्थित पणजी बेतुल तथा सिक्वरिम जैसे छोटे बन्दरगाहों की क्षमता का सरकार को पता है:

(ख) क्या इन पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या व्यापारी वर्ग की, विशेषत: गोआ के खान मालिकों की, बढ़ती हुई आवश्यकताओं तथा अनवरत मांग को देखते हुये सरकार का विचार किसी योजना को अन्तिम रूप देने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना गोवा, दमन और दीव की सरकार से मांगी गई है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

गांवों में मृदुकोक की बिक्री

2964. श्री याज्ञिक : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली स्थित कोयला उपयोग परिषद द्वारा प्रकाशित "फ्रोम डंग एण्ड वूड टू कौल" नामक एक पुस्तिका की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) क्या इस पुस्तिका में की गई इस सिफारिश को, कि गांवों में राज सहायता के माध्यम से मृदुकोक का मूल्य कम किया जाये ताकि किसान लोग भोजन बनाने के लिए ढोरों के कीमती गोबर का इस्तेमाल न करें, क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख) :

जी हां, गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से उत्पन्न होने वाली समस्या से सरकार अवगत है। गांव में कुछ लकड़ियां तथा गोबर नि:शुल्क या मामूली कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं, परन्तु सोफ्ट कोक आदि व्यापारिक ईंधन महंगा पड़ता है। अत: गांव के कम आय वाले व्यक्ति उसका प्रयोग करने को तैयार न होंगे। पत्थर के मौजूदा मूल्य अधिक होने के कारण ग्रामीणों को अमूल्य गोबर के प्रयोग से रोकना कठिन है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पत्थर के कोयले पर उपदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गांवों में जलाने की लकड़ी के स्थान पर सोफ्टकोक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि गांवों में जलाने की लकड़ी की उपलब्धि में सुधार हो सके और साथ ही वहां जलाने के लिए गोबर के प्रयोग को रोका जा सके जिससे कि गोबर खाद के रूप में काम में लाया जा सके।

Centres for Rearing and Catching of Fish

2965. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to close the ten training centres for rearing and catching fish in the country including the one in Bihar run by the Central Government; and

(b) if so, whether it is also a fact that Government propose to start a Centre at Motihari in North Bihar after closing the Danapore centre in that State ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Centres referred to are presumably the Fisheries Extension Units which were being maintained in several States including Bihar. There were eight such Units, All these Units were wound up on the 28th February, 1967 The action for closure was taken in pursuance of a recommendation of a Special Committee set up in 1965 by the then Prime Minister for effecting economy in expenditure.

(b) The Central Government do not have any proposal under consideration for establishing a Fisheries Extension Unit in any State.

पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में पार्क होटल

2966. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेंडीज :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में पार्क होटल के मालिक को तकनीकी आधार पर लाइसेंस देने से जो इन्कार कर दिया गया था क्या उसे इस बीच वापिस ले लिया गया है;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी कि इस होटल का निर्माण-कार्य आरम्भ करने से पूर्व इस होटल के मालिक द्वारा आवश्यक इस्पात और सीमेंट का कोटा प्राप्त कर लिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस का क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(घ) क्या सीमेंट और इस्पात के वैध परमिट/कोटे के बिना ही पार्क होटल का निर्माण करने के लिये इस होटल के मालिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) जी हां, । राज्य सरकार ने अरुण एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता को पार्क होटल बनाने के लिये 860 टन सीमेंट का परमिट दिया था । तथापि, उनके हिसाब खाते से यह मालूम नहीं होता कि इस होटल के निर्माण के लिये उक्त फर्म को इस्पात का कोई परमिट नहीं दिया गया था । भारत के लोहा और इस्पात नियंत्रक को इस्पात के परमिट के लिये आवेदन नहीं दिया गया था ।

(घ) जी, नहीं ।

भारत में कृषि विश्वविद्यालय

2967. **श्री विश्वम्भरम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं; और

(ख) इन कृषि विश्वविद्यालयों के नाम क्या है तथा वे कहां कहां स्थित हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आठ।

(ख) मुख्यालय प्रांगण सहित कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

1. उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर (जिला नैनीताल) उत्तर प्रदेश।
2. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब।
3. उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)।
4. उड़ीसा कृषि और प्राद्यौगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर (उड़ीसा)।
5. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद, (आन्ध्र प्रदेश)।
6. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हेमल बंगलौर (मैसूर)।
7. जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
8. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी (पश्चिमी बंगाल)।

Shortage of Hydrogenated Oil

2968. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have made arrangements to meet the shortage of hydrogenated cooking oil by providing cheaper imported oils like coconut, date and soyabean oils;

(b) if so, the foreign exchange incurred on these oils during 1966-67; and

(c) the number of firms producing these oils in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) Some quantity of soybean and sunflower oils is being imported for use in the manufacture of Vanaspati.

(b)

	Soyabean Oil	Sunflower Oil
Source	U.S.A.	U.S.S.R.
Quantity (tonnes)	31, 275	16,000*
Foreign exchange expenditure		
On commodity cost (Rs./lakhs)	Nil+	199·99+
On freight (Rs./lakhs)	38·22	
	38·22	199 99

(c) These oils are not being produced indigenously.

* Includes 6000 tonnes received as free gift, but made available, on payment, to the vanaspati industry; the sale proceeds being utilized for relief of drought-affected areas.

\+ Payable in rupees under Title I of P.L. 480.
price of 10,000 tonnes of sunflower oil purchased,

सार्वजनिक मालवाहक मोटरगाड़ियों के परमिटों के लिए जमानत की राशि

2969. श्री जार्ज फरनेंडीज :

श्री जे० एच० पटेल :

श्री मधु लिमये :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि सार्वजनिक मालवाहक मोटरगाड़ी चलाने के परमिट के लिए किसी आवेदनकर्ता को परमिट के लिए आवेदनपत्र देते समय जमानत के रूप में 5,000 रूपये की रकम जमा करनी पड़ेगी ; और

(ख) क्या देश के मोटरगाड़ी मालिकों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस प्रस्ताव को त्यागने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव :) (क) और (ख) : 11 दिसम्बर, 1965 को राज्य सभा में रखे गये मोटर गाड़ी (संशोधन) बिल, 1965 में एक उपबंध का प्रस्ताव किया गया है कि मोटर वेहिकिल एक्ट, 1939 की धारा 46 या 54 के अधीन नये परमिट दिये जाने के लिए प्रत्येक आवेदक को अपने प्रतिवेदन के साथ सेक्यूरिटी के रूप में एक राशि इस प्रकार और ऐसी दर में जमा करनी होगी जो पाँच हजार रुपया प्रतिगाड़ी से अधिक नहीं होगी और जिसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक गाड़ी की श्रेणी के संदर्भ में राज्य सरकार सूचित करेगी। बिल को राज्य सभा और लोक सभा की संयुक्त समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव है।

राजस्थान में खेती वाली भूमि

2970. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कुल कितने एकड़ भूमि में खेती हो रही है ;

(ख) राजस्थान में पिछले अनेक वर्षों से कुल कितनी कृषि-योग्य भूमि में खेती नहीं हो रही है ;

(ग) क्या देश में खाद्यान्न की कमी को ध्यान में रखते हुए बेकार पड़ी इस भूमि में खेती करने के प्रश्न पर राजस्थान सरकार के साथ बातचीत हुई है ;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई वित्तीय अथवा अन्य सहायता देने का वचन दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) राजस्थान में 15,989 हजार हैक्टेयर भूमि में खेती हो रही है।

(ख) 9040 हजार हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में खेती नहीं हो रही है।

(ग) कृषि योग्य भूमि में खेती करने के प्रश्न पर सरकार निरन्तर ध्यान दे रही है।

फिर भी सारी कृषि योग्य भूमि में वर्षा तथा सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव के कारण खेती नहीं की जा सकती। इनमें से अधिकतर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए काफी धन लगाने की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ) भूमिहीन कृषकों को बसाने हेतु बेकार भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत भूमि सुधार की लागत पर 300 रुपये प्रति एकड़ तक और कृषि औजारों के लिए 750 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से केन्द्र धन देता है।

Corrupt Practices used in Elections

2971. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) the number of cases registered against the candidates during the First, Second and Third General Elections for using corrupt practices;

(b) the respective number of cases relating to each General Elections in which the candidates were found guilty along with the names of the candidates; and

(c) the State-wise break-up of such cases registered in connection with the Fourth General Elections ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D.R. Chavan) : (a) to (c) : Allegations of corrupt practices are made against candidates generally by means of election petitions. Since most of the records pertaining to the first and second general elections have been destroyed complete information asked for in the above question is not available with the Commission. Information relating to the Third General Elections is being collected, The Commission has no information about the allegations or corrupt practices made in the petitions field after the Fourth General Elections, as under the revised law, they are preferred before the High Courts.

Supply of Sugarcane to Sugar Mills

2972. Shri Bihuti Mishra :

Shri K.N. Tiwary :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of sugarcane has been supplied to the sugar mill at Birganj (Nepal) from Champaran (Bihar) during the year 1966-67;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps Government propose to take in this regard during the current financial year ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) : Bihar Government has estimated that about 20,000 tonnes of sugarcane went to Birganj factory from Bihar.

(b) This was mainly due to higher cane price paid by Birganj factory.

(c) The matter will be considered in consultation with the Bihar Government.

भूमि का अर्जन

2973. श्री अब्दुल गनी दार : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में, वर्षवार, औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए खेती वाली और उपजाऊ भूमि के अर्जन के बारे में जानकारी देने के लिए राज्य सरकारों से कहा है ;

(ख) पिछले पाँच वर्षों में, वर्षवार, प्रत्येक राज्य द्वारा उपजाऊ तथा खेती वाली कितनी-कितनी एकड़ भूमि अर्जित की गई और यह भूमि किन प्रयोजनों के लिए अर्जित की गई ; और

(ग) क्या सरकार ने इन प्रयोजनों के लिए केवल बंजर और खेती के लिए अनुपयोगी भूमि का अर्जन करने की राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी हैं और यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से समय-समय पर प्रार्थना की है कि खाद्य उत्पादन के हित को दृष्टि में रखते हुए गैर कृषि कार्यों के लिए अच्छी कृषि भूमि का यथासंभव अधिग्रहण न किया जाये । अधिकांश राज्य सरकारों ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए अपने संबन्धित अधिकारियों को उचित आदेश जारी कर दिये हैं ।

Seizure of Sugar Bags

2974. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Narela Police seized 80 bags of sugar, which were being sent to Haryana without any permit in April, 1967;

(b) if so, where from this sugar was brought; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) : Yes, Sir.

(b) and (c) : On F. I. R. No. 54 dated the 14th April, 1967 a case has been registered under Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955. This is under investigation.

Transfer of Head Quarters of Food Corporation of India from Madras to Delhi

2975. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :
Shri S. Kandappan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 72 on the 28th March, 1967 and state :

(a) the reasons for the suggested transfer of the Headquarters of the Food Corporation from Madras to New Delhi;

(b) the decision taken in the matter; and

(c) estimated expenditure involved in the transfer ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) : With the extension of the activities of the Food Corporation of India to areas other than the Southern Region, it has become increasingly difficult for it to operate from Madras. The top executives of the Corporation have to spend too much time in travelling to and from Northern and Eastern Regions. They find it difficult to hold frequent consultations with the Department of Food with whom the Corporation has to work in close liaison.

(b) The proposal to shift the head office to New Delhi has been accepted.

(c) About Rupees eighty thousand.

Cooperative Loan Arrangement in Bihar

2976. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a group of Central Officers went to Patna in March, 1967 to hold talks with the State Government of Bihar; about cooperative loan arrangements;

(b) if so, the subjects discussed; and

(c) the decision reached regarding the conditions for giving loans ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M.S. Gurupadaswamy) : (a) : Yes Sir.

(b) The following subjects were discussed:—

(i) Credit programme for 1967-68 for Bihar and measures for strengthening the cooperative structure in the Kosi Canal Command Area :

(ii) supplementary line of credit from Government for non-members of cooperatives for financing agricultural credit operations in 1967-68; and

(iii) scheme for strengthening the cooperative marketing structure in the Kosi Canal Command area.

(c) Only operational details for the disbursement of credit to farmers were discussed.

उड़ीसा में सहकारी चीनी कारखाना

2977. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारगढ़ (जिला सम्बलपुर) में एक सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने में अब तक कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) इसमें कब तक उत्पादन आरंभ होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) : सहकारी समिति ने सदस्यों से 24·34 लाख रुपये अंश पूँजी के रूप में एकत्रित किए हैं, जिसमें 14 लाख रुपये राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं। 120 लाख रुपये के ऋण के लिए सहकारी समिति का आवेदन पत्र औद्योगिक वित्त निगम (इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन) के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ है।

(ग) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि उत्पादन कब आरम्भ होगा।

रूपनारायण नदी पर सड़क पुल

2978. श्री ह० प० चटर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपनारायण नदी के ऊपर कोलाघाट पर (राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6) सड़क पुल का निर्माण निर्धारित समय में पूरा हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य अब किस अवस्था में है ;

(ग) क्या इस पुल का प्रयोग करने वाले यात्रियों तथा मालवाहक गाड़ियों पर किसी प्रकार का पथ-कर लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या निर्माण लागत के प्राक्कलन में कोई परिवर्तन किया गया था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) - रूपनारायण नदी के ऊपर काला घाट सड़क पूरा होने का निर्धारित समय जनवरी 1966 था, परन्तु विभिन्न कारणों से उस समय तक पुल तैयार न हो सका। परन्तु अब तक 90 प्रतिशत कार्य हो चुका है और पुल के दिसम्बर 1967 तक पूरा होने की आशा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) मूलत : 1956 में पुल का 112·22 लाख रुपये का अनुमान मन्जूर किया गया था अब यह बढ़ाकर 124 लाख रुपये कर दिया गया है।

Import of Seeds

2979. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the names of countries from where wheat, barley, maize and paddy seeds were imported during the First, Second and Third Five Year Plans;

(b) the quantity of seeds imported and the amount paid as the price thereof;

(c) whether any seeds were offered as gifts to Government at any time; and

(d) the manner in which they were distributed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) to (d) Prior to the evolution of new high-yielding varieties, seeds of foodgrain crops, except for small quantities of breeding materials, were not generally imported. Details of wheat and paddy seeds of the newly evolved high-yielding varieties imported by this Ministry in 1965-66 are given below:—

	Year	Name of country from which imported	Quantity imported	Price paid/ received as gift
Wheat Seeds	1965-66	Mexico	250 tonnes	Rs. 3,07,166. 13 P.
Paddy Seeds (T. N. I.)	1965-66	Phillipines	1 tonne	Gift.

No imports of barley and maize seeds were made during this period. The above seeds were distributed to State Governments, National Seeds Corporations ,etc., for further multiplication. Seed thus obtained was distributed to the farmers through the State Governments for cultivation.

Death of Milch Cattle for Want of Fodder

2980 **Shri S C. Samant**
Shri A K. Kisku
Shri S.N. Maiti
Shri Tridib Kumar Chaudhuri
Shari Yashpal Singh

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the state-wise number of milch cattle or other animals useful to agriculture, which died for want of fodder during 1966-67 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : The information is being collected from the State Government. The same will be placed on the table of the Lok Sabha as soon as available.

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 और 31 को मिलाने के लिए राज मार्ग

2981. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 को राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 से मिलाने के लिए एक राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव है, जो पूर्णतः पश्चिम बंगाल के पश्चिम दानाजपुर जिले से गुजरेगा ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या काम आरम्भ हो गया है ; और

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं, । राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या 34 स्वयं पश्चिम दीनाजपुर जिले में गुजरने के बाद उसी जिले में दालकोला में राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 31 से मिलती है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अनाज का आयात

2982. **श्री हेम राज :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल और मई, 1967 में विदेशों से, देशवार कितना अनाज आयात किया गया जो भारत में आ पहुँचा है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में आया हुआ वह अनाज विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को किस प्रकार बाँटा गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण साथ में जोड़ दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 714/67**]

(ख) प्रत्येक महीने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को आयातित अन्न का नियतन उस अनुपात में किया जाता है जितना अनाज महीने में आयात किया जाता है और जितना केन्द्रीय सरकार के भंडारों में पहले से विद्यमान होता है । एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें यह उल्लिखित हैं कि अप्रैल और मई 1967 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य:क्षेत्रों को कितना आयातित अन्न दिया गया है ।

Bridge Over River Chambal

2983. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government have not received so far the Central assistance required for the construction of the bridge over river Chambal in District Etawa between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh which has caused delays in its construction; and

(b) If so, the action taken in the matter,

The Minister of Transport and Shipping (Shri V.K.R.V. Rao) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

कोंकण तटीय स्टीमर सेवायें

2984. **श्री सेक्वीरा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या कोंकण तटीय स्टीमर सेवाओं के किरायों में वृद्धि की जाँच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने किरायों में कोई वृद्धि करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो कितनी ;

(ख) क्या इन सेवाओं को चलाने वाली जहाजरानी कम्पनी बिना कोई किराया बढ़ाये इन सेवाओं को चलाने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने समय के लिए ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) से (ग) : आशा है कि इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति अपनी रिपोर्ट जून, 1967 के अन्त तक पेश कर देगी। जब कम्पनी ने मई, 1962 में कोंकण तट पर चलाने के लिए तीन यात्री पोत प्राप्त करने का एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था तब कम्पनी ने आश्वासन दिया था कि वे तत्कालीन किरायों पर ही सेवायें चलायेंगे। इस आश्वासन के चालू करने के लिए कम्पनी द्वारा कोई विशेष समय नहीं सूचित किया गया था।

उड़ीसा में भूमि संरक्षण

2985. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में भूमि संरक्षण के लिए उड़ीसा राज्य के लिए कितनी राशि नियत की गई ; और

(ख) उक्त अवधि में इस कार्य पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1966–67 के दौरान राज्य योजना के अधीन भू-संरक्षण की योजना के लिए कुल 47 लाख रुपये का परिव्यय नियत किया गया था। इसके अतिरिक्त उड़ीसा को हीराकुण्ड तथा मचकुण्ड की नदी घाटी परियोजनाओं के आस-पास के क्षेत्र में भूसंरक्षण के लिए केन्द्र द्वारा शुरू की गई योजना के अधीन 33 लाख रुपये नियत किये गये थे।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है कि राज्य योजना के कार्यान्वयन के अधीन 34 लाख रुपये और केन्द्र द्वारा शुरू की गई योजना के अधीन 29·96 लाख रूपये वास्तव में खर्च किये गये हैं।

उड़ीसा में कृषि कालेज को केन्द्रीय सहायता

2986. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई**

क्या **खाद्य, तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में भूवनेश्वर (उड़ीसा) स्थित कृषि कालेज तथा विश्वविद्यालय को किस प्रकार की तथा कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ख) उस राज्य को इस उद्देश्य के लिए 1967–68 के दौरान कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1966–67 की अवधि में उड़ीसा के कृषि तथा तकनौलोजी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर को 9,72,500 रुपये का नकद अनुदान दिया गया था। यह रकम स्टाफ क्वार्टरों, पुस्तकालय-भवन आदि विकास मदों के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में दी गई थी।

इसके अतिरिक्त उसी अवधि में ओ० ए० 28–यूएस ऐड कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व-विद्यालय को प्रयोगशाला उपकरणों आदि के रूप में 3,904·75 रुपये की सहायता दी गई थी।

उड़ीसा के कृषि तथा तकनौलोजी विश्वविद्यालय के 6 प्रशिक्षणार्थियों को उच्च प्रशिक्षण के लिए अमरीका भेजा गया था तथा 1966 की अवधि में कृषि तथा सम्बद्ध विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 6 अमरीकी विशेषज्ञों की सेवाओं से लाभ उठाया गया।

(ख) अभी 1967–68 की अवधि के लिए दिए जाने वाले नकद उपदान की मात्रा वित्त मंत्रालय के परामर्श से निर्धारित की जानी है। परन्तु 1967-68 की अवधि में नान-प्रोजैक्ट लोन फण्ड 138 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए 2,25,000 रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।

विश्वविद्यालय के 6 प्रशिक्षणार्थियों को उच्च प्रशिक्षण के लिए अमरीका भेजे जाने की संभावना है तथा 1967 में विश्वविद्यालय को 6 और अमरीकी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त होने की संभावना है।

उड़ीसा में सहकारी चीनी कारखाने

2987. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई

क्या **खाद्य, तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने सहकारी चीनी कारखाने हैं ; और

(ख) 1967-68 में उड़ीसा में ऐसे कितने चीनी कारखाने स्थापित करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) (क) एक,

(ख) एक दूसरी सहकारी समिति को लाइसेंस दिया गया है, किन्तु 1967–68 में इसके स्थापित किए जाने की संभावना नहीं है।

उड़ीसा में फ्लाइंग क्लब

2988. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1966–67 में भुवनेश्वर में फ्लाइंग क्लबें चालू करने के लिए उड़ीसा सरकार को कोई अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और 1967–68 में उस राज्य को इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि देने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) उड़ीसा फ्लाइंग क्लब को 1966–67 के दौरान वास्तविक उड़ान के घंटों के लिये एक निश्चित दर पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। वर्ष 1967–68 के दौरान क्लब को सहायता अनुदान देने के प्रश्न पर विचार इस अवधि में उसके कार्य को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

चौथे साधारण निर्वाचनों पर व्यय

2989. **श्री एस० आर० दामानी**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथे साधारण निर्वाचनों पर कितना व्यय हुआ; और

(ख) इसकी तुलना में पिछले तीन साधारण निर्वाचनों पर हुए व्यय के आंकड़े क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) साधारण निर्वाचन 1967 पर उपगत व्यय के बारे में जानकारी विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संगृहीत की जा रही है और सम्यक् अनुक्रम में सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) साधारण निर्वाचन 1951–52, 1957 और 1962 पर उपगत व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

साधारण निर्वाचन	व्यय
प्रथम साधारण निर्वाचन 1951--52	104,547,099 रु०
द्वितीय साधारण निर्वाचन 1957	118,977,505 रु०
तृतीय साधारण निर्वाचन 1962	73,158,000 रु०

राष्ट्रपतीय निर्वाचन पर व्यय

2990. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 मई, 1967 को हुए राष्ट्रपतीय निर्वाचन पर कितना व्यय हुआ; और

(ख) पिछले तीन निर्वाचनों के व्यय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) जानकारी संगृहीत की जा रही है और सम्यक् अनुक्रम में सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की काबुल- श्रीनगर उद्घाटन उड़ान

2991. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**
श्री काशीनाथ पाण्डे : **श्री शिवकुमार शास्त्री :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की काबुल-श्रीनगर उद्घाटन उड़ान में अफगानिस्तान का कोई भी विशिष्ट व्यक्ति यात्रा न कर सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या यह विमान सेवा नियमित रूप से चलाई जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं, एरिना अफगान एयरलाइन्स के पदाधिकारियों तथा अफगान विमान सेवा के अधिकारियों ने इस उड़ान में यात्रा की ।

(ग) जी, हां ।

Bridge Over Jamuna Beyond Humayun's Tomb, Delhi

2992. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) when the construction of the third road bridge over Jamuna in Delhi beyond Humayun's Tomb be completed; and

(b) the type of traffic to be diverted to the said bridge with a view to reduce traffic on the Jamuna bridge near the Red Fort?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K R. V. Rao) : (a) The bridge is expected to be completed by about June, 1968,

(b) The bridge will be open to all types of traffic and is expected to relieve the present congestion on the rail-cum-road bridge near the Red Fort.

Fertilizer Prepared From Bones, Horns and Hooves

2993, Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agricuclture** be pleased to state :

(a) the quantity of fertilizer manufactured annually from bones, horns and hooves in the country and the quantity of this fertilizer consumed within the country;

(b) whether it is a fact that a major portion of fertilizer prepared from bones is exported and super-phosphate and rock phosphate is imported in order to meet the requirement of phosphorus in this country; and

(c) the reasons for exporting this fertilizer ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development Ccoperation (Shri Annasahib Shinde) (a) : It is estimated that about 32,000 tonnes of bonemeal is annually produced in India as a by-product, by the bone-crushing mills. Crushed bones are mostly exported outside the country. Bonemeal, except for insignificant exports, is used as a manure within the country. Statistics regarding production of hornmeal and hoofmeal are not available.

(b) and (c) : Bonemeal was a controlled commodity in the Export Control Order. 1962 and its export was licensed on production of "No Objection" certificate from the State concerned. Although a ceiling of 10,000 tonnes of bonemeal was fixed for export during 1963 and again in 1964, no exports thereof took place. 90 tonnes were exported during 1965 and 724 tonnes during nine months of the year 1966.

It is therefore not correct to say that a major portion of fertiliser prepared from bones is exported.

Superphosphate is not imported from abroad. Rock-phosphate is however imported and utilised as a raw material in the indigenous manufacture of superphosphate.

केरल में घटिया किस्म के चावल का निर्गम मूल्य

2994. **श्री राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा केरल को सप्लाई किये गये घटिया किस्म के चावल का पुनरीक्षित निर्गम मूल्य आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में उसी किस्म के चावल के फुटकर मूल्य की तुलना में बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : केन्द्र द्वारा केरल को सप्लाई किये गये घटिया किस्म के पुनरीक्षित मूल्य की तुलना में आन्ध्र प्रदेश में उसी किस्म के चावल के फुटकर विक्रय मूल्य अधिक हैं। मद्रास नगर तथा कोयम्बत्तूर शहर के राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में राज सहायता प्राप्त (रियायती) दर पर चावल के विक्रय मूल्य तथा राज्य के कुछ जिलों में उबले चावल के विक्रय मूल्य को छोड़ कर मद्रास में भी चावल के फुटकर विक्रय मूल्य अधिक हैं ?

उत्तर प्रदेश से दालों के बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध

2995. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री श० ना० माइती :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री अ० कु० किस्कु :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य से अन्य राज्यों को दालें भेजने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश के मटर और अरहर राज्य से बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव में से केवल मटर को बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगाना स्वीकार किया था।

देश में अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों से आये हुये लोगों को फिर से बसाना

2996. **श्री गा० शं० मिश्र :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों से आये हुये लोगों को फिर से बसाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ख) इस कार्य के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 30 मई, 1967 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर में बताया जा चुका है कि सूखे के कारण बड़ी संख्या में लोगों के आने के बारे में भारत सरकार को कोई समाचार नहीं मिला है। अतः आने वाले लोगों को फिर से बसाने के उपाय करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ?

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता :

केरल में मत्स्यपालन उद्योग

2997. **श्री प० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मत्स्यपालन उद्योग का विकास करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्यपालन उद्योग का विकास करने के लिए कुल कितनी रकम नियत की गई हैं; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। केरल में मछली विकास के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

(ख) केरल की चतुर्थ योजना की महत्वपूर्ण स्कीमें निम्न प्रकार हैं : मछली पकड़ने की नौकाओं का यान्त्रिकरण करना तथा मछली पकड़ने के बड़े ट्रालरों का प्रयोग शुरू करना, मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का विकास करना, प्रक्रिया, भण्डारण तथा परिवहन की सुविधाओं की व्यवस्था करना, मछियारों की सहकारी समितियों का गठन करना, मछियारों को सहायता प्रदान करना, मछली पकड़ने की नौकाओं के निर्माण के यार्ड की स्थापना करना, मछियारों व मछली पकड़ने वालों की संस्थाओं को प्रशिक्षण देना, मछली पकड़ने के लिए नदियों झीलों व जलाशयों से लाभ उठाना तथा अनेक कल्याण विषयक योजनायें जैसाकि मछली पकड़ने वालों के लिए स्कूल खोलना, क्वार्टर बनाना, सड़कें बनाना व मछली पालकों के गांवों के लिए

पानी की व्यवस्था करना। 400 यान्त्रिक नावों तथा 16 ट्रालरों के प्रयोग द्वारा पावर फिशिंग पर अधिक बल दिया जाता है।

(ग) चौथी योजना में अन्तर्देशीय तथा समुद्री मछलियों के विकास के लिए 113 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें से 37 करोड़ रुपए केन्द्रीय योजनाओं के लिए तथा शेष 76 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों की मत्स्य विकास योजनाओं के लिए निर्धारित किये गये हैं। इन कच्चे उपबन्धों में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार संशोधन हो सकता है।

(घ) केरल में मछलियों के विकास की योजनाओं के लिए 12·50 करोड़ रुपए की अन्तिम व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत मछली पकड़ने की बन्दरगाहों तथा लोडिंग सैन्टरों के लिए 2·75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन

2998 श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में उत्तर प्रदेश की सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अल्पकालीन ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हां। ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	(रुपये लाखों में)
उर्वरक विपणन	195·69
उर्वरकों के लिये तकावी ऋण	200·00
कीटनाशक दवाईयां	32·83
बीज	200·00
कुल :	628·52

उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परियोजनाएं

2999. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी केन्द्रीय कृषि अनुसंधान परियोजनाएं चालू हैं; और

(ख) 1966–67 में इन परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी का उत्पादन

3000 श्री अगाड़ी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 1955 से अब तक विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न चीनी कारखानों में चीनी का राज्यवार कितना वार्षिक उत्पादन हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि चीनी कारखानों को वर्तमान मशीनों के मूल्य पर पुनः संस्थापन की लागत से अवक्षयण मूल्य काटने की अनुमति दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कटौती की अनुमति दी जाती है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1955–56 से 1966–67 (7 जून, 1967 तक) की फसलों की अवधि में राज्य वार चीनी के उत्पादन का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 715–67]**

(ख) मशीनों के लिखित मूल्य पर अवक्षयण मूल्य काटने की अनुमति दी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ने की खेती

3001. श्री अगाड़ी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से अब तक राज्यवार प्रति वर्ष कुल कितने एकड़ क्षेत्र में गन्ने की खेती की गई और उसकी कितनी उपज हुई।

(ख) क्या चीनी की मांग को पूरी करने के लिये गन्ने की खेती का क्षेत्र तथा उसकी उपज को बढ़ाना संभव है : और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1965–66 गन्ने की खेती के क्षेत्रफल तथा उत्पादन के आंकड़े विवरण संख्या 1 में दिये गये हैं। 1966–67 के गन्ने की खेती के क्षेत्रफल के केवल प्रारम्भिक आंकड़े उपलब्ध हैं तथा विवरण संख्या 2 में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 716/67]**

(ख) जी, हां, किन्तु प्रति यूनिट क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि अधिक अच्छी समझी जाती है।

(ग) प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों में 1948–49 से राज्यों में गन्ना विकास योजनाएं चालू की गई है। केन्द्रीय सरकार इन राज्यों को स्वीकृत सहायता पद्धति के अनुसार इन योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देती है। अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले राज्यों के चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने की सघन खेती की योजनाएं चालू की गई हैं और चौथी पंच-वर्षीय योजना काल में इस कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है।

Rasra Cooperative Sugar Mill

3002. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 498 on the 2nd March, 1965 and state :

(a) whether any decision has since been taken in regard to granting licence to the Rasra Cooperative Sugar Mill which has been under consideration of Government for the last five years ;

(b) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) (a) Not yet, Sir.

(b) Due to limited rupee resources, there is difficulty in the establishment of sugar factories already licensed. Therefore, the case of Rasra cooperative along with others will be considered after a solution to the problem of finance has been found, and it is decided to license more factories,

उड़ीसा में जोत वाली भूमि

3003. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री ख० प्रधानी :**
श्री घुलेश्वर मीना **श्री हीरजी भाई**

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में पिछले एक वर्ष में रेल्वे से कोई जोत वाली भूमि ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :—(क) और (ख) पूछी गई जानकारी उड़ीसा सरकार से इकट्ठी की जा रही है और उनसे मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा के भूबन्धक बैंक

3004. **श्री घुलेश्वर मीना :** **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के लिए ऋण तथा ऋणपत्र जारी करने के लिये उड़ीसा के भूबन्धक बैंकों का कार्यक्रम क्या है ;

(ख) क्या वर्ष 1966-67 में इन बैंकों को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी : (क) 1967–68 के लिये स्वीकृत कार्यक्रम 1 करोड़ रुपए का है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा 5 लाख रुपए का ग्रामीण ऋण–पत्र कार्यक्रम भी सूचित किया गया है।

(ख) व (ग) : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को भूमि बन्धक बैंकों के ऋण–पत्रों, जो कि एकमात्र लघु सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने थे, में धन लगाने के लिए 10 लाख रुपए की ऋण सहायता देने की पेशकश की थी। इस सहायता का उपयोग नहीं किया गया।

सहकारी खेती

3005. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई।

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में उड़ीसा के प्रत्येक जिले में सहकारी खेती सम्बन्धी कितनी अग्रिम परियोजनाएं स्थापित की गई ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक जिले में इन परियोजनाओं में चावल का प्रति एकड़ औसत उत्पादन कितना हुआ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बीजों तथा उर्वरकों के लिए अल्पकालिक ऋण

3006. श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीरामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के लिए उन्नत बीजों तथा उर्वरकों के क्रम तथा वितरण के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कितनी राशि का अल्पकालिक ऋण मांगा गया था; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967–68 की अवधि में उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय उर्वरक भण्डार से खरीदे गये उर्वरक के 50 प्रतिशत भाग के लिए 53·46 लाख रुपए तथा सर्व श्री हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से खरीदे जाने वाले उर्वरक के 50 प्रतिशत भाग के लिए 50-50 लाख रुपए के अल्पकालीन ऋण के लिए प्रार्थना की है।

(ख) 53·46 लाख रुपए का अल्पकालीन ऋण मंजूर कर दिया गया है। नियमों के अनुसार केन्द्रीय उर्वरक भण्डार के अतिरिक्त अन्य स्थान से खरीदे जाने वाले उर्वरक के लिए अल्पकालीन ऋण नहीं दिया जा सकता। फिर भी राज्य सरकार से उसकी 50·50 लाख रुपए

के ऋण की मांग के विषय में जानकारी मांगी गई है। उत्तर प्राप्त होने पर ही निर्णय किया जायेगा।

प्रादेशिक मुर्गीपालन केन्द्र, भुवनेश्वर

3007. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में भुवनेश्वर स्थित प्रादेशिक मुर्गीपालन केन्द्र को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भुवनेश्वर स्थित प्रादेशिक मुर्गीपालन फार्म सीधा भारत सरकार के प्रशासकीय नियन्त्रण में कार्य कर रहा है।

(ख) 1966-67 के दौरान खर्च का अस्थायी ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1.	अफसरों का वेतन	6,840 रुपये
2.	सिब्बन्दी का वेतन	36,815 रुपये
3.	भत्ता तथा हानरेरियम	21,355 रुपये
4.	अन्य चार्जेज	17,949 रुपये
5.	मुर्गी की खुराक	1,39,982 रुपये
	कुल :—	2,22,941 रुपये

कलकत्ता स्थित पटसन विकास क्षेत्रीय कार्यालय

3008. श्री स० मो० बनर्जी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित पटसन विकास क्षेत्रीय कार्यालय में काम करने वाले 77 कर्मचारियों को 1 जून 1967 से सेवामुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें अन्य नौकरी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : कार्यालय के उन 77 सदस्यों को, जो पटसन के उत्पादन-मूल्य के सर्वेक्षण हेतु बनाई गई तदर्थ योजना के अधीन कार्य कर रहे थे, योजना की स्वीकृति की समाप्ति पर 31 मई, 1967 से सेवानिवृत कर दिया गया था। सेवानिवृत सदस्यों के नाम गृह मन्त्रालय तथा खाद्य और कृषि मन्त्रालय के संलग्न व अधीनस्थ कार्यालयों के पास भेजे गये हैं ताकि उनकी

योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके लिए वैकल्पिक रोजगार दिया जा सके ।

भारत–जर्मन पैकेज कार्यक्रम

3009. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागवानी तथा अन्य परियोजनाओं सम्बन्धी भारत–जर्मन पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने विशेषज्ञों को भारत आने के लिये आमन्त्रित किया गया है; और

(ख) भारत में कितने समय तक तथा किस किस स्थान पर उन्होंने काम किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : भारत–जर्मन कृषि विकास परियोजनायें इस समय कृषि विकास के लिए हिमाचल प्रदेश के मण्डी तथा कांगड़ा के जिलों में और मद्रास के नीलगिरीज में चलाई जा रही है । बागवानी का विकास भी इस कार्यक्रम का एक भाग है ।

उपरोक्त परियोजनाओं में लगे विशेषज्ञों, तकनीकियों के नाम आदि और दत्त कार्य की अवधि सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है, सभा–पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 717/67**] इन विशेषज्ञों/तकनीकियों के दत्त कार्य की अवधि 6 महिने से 5 वर्ष तक है ।

आगरे में ताजमहल पर पुंज प्रकाश

(फ्लड लाइट)

3010. श्री यशपाल सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री रामावतार शास्त्री
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री आत्म दास :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल पर पुंज प्रकाश (फ्लड लाइट) की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इस परियोजना को आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : ताजमहल में प्रकाश की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और उस आने वाली लागत का अनुमान लगाया जा रहा है ।

(ग) ऐसा विचार है कि प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि वह चांदनी के प्रकाश के समान प्रतीत हो ताकि जो यात्री नैसर्गिक चांदनी के प्रकाश के समय ताजमहल देखने नहीं जा सकते हैं, उन्हें इस बात का कुछ ज्ञान हो सके कि चांदनी के प्रकाश में ताजमहल की छटा कैसी होती है ।

अकाल-ग्रस्त गांवों को अपनाना

3011. श्री अगाड़ी :
श्री रामपुरे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के बेलारी जिले ने बिहार के कुछ अकालग्रस्त गांवों को वहां की जनता को सहायता देने के लिये अपना लिया है ।

(ख) यदि हां, तो अब तक कौन कौन से गांव अपनाये गये हैं और अब तक उन्हें नकदी के रूप में तथा अन्य रूप में कितनी सहायता मिली है ;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य ने भी इस उदाहरण का अनुसरण किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) से (घ) : बिहार अकाल सहायता कोष के लिये धन तथा वस्तुएँ एकत्रित करने के लिये मैसूर राज्य के बेलारी जिले में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है । इस समिति के संस्थापकों का विचार है कि एकत्रित किये गये धन तथा वस्तुओं का उपयोग सामान्य पूल में जमा न करके बिहार के अकालग्रस्त क्षेत्रों कुछ चुने हुए गाँवों के लिये किया जाये । क्यों कि इससे बेलारी के लोगों में यह भावना रहेगी कि वे बिहार सहायता कार्यक्रम में प्रत्यक्ष भाग ले रहे हैं । संग्रह अभी तक किया जा रहा है तथा संस्थापकों द्वारा बिहार सरकार के परामर्श से अभी गाँवों का चुनाव किया जाना है ।

बिहार सरकार से इस बात का पता लगाया गया है कि उसे अब तक इस बारे में मैसूर अथवा किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

Panchayati Raj Legislation and Elections

3012 : Shri Y. S. Kushwah :- Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 491 on the 4th April, 1967 and state:

(a) whether the States where now Panchayati Raj legislations were not framed for the establishment of three-tier autonomous administration have since framed such legislation; and

(b) whether in the States in which fresh elections were not held and Panchayati Raj not established have since held elections for Panchayati Raj ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupada Swamy) : (a) and (b) : No, Sir.

त्रिवेन्द्रम स्थित टेपिओका अनुसन्धान केन्द्र

3013. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम स्थित टेपिओका अनुसन्धान केन्द्र के कार्य-संचालन के बारे में समाचार पत्रों में की गई प्रतिकूल टिप्पणी की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच की गई है; और

(ग) इस अनुसंधान केन्द्र के कार्य में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ । 'जनायुगम' के 15 मई 1967 के संस्करण में सेन्ट्रल ट्यूबर क्राप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, त्रिवेन्द्रम के विषय में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

(ख) जांच करने पर आरोप गलत सिद्ध हुए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय पशुपालन फार्म

3014. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्रीय पशुपालन फार्म आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ।

(ख) क्या यह फार्म स्थापित करने के लिए केरल राज्य में कुछ क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है ।

(ग) यदि हाँ, तो किन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है; और

(घ) क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों का निरीक्षण किया—

1. थालामाना एस्टेट, कालीकट जिला;
2. पूकाडू—कालीकट जिला;
3. दाविनहाल—कैन्नानोर जिला;
4. चन्दना रोड—कैन्नानोर जिला;
5. कवियार मनुपुरम—जिला त्रिवेन्द्रम;

6. अतापड्डी ट्राइबल ब्लाक—पलघाट जिला तथा

7. उपरोक्त (6) में लिखित क्षेत्र से लगभग 5 मील अविकसित जंगल क्षेत्र

(घ) पशुओं की विदेशी प्रजातियों के लिए एक केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए इन क्षेत्रों को उपयुक्त नहीं समझा गया। केरल सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह और कोई उपयुक्त क्षेत्रों का सुझाव दे।

अधिनियमों के हिन्दी पाठ

3015. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हारजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **विधि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी अधिनियमों के प्रामाणिक हिन्दी पाठ तैयार किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस विधि के अधीन :

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा. रा. चव्हाण) : (क) और (ख) : राजभाषा (विधायी) आयोग को, जो संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (6) के अधीन किये गये अपने तारीख 27 अप्रैल, 1960 के आदेश में राष्ट्रपति द्वारा निकाले निदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के संकल्प द्वारा गठित हुआ है, अन्य बातों के साथ-साथ सभी केन्द्रीय अधिनियमों के प्रामाणिक पाठ हिन्दी में तैयार करने का काम सौंपा गया है। आयोग केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तत्प्रयोजनार्थ बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार तैयार करता है। ये हिन्दी अनुवाद, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) के अधीन, जो कि 10 जनवरी, 1965 से प्रवृत्त हुई थी, शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित किये जाते हैं। ऐसे प्रकाशन पर वे सम्पृक्त केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी में प्रामाणिक पाठ बन जाते हैं।

Acquisition of Land for Cooperative Housing Schemes

3016. Shri Valmiki Choudhary : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the acreage of land acquired by the Central Government for the purpose of various Government Cooperative housing schemes during the last five years; and

(b) the extent to which food production has been adversely affected thereby ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b) : The information is being collected and will be placed on the table of the House.

Regional Director of Food

3017. Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri O. P. Tyagi : **Shri T. P. Shah :**
Shri N. S. Sharma :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to part (d) of Unstarred Question No. 5706 on the 17th May, 1966 regarding Regional Director of Food and State :

(a) whether any report has since been received from the Special Police Establishment regarding Harduaganj, Delhi, Kanpur and Meerut Depots;

(b) if so, whether any prima facie case has been established with regard to these depots also; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay in the submission of the report ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) to (c) : The investigations at present being conducted by the Special Police Establishment relate only to the Central Storage Depot, Agra. These are nearing completion. Investigations regarding the Central Storage Depots, Harduaganj, Delhi, Kanpur and Meerut will be taken up by the Special Police Establishment after completion of the investigations relating to the Central Storage Deopt, Agra.

उड़ीसा में खेती का नया तरीका

3018. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किये गये खेती के नये तरीके के अन्तर्गत उड़ीसा में कितनी योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी ।

(ख) 1967-68 में इस कार्य के लिए उड़ीसा के लिए कितना धन नियत किया गया है ।

(ग) प्रत्येक योजना के लिए पृथक-पृथक कितना धन नियत किया गया है; और

(घ) खेती के इस नये तरीके के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए कृषि का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) खेती के नये तरीके के उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही मुख्य योजना, अधिक उपज देने वाली किस्म फसलों की खेती का कार्यक्रम है । यह योजना आरम्भ करने का अभिप्राय यह है कि राज्य में सिंचाई की व्यवस्था अथवा पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में ताइचुंग नेटिव1 धान, मेक्सिन गेहूँ तथा संकर बाजरा और ज्वार आदि की अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती की जाये ।

1967-68 के आरम्भ से एक ही भूखण्ड में एक से अधिक फसलें बोने के लिए विभिन्न फसलों की खेती करने का कार्यक्रम चालू किया गया है ।

लगातार गत दो वर्षों में सूखे के कारण अत्यन्त कठिन खाद्य समस्या को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा में रबी की फसल की कटाई तथा अगली खरीफ की फसल की बोआई के बीच की अवधि में अल्पकाल में पैदा होने वाली फसलों के उत्पादन का कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया था । यह योजना पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था वाले क्षेत्रों में आरम्भ करने का विचार है ।

(ख) और (ग) इन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित बीज, उर्वरक, कीटनाशी आदि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों अथवा विभागों के माध्यम से इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले किसानों को अल्पकालीन ऋण दिये जायेंगे । 1967-68 में इस कार्य के लिए अपेक्षित धन के बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

जहाँ तक ऋणों से भिन्न व्यय का सम्बन्ध है केवल एक मद है अर्थात् अधिक उपज देने वाली किस्म की फसलों की खेती के जिस कार्यक्रम के लिए 75 प्रतिशत धन केन्द्रीय सरकार देती है और शेष 25 प्रतिशत की व्यवस्था राज्य सरकार करती है उसके लिये चुने गये जिलों में जिला स्तर तथा खण्ड स्तर पर अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करना है। 1967–68 के लिए राज्य सरकार अनुदान की कितनी राशि मांगेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अधिक पैदावार देने वाली फसलों के कार्यक्रम वाले जिलों में वास्तव में कितने कर्मचारी नियुक्त किये हैं।

(घ) इन कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं—

(1) अधिक उपज देने वाली फसल कार्यक्रम

(क्षेत्रफल '000 एकड़ों में)

फसल	1967 की खरीफ का लक्ष्य	1967–68 का रबी/ग्रीष्म लक्ष्य	कुल
धान	220	140	360
बाजरा	12	8	20
ज्वार	3	0·1	3·1
गेहूँ	—	5	5
	235	153·1	388·1

(2) विभिन्न फसल कार्यक्रम

राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 लाख एकड़ भूमि में खेती करना मान लिया है। राज्य सरकार ने राज्य-वार तथा फसलवार जानकारी अभी तक नहीं दी है।

(3) अल्पकालिक फसल कार्यक्रम

65,000 एकड़ भूमि में पिछली रबी की फसल की कटाई तथा आगामी खरीफ की फसल की बोआई की अवधि में धान, रगी तथा तिल की खेती करने की योजना है।

Requirement of Seeds

3020. Shri K.M. Madhukar :

Shri R. Shastri :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have assessed the requirement of improved seeds in the country;

(b) if so, the quantity of improved seeds required in the country at present and the quantity available;

(c) whether it is a fact that improved seeds are not supplied in time to the agriculturists; and

(d) if so, the action Government propose to take to ensure the supply of improved seeds to the farmers in time ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) and (b) : The Working Group set up for

the formulation of Proposals on Improved Seeds for the Fourth Five Year Plan had assessed the annual average requirement of improved seeds of certain selected foodgrain crops as under:—

Name of Crop		Annual Requirement (in tons)
Paddy	...	2.25,291
Wheat	...	1,94,776
Jowar	...	28,944
Bajra	...	63,684
Ragi	...	3,103
Barley	...	17,679
Gram	...	67,652
Tur	...	3,365

Annual average Requirements of improved seeds Cotton, Jute, Oil seeds, Potatoes and Vegetables are estimated as follows:—

Name of Crop		Annual Requirement (in tonnes)
Cotton	...	23,440
Jute	...	2.358
Oilseeds,		
Brasica	...	112
Groundnut	...	36,830
Castor	..	743
Sesamu	..	93
Rape seed–Mustard	..	168
Lineseed	..	2,196
Safflower	..	600
Soyabean	..	188
Potatoes	..	2,00,000
Vegetable Seeds	...	13,000

The requirements of seeds for achieving the target of 15 million acres under the high-yielding varieties programme during 1967-68 are as under:—

Name of Crop		Quantity Required (in lakh tons)
Paddy	..	0·750
Wheat	..	1·050
Maize	..	0·110
Jowar	..	0·102
Bajra	..	0·018

The country is generally self-sufficient in its requirements of improved seeds.

(c) and (d) : Seeds are distributed in time and State departments of Agriculture, who are concerned, ensure this by taking every possible step.

Irrigated Area in Madhya Pradesh :

3021. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 783 on the 30th May, 1967 and state :

(a) the reasons for which less area of land has been irrigated in Madhya Pradesh as compared to that irrigated in Gujarat in spite of the fact that there are more tubewells in Madhya Pradesh as compared to Gujarat; and

(b) whether any steps are being taken to make up the deficiency ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Shahib Shinde) : (a) and (b) The total number of State tube-

wells including exploratory tubewells in Madhya Pradesh and Gujarat is 66 and 649 respectively. The area irrigated by the State tubewells working during 1965-66 was 8371 acres and 70,475 acres respectively. More area was irrigated in Gujarat because it has a larger number of tubewells, than Madhya Pradesh. The reply to part (b) and (c) of Unstarred Question No. 783 referred to exploratory wells only and while the number of exploratory wells was less in Gujarat, it had a larger number of production tubewells on the whole.

Drilling Rig Machines Supply to Bihar

3022. Shri K.M. Madhukar :
Shri R. Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of drilling rig machines supplied to the Bihar Government are lying idle; and

(b) if so, the arrangements being made to keep these machines energised ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) and (b) : The Exploratory Tubowells Organisation under the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation initially diverted of its drilling rigs to Bihar for minor irrigation purposes. None of the rigs of the Exploratory tubewells Organisation is lying idle. One more rig has also been recently diverted to Bihar by that Organisation.

According to the latest information received from the State Government at present 111 rigs are deployed on drinking water schemes and 14 are lying at the sites awaiting to be commissioned shortly.

ग्वालियर में पर्यटन केन्द्र

3024. श्री आत्म दास : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है : और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र किस स्थान पर होगा तथा कब तक स्थापित हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, नहीं । भारत सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नौभरक के रूप में काम करने वाले निकोबारी लोग

3025. श्री रा० कृ० सिंह : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में निकोबार के आदिम जातियों के कितने व्यक्ति नौभरकों के रूप में कार्य करते हैं,

(ख) क्या उन्हें वही मजूरी तथा अन्य सुविधायें प्राप्त हैं जो अन्दमान श्रमिक नोभरण दल के मजदूरों को मिलती है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) यदि हां, तो उनकी मजदूरी की दरें क्या हैं तथा उन्हें क्या क्या सुविधायें मिलती हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) निकोबारी लोग केवल कारनिकोबार में नौभरण के काम में लगाये जाते है । इनकी संख्या प्रतिदिन के काम की मात्रा पर निर्भर करती है । जब पोत पत्तन में होता है तब सामान्यतया एक सौ से डेढ़ सौ मजदूर लगाये जाते हैं ।

(ख) और (ग) निकोबारी नौभरक मजदूरों को कारनिकोबार में आदिम जाति मुखियाओं द्वारा तय की हुई मजदूरी तथा अन्य रिआयतें दी जाती हैं । उन्हें अन्दमान लेबर फोर्स स्टीवेडोर वर्कर को मिलने वाला वेतन तथा अन्य रियायतें नहीं दी जाती हैं क्योंकि उनके काम की दशायें विभिन्न प्रकार की हैं और अन्दमान लेबर फोर्स स्टीवेडोर वर्कर द्वारा प्राप्त नियतकालीन वेतन मान उन्हें नहीं दिया जाता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में इमारती लकड़ी का भण्डार

3026. श्री रा० कृ० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न विभागों तथा कारखानों के यार्डों में इस समय कुल कितनी इमारती लकड़ी जमा पड़ी है ;

(ख) 1966-67 में मुख्य भूमि में कितनी इमारती लकड़ी भेजी गई ;

(ग) क्या अक्तूबर, 1966 में एक गैर-सरकारी फर्म ने पोर्ट ब्लेयर में जहाज भाड़ा सहित मूल्य पर 2,000 टन इमारती लकड़ी खरीदने का प्रस्ताव अन्दमान प्रशासन को दिया था,

(घ) क्या प्रस्ताव स्वीकार किया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) मई 1967 के अन्त तक अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के विभिन्न केन्द्रों तथा कारखानों में 11,093 टन इमारती लकड़ी जमा पड़ी थी ।

(ख) 1966-67 की अवधि में 15,283 टन इमारती लकड़ी भारत भेजी गई ।

(ग) से (ङ) : अक्तूबर 1966 में किसी गैर-सरकारी फर्म ने पोर्ट ब्लेयर से जहाज भाड़ा सहित मूल्य पर 2,000 टन इमारती लकड़ी खरीदने का प्रस्ताव अन्दमान प्रशासन को नहीं दिया था । हां, सर्वश्री वैद्य एण्ड सन्स, कलकत्ता से जनवरी 1967 मे जहाज भाड़े सहित 2,000 टन गुरजान, पादोक तथा कुछ प्लाई के तख्तों के विषय में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वह फर्म जहाज भाड़े सहित प्लाई के तख्ते खरीदने की हकदार नहीं है । अन्दमान निकोबार प्रशासन के मुख्य आयुक्त ने फर्म को सूचित कर दिया था कि यदि आवश्यक समझे तो वह (फर्म) अपनी आवश्यकताओं के लिए कलकत्ता तथा मद्रास के अन्दमान सरकार के इमारती लकड़ी के गोदामों से खुले नीलाम में भाग लेकर लकड़ी खरीद सकती है ।

Incorrect Use of Pesticides at I.A.R. Centre, Pusa (Bihar)

3027. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that paddy-produced at Indian Agricultural Research Centre, Pusa (Bihar), is consumned as food instead of being utilised as seed;

(b) whether it is also a fact that the yield has declined considerably this year on account of incorrect use of pesticides being made at present for the cultivation of hybrid maize at the Bihar Research Centre; and

(c) the action taken against the persons responsible or the incorrect use of pestidides ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) to (c) : The information called is being collected and will be placed on the table of the house in due course.

दिल्ली में चोरी छिपे लाया गया अनाज

3029. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चोरी छिपे लाया गया अनाज दिल्ली में बहुत उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) चोरी छिपे अनाज का लाना ले जाना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Direct Purchase of Foodgrains by one State from Another State

3030 **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shive Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Gopal Shalwale ;
Shri Yashpal Singh :
Shri S.C. Jha :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have permitted Bihar Government to purchase foodgrains from other States to meet their demand;

(b) if so, from which States;

(c) whether the similar facility has been extended to other States which are deficit in food;

(d) The extent to which the food problem of the States would be solved by according such permission;

(e) Whether Government before giving permission, have ensured that those States which would supply foodgrains to other States would not become deficit in food; and

(f) If so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) and (b) : In view of the acute drought condition in Bihar and the fact that no rice is being allotted to Bihar, the State Government approached us with the request that, if they were able to locate surplus stocks specially of rice in any State and the State concerned agreed to give that stock to Bihar, the Centre may give permission for the movement of such foodgrains to Bihar. The Bihar Government has been informed that if such stock were over and above the commitment of that State to the Central pool, permission would be given to Bihar Government to purchase such stocks.

(c) No, Sir.

(d) The quantities of foodgrains likely to be available in the surplus States over and above their commitments to the Centre are not significant enough to ease materially the food problem in the deficit States.

(e) and (f) : Permission is given only after the exporting States indicate the quantities of foodgrains offered which are surplus to their requirements.

Extraction of Sugar from Sugarcane

3031. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shive Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Onkar Lal Berwa :
Dr, Surya Prakash Puri :
Shri Achal Singh :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agricultural scientist has discovered a method to extract 25 percent more sugar from sugarcane;

(b) if so, the detatls thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minisrer of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) : No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

राज्यों को अनाज के लिए राज सहायता

3032. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 और 1966-67 में विभिन्न राज्यों को अनाज के लिये राज-सहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) विभिन्न राज्यों को (एक) कृषकों के लिये बोनस और (दो) अनाज के लिये राज-सहायता शीर्षों के अन्तर्गत इस वर्ष अब तक कितनी राशि दी जा चुकी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) किसी राज्य को ऐसी कोई राजसहायता नहीं दी जाती है, तथापि इस समय विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय भण्डार से अनाज रियायती दर पर दिया जाता है ।

(ख) (एक) इस वर्ष अब तक किसानों को कोई लाभांश नहीं दिया गया है।

(दो) प्रश्नके भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पटना हवाई अड्डा

3033. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना हवाई अड्डा अब भी वाइकांउट विमानों तथा इस प्रकार के अन्य विमानों के उतरने के लिये अनुपयुक्त है ;

(ख) क्या इस कारण फोकर तथा वाइकांउट विमान सेवाओं में अनेक बार अव्यवस्था हुई है ;

(ग) क्या पटना हवाई अड्डे का विकास तथा विस्तार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, पटना हवाई अडडा वाइकाउन्ट किस्म के विमानों के प्रयोग के योग्य है।

(ख) जी नहीं,

(ग) से (ङ) चूंकि पटना हवाई अड्डा वाइकांउन्ट किस्म के विमानों द्वारा प्रयोग किये जाने योग्य है, अतः और विकास कार्य आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मरुस्थल विकास बोर्ड

3034. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त मरुस्थल विकास बोर्ड ने राजस्थान, गुजरात तथा पंजाब के शुष्क क्षेत्रों का समंकित विकास करने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित करने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) मरुस्थल विकास बोर्ड की स्थापना हो चुकी है परन्तु अभी तक मरुस्थल विकास बोर्ड के निदेशक तथा तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति न होने के कारण बोर्ड ने कार्य शुरु नहीं किया है। इन अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

(ख) **और** (ग) ; प्रश्न ही नहीं उठते।

ऊदविलाव पालन

3035 **श्री शि० चं० झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अमरीका सरकार से ऊदविलाव पालन के लिये तकनीकी जानकारी मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो अमरीका सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ब्रह्मपुत्र के रास्ते यातायात

3036. **श्री आत्म दास :**

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अपने राज्यक्षेत्र में से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते पश्चिमी बंगाल और आसाम के बीच यातायात की अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने इस संबंध में भारतीय व्यापारियों की सुरक्षा का कोई आश्वासन दिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० कार० वी० राव) (क) पच्छिम बंगाल और आसाम के बीच ब्रह्मपुत्र में नदी सेवा के पुनः चलाये जाने की इच्छा प्रकट करने का कोई भी प्रस्ताव पाकिस्तान सरकार से भारत सरकार को नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्रीय अनुदान

3037. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों, लघु सिंचाई, मशीनों तथा तकनीकी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश को 1967–68 के लिए कितनी राशि के केन्द्रीय वार्षिक अनुदान दिये गये हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश की गई आवश्यकताओं को यह केन्द्रीय सहायता कहां तक पूरा करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : 1967–68 की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के लिए कृषि योजनाओं के वास्ते केन्द्रीय अनुदान के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है।

खाद्यान्नों के लिये केन्द्रीय गोदाम

3038. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार खाद्यान्न जमा करने के लिये कितने केन्द्रीय गोदाम हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ गोदामों को बन्द करने का है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) 15 जून 1967 को इन गोदामों में कितना खाद्यान्न था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विवरण इस प्रकार हैं :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय भण्डारों की संख्या
आसाम	8*
आन्ध्र प्रदेश	8*
बिहार	18
दिल्ली	3*
गोआ	1
गुजरात	5
केरल	11
महाराष्ट्र	9
मद्रास	9
मध्य प्रदेश	28
मैसूर	1
उड़ीसा	4
पाण्डिचेरी	1
पंजाब	5
राजस्थान	5
उत्तर प्रदेश	13
पश्चिम बंगाल	14
त्रिपुरा	28

(ख) और (ग) गुजरात में किराये पर लिया गया एक भण्डार छोड़ने का विचार है क्योंकि यह अनाज संग्रह करने के लिये अनुपयुक्त पाया गया है।

(घ) अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, यह जानकारी प्राप्त की जारही है और प्राप्त हो जाने पर सभापटल पर रख दी जायेगी।

*भारतीय खाद्य निगम के भण्डार भी सम्मिलित है।

जहाज भाड़ा और निर्यात संवर्द्धन

3039. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय निर्माता संघ द्वारा जहाज भाड़ा और निर्यात संवर्धन संबन्धी अध्ययन के आधार पर हाल में प्रकाशित पुस्तक की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा निर्यात संवर्धन के लिये भाड़े की दरों में कमी करने अथवा राजसहायता देने के लिये यदि कोई कार्यवाही करने का विचार किया गया है तो वह क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) और (ख) : नौवहन भाड़ा और निर्यात तरक्की पर अखिल भारतीय निर्माता संगठन द्वारा किया गया अध्ययन भारत सरकार का 17–6–67 को प्राप्त हो गया है और परीक्षणाधीन है ।

उड़ीसा द्वारा पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई

3040. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उड़ीसा सरकार के साथ उस 75,000 टन चावल के अतिरिक्त जो पहले उड़ीसा से पश्चिम बंगाल में भेजा गया था 30,000 टन और चावल खरीदने के लिये सीधे करार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने इस अतिरिक्त मात्रा में चावल पश्चिम बंगाल को बेचने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी थी ;

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने उड़ीसा को चावल की इस अतिरिक्त सप्लाई के लिये कितना अधिक मूल्य दिया है ;

(घ) क्या सरकार को यह भी पता है कि बिहार सरकार ने 25,000 टन धान के बीज उड़ीसा से सीधे खरीदने का निश्चय किया है ; और

(ङ) क्या उड़ीसा सरकार ने पश्चिम बंगाल तथा बिहार को सप्लाई किये गये चावल तथा धान की इस अतिरिक्त मात्रा के बदले उड़ीसा को उतनी ही मात्रा में गेहूं सप्लाई की जाने की मांग की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार की जानकारी में इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को उड़ीसा से 20,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का अधिकार दिया है ।

(ङ) जी, नहीं ।

राष्ट्रीय सहकारी कालेज तथा अनुसन्धान संस्था, पूना

3041. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सहकारी कालेज तथा अनुसन्धान संस्था, पूना में प्रशिक्षण लेने वाले लोगों की संख्या में 1966-67 में बहुत कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) राष्ट्रीय सहकारी कालेज तथा अनुसन्धान संस्था, पूना में प्रशिक्षण पाने वाले लोगों की कुल संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा 1966-67 में मामूली सी कमी हुई है । यद्यपि वरिष्ठ अधिकारियों के पाठ्यक्रम में उपस्थिति घटी है, तो भी इस संस्था द्वारा चलाए जाने वाले सेमीनार किस्म के पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या गत वर्ष से बढ़ी हैं ।

(ख) सहकारी संस्थाओं ने गत वर्ष की अपेक्षा 1966-67 में वरिष्ठ अधिकारियों के पाठ्यक्रम के लिए कम व्यक्ति प्रतिनियुक्त किए ।

Sugar Mills in Bihar

3042. **Shri R. Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the total number of sugar mills in Bihar and the total number out of them which are functioning at present;

(b) the quantity of sugar produced by such sugar mills during 1966-6 and the States to which sugar produced in these mills was supplied; and

(c) whether the sugar produced in Bihar was also exported and if so, the quantity thereof and the amount of foreign exchange earned by Government therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) : There are 29 sugar mills in Bihar, all of which have functioned during the current crushing season 1966-6 .

(b) : 2,11,061 tonnes of sugar has been produced from these mills. This is being allotted to the States of Bihar, West Bengal, Assam and Nagaland and the Union territories of Manipur and Tripura,

(c) : No sugar has been exported out of that produced by factories in Bihar during 1966-67.

गैर-सरकारी फेरी वालों को दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बिक्री

3043. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : **श्री ना० स्व० शर्मा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की सूचनाएं मिली हैं कि दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ डिपूओं पर दूध अधिक मूल्य पर गैर-सरकारी फेरी वालों को बेचा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) दूध उन ग्राहकों को बेचा जाता है जिनको योजना द्वारा दूध टोकन जारी किए गए हैं। कभी-कभी शिकायतें मिलती हैं कि दूध अधिक मूल्य पर गैर-सरकारी फेरी वालों को बेचा जाता है।

(ख) यदि ये शिकायतें ठीक सिद्ध होती हैं तो डिपो स्टाफ के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है जिसमें सेवा-समाप्ति भी शामिल है।

राजस्थान का रेगिस्तान

*3044. श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा क्षेत्र कितना बढ़ा है ; और

(ग) इस दिशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से इसका विस्तार कितना रुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का थैलो डेज़र्ट से अभिप्राय राजस्थान के रेगिस्तान से है। पश्चिमी भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र (जिसे शुष्क क्षेत्र कहा जाता है) का कुल क्षेत्रफल 3,12,000 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र का 63 प्रतिशत भाग राजस्थानी रेगिस्तान के अन्तर्गत आता है। अब तक हुए अनुसन्धानों से रेगिस्तान के विस्तार होने का पता नहीं चलता।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Report of Agricultural Prices Commission

3045. Shri Madhu Limaye :
Shri Kameshwar Singh :
Shri Rabi Ray :
Shri S. M. Joshi :
Shri Sequeira :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of reports submitted by the Agricultural Prices Commission to Government since its inception;

(b) the number of reports out of them published so far and the number of reports whose extracts have been published:

(c) whether Government would lay all these reports on the Table of the House; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) and (b) : The Agricultural Prices Commission has submitted 14 reports to Government on price policy for different agricultural commodities since its inception. Of these, two reports have been published and laid on the Table of the Sabha and four reports are in the Press and will be sent to the Parliament Library as soon as printed copies are received.

(c) and (d) : The question of laying these Reports on the Table of the Sabha is under the consideration of Government.

कमालपुर (मैसूर राज्य) में चीनी का कारखाना

3046. **श्री अगाड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य की सरकार मैसूर राज्य में बेलारी जिले के कमालपुर में चीनी का एक कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये जाने के लिये 1961 से अब तक सिफारिश करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला अब किस प्रक्रम पर है ; और

(ख) मंजूरी देने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अभ्यावेदन की जांच करने पर इस बात का सन्देह हुआ कि वहां पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिलेगा; तथापि अभ्यावेदन मिलने पर यह मामला पुनर्विचार के लिये रखा गया और उस पर तब विचार किया जायेगा जब और चीनी मिलों के लिये लाइसेंस देने का निर्णय कर लिया जायेगा ।

पश्चिमी रेलवे के भोजन व्यवस्था विभाग के लिये राशन का कोटा

3047. **श्री मनुभाई पटेल :**

श्री अगाड़ी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पश्चिमी रेलवे के भोजन व्यवस्था विभाग को फ्रण्टियर मेल में बम्बई की ओर जाने वाले यात्रियों के लिये राशन का कोई कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित कोटे का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कुछ कोटा निर्धारित कर रखा है, अतः दिल्ली प्रशासन ने रेलवे अधिकारियों से वैयक्तिक विचार विमर्श द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण के लिये कहा था जो कि उन्होंने नहीं किया ।

जापान से चावल मिलों का आयात

3048. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित चावल मिलों की सप्लाई को बढ़ाने के लिये इस वर्ष जापान से मूलतः छः चावल मिलों से अनधिक मिलों का आयात करने का प्रस्ताव था किन्तु अब 24 मिलों का आयात करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पहले वाले निर्णय में परिवर्तन किन कारणों से किया गया है ; और

(ग) भारतीय चावल मिल निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) उत्पादन तथा कार्य आदि का मूल्यांकन करने के लिये पश्चिम जर्मनी तथा जापान से 6 चावल मिलें आयात की गई थीं। बाद में पांचवें 'यन' ऋण के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई निधियां खाद्य निगम द्वारा, आधुनिक चावल मिलों के कार्यक्रम के एक अंग के रूप में स्थापित की जाने वाली 5 'कम्पोजिट' चावल मिलों और 19 तकवों के लिये आधार भूत पुर्जों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिये प्रयोग में लाई गई थी। मूल निर्णय में परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं था।

(ग) इस समय तकनीकी विकास के महा निदेशालय की सूची में आठ निर्माता हैं जो परम्परागत चावल मिलों की मशीनों का निर्माण करते हैं। वे इस प्रकार हैं :—

(1) मैसर्स मद्रास स्टेन्डर्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स, मद्रास –2।

(2) मैसर्स मोडर्न इंजीनियरिंग एण्ड मूल्डिंग कम्पनी, अहमदाबाद –2।

(3) मैसर्स जी० जी० डांडेकर मशीन वर्क्स भिवांडी (जिला थाना)।

(4) मैसर्स बोस ब्रादर्स, हावड़ा।

(5) मैसर्स एस. एम. चोपड़ा एण्ड संस, कलकत्ता।

(6) मैसर्स स्वास्तिक इंजीनियरिंग मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, प्रा० लिमिटेड, बड़ौदा।

(7) मैसर्स बेहड़े इन्डस्ट्रियल वर्क्स, थाना।

(8) मैसर्स एस० सी० दास एंड कम्पनी (पी०) लिमिटेड, हावड़ा।

1961 में 30 लाख रु०, 1962 में 34 लाख रु०, 1963 में 35 लाख रु०, 1964 में 37 लाख रु०, 1965 में 38 लाख रु० और 1966 में 48 लाख रु० के मूल्य के उपकरणों और फालतू पुर्जों का उत्पादन किया गया था। इसके अतिरिक्त छोटे पैमाने के क्षेत्र की भी कुछ फर्में परम्परागत उपकरणों और फालतू पुर्जों का निर्माण कर रही हैं। कुछ निर्माताओं को देश में आधुनिक चावल मिलों के उपकरणों का निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं।

यूरोपीय सांझा बाजार में चीनी का मूल्य

3049. श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री रमानी :**

श्री कं० हाल्दर : **श्री चक्रपाणि :**

श्री भगवान दास : **श्री नायनार :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) यूरोपीय सांझा बाजार में चीनी का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) ब्रिटेन इस समय भारत से किस भाव पर चीनी खरीदता है ; और

(ग) सरकार अमरीका को किस भाव पर चीनी बेचती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) राष्ट्र मण्डल चीनी करार के अन्तर्गत ब्रिटेन सरकार केवल 25,000 टन खरीदने की गारन्टी देती है। 96° के आधार पर 1967 के लिये इसका मूल्य 47–10–0 पौंड प्रति टन है। 1967 में, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तथा राष्ट्रमण्डल अधिमान पर ब्रिटेन को लगभग 53,000 टन की अतिरिक्त मात्रा का भी निर्यात किया जायेगा।

(ग) अमरीका को निर्यात किये जाने वाले माल की बिक्री ठेका समझौता संख्या 10 के तत्काल दिये जाने वाले भावों से सम्बन्धित मूल्य निर्धारण के आधार पर न्यूयार्क कोफी एण्ड शूगर एक्सचेंज इन्कारपोरेटेड न्यूयार्क को की गई थी। मूल्य का पता मूल्य निर्धारण अवधि के अन्त पर अक्टूबर, 1967 में लगेगा।

यंत्रीकृत कृषि फार्म

3050. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कं० हाल्दर :
श्री भगवान दास :
श्री रमानी :
श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :

क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़े यन्त्रीकृत कृषि फार्म कितने हैं; और

(ख) उनमें से कितने फार्म पश्चिमी बंगाल में हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) अभी तक भारत सरकार ने बड़े आकार के 3 यांत्रिक बीज फार्मों की स्थापना की है; जिनमें से 2 राजस्थान (सूरतगढ़ तथा जैतसर) में तथा एक उड़ीसा (हीराकुण्ड जलागार के तटाग्र तथा उपान्त क्षेत्र) में है।

आसाम में देरगांव सहकारी चीनी मिल में चीनी का खराब हो जाना

3051. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में देरगांव सहकारी चीनी मिल में तैयार की गई 10 हजार क्विंटल से अधिक चीनी उनके मंत्रालय से निकासी आदेश (रिलीज आर्डर) न दिये जाने के कारण तरल बन गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) उपरोक्त मिल की कितनी चीनी इस प्रकार खराब होने दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) आसाम में देरगांव सहकारी चीनी मिल में तैयार की गई चीनी की किसी मात्रा के तरल बन जाने की सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। इस कारखाने द्वारा उत्पादित चीनी की अपेक्षित मात्रा के लिये प्रति मास निकासी दी जा रही है।

दिल्ली-गोहाटी विमान सेवाएं

3052. श्री० वि० ना० शास्त्री : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम में परिवहन सम्बन्धी गतिरोध को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से गौहाटी तक सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का है ; और

(ख) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली और गोहाटी के बीच सीधी विमान सेवा के संचालन का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

खाद्यान्नों के आयात का भाड़ा

3053. श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री अब्राहम सुलेमान सेट :

क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 और 1966–67 में खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के आयात के लिये पृथक्–पृथक् कितना भाड़ा बिदेशी मुद्रा में दिया गया, और

(ख) 1967–68 में कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल के लिये भेजे गये अनाज का विशाखापटनम में उतारा जाना

3054. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लिये भेजा गया अनाज इस समय विशाखोपत्तनम में उतारा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कलकत्ता बन्दरगाह में न उतारने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम में अनाज को उतारने के बजाय पारादीप पत्तन का उपयोग करने की संभाव्यता पर विचार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल को आयातित अनाज की अलाटमेंन्ट कलकत्ता पत्तन पर उतरे आयातित अनाज में से की जाती है । क्योंकि हुगली नदी में पानी कम है इसलिये अनाज के जहाजों को कलकत्ता भेजने से पहले उनका भार विशाखापतनम अथवा मद्रास बन्दरगाह पर हल्का कर दिया जाता है ।

(ग) पारादीप पत्तन अभी मुख्यतया जहाजों में लोह-अयस्क चढ़ाने के लिये उपयोगी है । फिर

भी सरकार इस पत्तन में अनाज का एक अथवा दो जहाज लाने की सम्भाव्यता पर विचार कर रही है जिससे मद्रास अथवा विशाखापटनम पत्तनों पर काम हल्का किया जा सके और कलकत्ता पत्तन की ओर जाने वाले जहाजों का भार वहां पर हल्का किया जा सके। पारादीप पतन पर जहाजों के ठहरने के लिये और अन्य सुविधायें इतनी नहीं है कि वहां पर अनाज के अधिक जहाजों का माल उतारा जा सके।

दिल्ली में अन्तर्राज्यीय रोडवेज के टिकटों का काले बाजार में बिकना

3055. **श्री वेदव्रत बरुआ :**—**क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली से चलने वाली अन्तर्राज्यीय रोडवेज की बसों की टिकटें काले बाजार में बेची जा रही है., और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) :—(क) दिल्ली में अन्तर्राज्य बस टरमिनस के यू० पी० रोडवेज काउन्टर पर टिकटों की बिक्री में तथाकथित चोर बाजारी के बारे में परिवहन विभाग, दिल्ली को शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये मामले की रिपोर्ट कर दी है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये नये विमान खरीदने के बारे में 'लाल समिति' और शंकर दल की सिफारिशें

3056. **श्री जार्ज फरनेंडीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा नये विमानों की खरीद के बारे में शंकर दल तथा लाल समिति के प्रतिवेदनों पर विचार कर लिया है;

(ख) क्या इन दोनों प्रतिवेदनों में कोई बुनियादी मतभेद है; और

(ग) इन दोनों प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :—(क) से (ग) वाई काऊंट विमानों को बदलने की दृष्टि से बी० ए० सी 111 डी० सी०–9–10 जो कि उस समय उड़ान कर रहे थे, के वास्तविक संचालन का मूल्यांकन करने और डी० सी० 9–30, बोइंग 737 कैरवैल 10 आर० का सामान्य मूल्यांकन करने के लिये निगम द्वारा इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के तीन अधिकारियों का एक दल विदेश भेजा गया था। दल में शंकर नाम का कोई अधिकारी नहीं था। इस दल के प्रतिवेदन के आधार पर इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने सिफारिश की थी कि वाई काऊंट विमानों को बदलने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का विमान

खरीदा जाना चाहिये। इस सिफारिश पर विचार करते हुए सरकार ने एयर मार्शल पी० सी० लाल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करना उचित समझा जो अन्य बातों के साथ-साथ वाई काऊंट विमानों को बदलने की सर्वोत्तम व्यवस्था पर सलाह देगी और इसके लिये समिति इस बात को ध्यान में रखेगी कि आखिर कैरवैल विमानों को एक दिन बदलना है और निकट भविष्य या बाद में मानकीकरण की अर्थ व्यवस्था कहां तक संभव हो सकती है इसको भी ध्यान में रखेगी। दोनों निकायों के प्रतिवेदनों में मूल्य परस्पर विरोध का प्रश्न नहीं है। पहला निकाय इस धारणा पर चला था कि वाई काऊंट विमानों को बदलना ही होगा और उसने इन विमानों का स्थान लेने वाले उपयुक्त विमान की संभावना का पता लगाया, जबकि दूसरी समिति को जैसा कि ऊपर बताया यह मंत्रणा देने के लिये कहा गया था कि वाई काऊंट विमानों को बदलने की सर्वोत्तम व्यवस्था क्या हो सकती है, इसलिये उसके द्वारा इस प्रश्न पर विचार करने पर रोक नहीं थी कि वाई काऊंट विमानों को कब बदलने की आवश्यकता है।

उर्वरक ऋण समिति

3057. श्री वीरेन्द्र कमार शाह :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री बी० वेंकटावय्या की अध्यक्षता में एक उर्वरक ऋण समिति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इस समिति की स्थापना किन परिस्थितियों के कारण की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी मिलों में लाभ की मात्रा

3058. श्री श्रद्धाकार सूपकार : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी क्षेत्र के चीनी मिलों में लाभ की मात्रा, गैर-सरकारी क्षेत्र के चीनी मिलों में लाभ की मात्रा से प्रायः अधिक होती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं। चीनी के भाव नियत करते समय लगाई गई पूंजी पर 12 प्रतिशत का एक समान लाभ हिसाब में लिया जाता है और सहकारी चीनी मिलों तथा प्राइवेट मिलों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर को खाद्यान्न की सप्लाई

3059. **श्री मेघचन्द्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार चालू वर्ष में मनीपुर सरकार को केन्द्रीय सरकार के निर्गम मूल्य पर कितना खाद्यान्न दे रही है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के चावल और गेहूं के निर्गम मूल्य क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1967 के दौरान सरकार ने अब तक 4000 टन गेहूं और 1300 टन चावल आवंटित किया है।

(ख) चावल	प्रति क्विंटल चावल का मूल्य
मोटा	72·00 रु०
बीच का	84·00 रु०
बढ़िया	94·00 रु०
सब से बढ़िया II	100·00 रु०
सब से बढ़िया I	110·00 रु०
गेहूं	55·00 रु०

Russian Tractors

3060. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) Whether Government propose to import DT–14B tractors in large numbers during the current year to meet their increasing demand; and

(b) Whether Government also propose to take any steps to manufacture similar types of tractors in India ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Comminity Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) Licences have been issued for the import of 2000 DT–14B tractors and a proposal for the import of additional 4000 tractors is under consideration,

(b) A proposal to manufacture Zetor–2011 (20 H. P.) tractors in the public sector, with Czech collaboration, is under consideration. There is no proposal to manufacture DT–14B in India

फोर्ड मोटर कम्पनी द्वारा ट्रैक्टरों की बिक्री

3061. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री एच० डी० तुलसीदास :
श्री शंकरराव माने :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री रा० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड मोटर कम्पनी ने भारत को रुपयों में भुगतान के आधार पर 75,000 ट्रैक्टर बेचने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डबल रोटी तैयार करने के लिये गेहूं का छिलका उतारना

3062. श्री याज्ञिक : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सफेद डबल रोटी (व्हाइट ब्रेड) तैयार करने के लिये गेहूं का छिलका उतार लेने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं और वह प्रयोग करने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो जाती है; और

(ख) क्या सरकार ने यह निदेश दिया है कि गेहूं से छिलका नहीं उतारा जाना चाहिए और जब भी अधिकृत दुकानों पर आटा बेचना आवश्यक हो, तो केवल चोकर-युक्त (ब्राउन) आटा ही बेचा जाना चाहिए ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) गेहूं को मानवीय उपभोग के लिये स्वीकार्य बनाने के लिये गेहूं पर से थोड़ा छिलका हटाना पड़ता है। परन्तु यह सच है कि डबल रोटी बनाने के लिये जिस हद तक गेहूं पर से छिलका हटाया जाता है. उससे उसके पौष्टिक तत्व कम हो जाता है, परन्तु इससे उत्पाद स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं बन जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

चावल की बिक्री

3063. श्री याज्ञिक : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों तथा राज्यों में सरकारी नियन्त्रण वाली दुकानों पर शुद्ध चावल बेचा जाता है अथवा पालिश किया हुआ चावल; और

(ख) क्या सरकार ने सभी क्षेत्रों को कोई ऐसे निदेश दिये हैं कि चावल उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से चावल के पोषक तत्व बनाये रखने के लिये केवल शुद्ध चावल ही बेचा जाये, न कि पालिश किया हुआ चावल ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की हालतों के अनुसार पालिश की मात्रा एक राज्य से दूसरे राज्य में कम या ज्यादा होती है । परन्तु पालिश की मात्रा कानून द्वारा 3 और 4 प्रतिशत के बीच निर्धारित की गई है । इस संविहित शर्त को लागू करने के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है ।

होटल उद्योग के लिए सहायता

3064. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ होटल एन्ड रैस्टोरेन्ट एसोशिएशन आफ इंडिया ने अपनी अन्य मांगों के साथ साथ केन्द्रीय सरकार से और अधिक सहायता देने का भी अनुरोध किया है, जिससे कि होटल उद्योग पर्यटकों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या की भोजनादि सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी कर सके;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) कार्यकारी दल की सिफारिश पर, जिसमें फेडरेशन आफ होटल एन्ड रैस्टोरेन्ट एसोसियेशन आफ इन्डिया को जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है, सरकार ने उन समस्याओं पर विचार किया है जो सामान्य रूप से पर्यटन उद्योग के सामने हैं और विशेष रूप से होटल उद्योग के सामने हैं । पर्यटन उद्योग को विशेष रूप से होटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कुछ प्रस्ताव 1967–68 के बजट में शामिल किये गये हैं जो इस समय सभा के समक्ष हैं । इसके अतिरिक्त, सरकार एक पृथक निधि बनाना चाहती है जिससे कि होटल उद्योग को ऋण दिया जावेगा ।

राजधानी में एक से अधिक अधिकृत राशन की दुकानों से राशन लेना

3065. श्री रामचरण : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 28 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक से अधिक अधिकृत राशन की दुकानों से राशन लेने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस बीच कोई मुकदमा चलाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि उसके विरुद्ध पहले ही प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला सिद्ध हो चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) पुलिस के पास एक मामला दर्ज कराया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में कृषि अनुसन्धान परियोजनायें

3066. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) मध्य प्रदेश में कितनी केन्द्रीय कृषि अनुसन्धान परियोजनाऐं चल रही हैं;

(ख) उन पर अब तक कुल कितनी रकम व्यय की गई है तथा अगले दो वर्षों में कितनी रकम खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ग) ये परियोजनाऐं किन किन स्थानों पर हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार

3067. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने केन्द्रीय भाण्डागार हैं और उनकी क्षमता कितनी कितनी है;

(ख) वे कहां-कहां हैं;

(ग) क्या उनकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के मध्य प्रदेश में 6 स्थानों पर भाण्डागार हैं । उनके स्थान और क्षमताएं इस प्रकार हैं :

स्थान	क्षमता टनों में
1. इन्दौर	4,749
2. मोरेना	5,000
3. जबलपुर	1,112
4. रायपुर	3,365
5. मतपाडा	5,000
6. भोपाल	2,502
कुल :	21,728

(ग) और (घ) खरीफ और रबी की फसलों के तुरन्त पश्चात् भाण्डागार सामान्यत लगभग 6 महीने तक भरे रहते है । पिछले 12 महीनों में औसत तौर पर 83 प्रतिशत समय तक ये भाण्डागार रुके रहे ।

मध्य प्रदेश में बागबानी तथा पशुपालन का विकास

3068. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में मध्य प्रदेश को (1) बागबानी, (2) पशुपालन (3) डेरी फार्म (4) अधिक अन्न उपजाओ अभियान तथा (5) मत्स्य पालन उद्योगों के विकास के लिये कोई सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक उद्योग के लिये कितनी कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) 1967–68 के लिए मध्य प्रदेश में कृषि योजनाओं के हेतु केन्द्रीय सहायता के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGEN PUBLIC IMPORTANCE

एजल नगर में सशस्त्र मिजो विद्रोहियों द्वारा सरकारी अधिकारियों की हत्या करने और उन का अपहरण करने के समाचार

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

"Reported killing and kidnapping of Government officials by armed Mizo Rebels in Aijal town."

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवंतराय चव्हाण) : सरकार को जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 16 जून की रात को एजल नगर के क्षेत्र में मिजो विद्रोहियों ने 12 व्यक्तियों का अपहरण किया। सुरक्षा दल की उनसे मुठभेंड़ हुई और गोली चलने के फलस्वरूप एक विद्रोही तथा एक अपहृत व्यक्ति जिसका नाम लालरीन मानिया था तथा जो उद्योगों का अधीक्षक था मारे गये। एक मिजो विद्रोही पकड़ा गया तथा तीन अपहृत व्यक्ति भी छुड़ा लिये गए तथा एक को 17 जून को विद्रोहियों ने स्वयं छोड़ दिया। इस सम्बन्ध में मिजो नेशलन फ्रन्ट के 29 सन्देहास्पद व्यक्ति पकड़ लिए गए हैं। सुरक्षा दलों के सैनिकों द्वारा अभी कार्यवाही की जा रही है तथा और ब्यौरे की प्रतीक्षा हो रही है।

Shri Y.S. Kushwah (Bhind) : May I know, whether some arms were also recovered from the Mizo hostiles and if so to which countries they belonged and what action has been taken that such arms are not supplied to them in future ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने पहले भी बताया था यह हथियार पाकिस्तान के हैं। हमने उनसे कहा भी है, परन्तु वे सदा इन्कार कर देते हैं।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : In the Mizo hills how many places are such which are outside the reach of Indian Government and Pakistan and Chinese officials train these Hostiles there ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वे दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में सक्रिय हैं। परन्तु उनका किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं है विशेष प्रशिक्षण केन्द्र मिजो क्षेत्र से बाहर हैं।

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : Were there some special reasons for killing of these two superintendents and were they informed in advance about it ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनका मुख्य कारण जिला अधिकारियों को निरुत्साह करना है। हमें उसकी पूर्व सूचना नहीं थी अन्यथा हम कोई उपाय करते। परन्तु हमें शक था कि कोई गैर कानूनी कार्यवाही हो रही है और इसीलिए हम शीघ्र ही प्रतिकात्मक कार्यवाही कर सके।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यदि आपको पता था तो उसे रोका क्यों नहीं ?

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpet) : Aijal is a district headquarters. The incidents have taken place at three different places when there was curfew. Does it not indicate that our arrangements were inadequate. Secondly our army has been given instructions not to take any action.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सदस्य महोदय सुरक्षा दल के साथ न्याय नहीं कर रहे। अपहरण करने वाले जनता में ही मिले रहते हैं और उनका पता बाद में लगता है। आप कोहिमा की स्थिति तथा एजल की स्थिति को एक समझ रहे हैं।

Shri Ram Avtar Sharma (Gwalior) : May I know, whether there are still some kidnapped people till the hostiles and are they alive or have been killed ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वे अभी जीवित हैं और हमें यह भी पता है कि वे कहां है परन्तु वह अभी मैं नहीं बताऊंगा।

Shri Ram Kishan Gupta (Hissar) : May I know whether such incident took place previously too and if so how many times ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस प्रकार की घटना मीजो पहाड़ियों में कुछ समय से हो रही हैं।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेकानाल) : एजल नगर के पाकिस्तान की सीमा के निकट होने तथा विद्रोहियों द्वारा ब्रिगेड मुख्यालय पर आक्रमण करने से क्या सरकार को पता है कि एजल में सरकारी अधिकारियों में असुरक्षा की भावना हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह बात तो वहां की परिस्थिति में निहित है परन्तु हम वहां सब प्रकार की सावधानी बरत रहे हैं।

श्री स० कु० तापड़िया (पालीं) : भारत तथा चीन के बीच तनाव पैदा होने तथा ऐसा कार्यवाहियों के बढ़ने के कारण क्या सरकार समझती है कि हिंसा और अधिक फैलेगी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे विचार में मिजो अब अपनी गतिविधियां बढ़ायेंगे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whether Government have taken into consideration the consequences which may follow if China single or with Pakistan attack India in its North West area in Kashmir or in North E st and if so what action they are taking in this regard ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस प्रकार की परिस्थिति पर रोजाना विचार होता है तथा सरकार इस प्रकार की किसी परिस्थिति से निपटने को तैयार है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I gave a notice about 25 days back regarding killing of our women on 26th May at Thingsulthiliha by the missioneries and the Burmese and the Home Minister replied that this thing has been reported in the newspapers but it is incorrect. You do not permit us to raise the privilege motion. What is the use of asking question when Ministers tell a lie to save themselves ? This is my objection to you. I have not heard from you for the last one month about it.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा आप अब कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : The foreign missioneries are arming these hostiles as one of the missionaries there from U.S.A. got 17 to 18 thousand shoes and are reported to have been distributed among these hostiles. Also may I know wthether Government permitted these misioneries to use them against communists and now Government is in the clutches of both. What has the Minister got to say about it ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस विशेष घटना का मुझे पता नहीं है। परन्तु लोक सभा सचिवालय से कुछ प्रश्न आये हैं और उन्हें मैंने सूचना भेज दी है। दूसरे मामले के बारे में यदि सदस्य महोदय मुझे ब्यौरा दें तो मैं पता लगाऊंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, I have already given the details. Now you please get answer to my question.

Shri George Fernandes (Bombay South) : I want to know that on the day the rebels came in the town there was curfew there and as such whether the rebels got any assistance from the people of the town ? It is said that the leader of these rebels on that day was the brother of Lal Denga who was in jail a few days before. Did he get any assistance from the town people in breaking the jail ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उस दिन कर्फ्यू था वहां और हो सकता है कि वे लोग वहीं उस नगर में उस दिन मौजूद हों। हमारा संदेह है कि कुछ और व्यक्ति उनकी सहायता कर रहे थे। इसीलिए मैंने बताया के हमने 29 संदेहास्पद व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जहां तक लाल डेगा के भाई का प्रश्न है ऐसा दिखाई देता है कि उसके भाग जाने में कोई लापरवाही हुई है अथवा कोई तोड़फोड़ हुई है।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : May I know then whether some arms have also been captured from the arrested rebels and if so, the country where from they have been smuggled there ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उनसे कुछ हथियार पकड़े गये हैं परन्तु उन पर कोई निशान नहीं थे।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मिजो पहाड़ियां विदेशी पादरियों तथा साम्यवादी प्रचार के बीच पिस रही हैं। वहां साम्यवादी अधिक नहीं है। क्या सरकार बागान वालों तथा विदेशी पादरियों के ऊपर कोई ध्यान रखने जा रही है, क्योंकि अब यह मामला एक वर्ष से भी अधिक से चल रहा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण :—यह एक राजनीतिक प्रश्न है तथा इसको केवल सेना से नहीं सुलझाया जा सकता और हमें जनता को अपने साथ रखना होगा।

श्री स.च. सामन्त (तामलुक) :—क्या यह सच है कि जो मिजो पकड़े गये हैं वे सादे कपड़ों में थे और उनके पास कोई शस्त्र नहीं थे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी नहीं, उनके पास कुछ शस्त्र पकड़े गये हैं।

श्री श० ना० माइती (मिदनापुर) : क्या मिजो विद्रोहियों से तोड़ फोड़ की कोई योजना प्राप्त हुई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उनसे पूछ ताछ हो रही है । संभवतः कोई सूचना मिले ।

श्री अ० कु० किस्कु (झाड़ग्राम) : क्या गृह कार्य मंत्रालय ने कोई ठोस सुझाव बनाया है ताकि मिजो विद्रोहियों को अपनी ओर जीता जा सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इन लोगों के साथ बात करने का कोई विचार नहीं है । फिर भी हम मीजों परिषद के नेताओं के साथ बात करते रहते हैं जो वहां प्रशासन चला रहे हैं ।

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda) : Has this trouble some connection with the Home Minister's announcement made in January about having a federal set up in Assam ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे विचार में इनमें कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रा० बरुआ (जौरहाट) : मिजो समस्या 15 मास पूर्व आरंभ हुई और सरकार अभी तक उस एक जिले में भी इस समस्या को नहीं सुलझा सकी जिससे वहां विद्रोह की मनोवृति फैलती जा रही है । क्या सरकार इस दिशा में कुछ दृढ़ कदम उठाने जारही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम दृढ़ हैं और दृढ़ ही रहेंगे ।

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : May I know whether some arms bearing Chinese marks were also captured ?

Shri Y. B. Chavan : This I have already answered it.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : क्या सरकार की अब भी वही नीति है कि इस क्षेत्र को असैनिक प्राधिकारियों को सौंपा जाये तथा क्या सैनिक अधिकारियों को विद्रोही कार्यवाहियों के विरूद्ध कार्यवाही करने से मना कर रखा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वहां असैनिक अधिकारी कार्य कर रहे हैं परन्तु वहां सैनिकों को यदि उनकी आवश्यकता होती है, तो कार्य करने में कोई रुकावट नहीं है ।

D. N. Tiwary (Gopalganj) : Have some intelligence persons been kept by the government there and whether action has been taken on the basis of information received from them ?

Shri Y. B, Chavan : We took some action on the basis of intelligence report. I cannot give more details how that department works there.

Shri Nitiraj Singh Chaudhary (Hoshangabad) : Peace could not be established there although civil authority is functioning there for long and may I know whether you will try to restore order by handing it over to the military authorities ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह राजनीतिक प्रश्न है तथा इसे सैनिक अधिकारियों को सौंपने से यह समस्या सुलझाई नहीं जायेगी ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : The argument given in support of having solved this problem is that it is a political question and will be solved in that manner. Will you avoid this responsibility by calling it a political problem or will you call it a rebellion and challenge to the authority of the Indian republic and will you not put an end to this for ever ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जो हमारे विरुद्ध हैं वे विद्रोही हैं और वैसा ही बर्ताव उनके

साथ होगा परन्तु जो हमारे साथ हैं उनके साथ तो राजनीतिक व्यवहार होगा। मुख्य कारण यह है कि ब्रिटिश लोगों ने इन्हें भारत के अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग समझा।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : इसमें अब चीन का हाथ साफ दिखाई दे रहा है। क्या सरकार नागालैंड की तरह मीजो पहाड़ियों में भी विद्रोहियों के साथ बात करने को तैयार है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह बहुत पेचीदा प्रश्न है। हम अगले मास आसाम के प्रतिनिधियों से आसाम के सामान्य प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें मीजो प्रश्न भी शामिल हैं। हमारी मीजो विद्रोहियों से बात करने की इच्छा नहीं है।

श्री ज० अहमद (धुबरी) : एजल नगर में उस समय कर्फ्यू था। क्या उस समय पुलिस वालों के वहां घूमते रहने के बावजूद भी विद्रोहियों के लिए यह संभव था कि हमारे अधिकारियों का अपहरण किया गया है ? क्या हमारे पुलिस वाले उनसे मिले हुए थे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पुलिस वाले उनसे मिले हुए नहीं थे। वे एकान्त स्थानों से लोगों को उठाकर ले जाते हैं।

श्री डी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : विद्रोहियों के सिद्धान्त का सरकार किस प्रकार मुकाबला करेगी ? क्या सरकार ने पता लगाया है कि यह शस्त्र मिजो क्षेत्र में ही बनते हैं ? क्या सरकार को पता है कि इन विद्रोहियों के पास धन कहां से आता है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उनका सिद्धान्त यह है कि भारत से अलग एक प्रभुत्व सम्पन्न देश चाहिए। शस्त्र वे दूसरे देशों से तथा कभी कभी हमारे ही पुलिस की चौकियों पर छापा मारकर प्राप्त कर लेते हैं। धन भी वे या तो लोगों से जबरदस्ती छीन झपटकर प्राप्त करते हैं अथवा दूसरे देशों से प्राप्त करते हैं। जो मीजो हमारे साथ हैं उनकी हम सहायता करेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यह समाचार आये हैं कि पाकिस्तान उस सारे क्षेत्र में सक्रिय कार्य कर रहा है तथा चीन के छापामार दस्ते पाकिस्तान में आ गये हैं। क्या सरकार उनका मुकाबला भी करेगी अथवा केवल असैनिक प्राधिकारियों पर छोड़ेगी जिन्हें छापामार कार्यवाहियों के बारे में कुछ पता नहीं होता। क्या सरकार को यह भी पता है कि वे विद्रोही दूसरे देशों के नोट और सिक्कों आदि को भी वहां चला रहे हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वहां असैनिक अधिकारियों के कार्य का यह अर्थ नहीं है कि वहां सुरक्षा दल बिल्कुल बेकार है। हम वहां छापामार प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। हमने विद्रोहियों को कुछ क्षेत्रों में इकट्ठा कर दिया और यह उन्हें बहुत बुरा लगा और इसी कारण वे विद्रोही अब बुरा मान रहे हैं और जनता को डरा रहे हैं।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलिमाबोर) : राजनीतिक समाधान का स्वागत किया जा सकता था परन्तु अब सैनिक तथा प्रशासनिक समाधान का प्रयास किया जा रहा है। क्या गांवों के पुनर्गठन में आपने पहला कार्य कर लिया है अर्थात ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिए हैं जिससे विद्रोहियों को आवश्यक वस्तुऐं न मिलें तथा भारतीय सिक्के उन्हें न मिल सकें। नागालैंड में हमारे सैनिकों को 1 लाख रु० प्रति दिन चाहिए और यह धन उनके पास जाता है। सरकार को गड़बड़ी को समाप्त करना है। क्या सरकार ऐसे कार्य कर रही है कि धन उनके हाथ न लगे।

यह कैसे संभव है कि एजल में खाना पहुंच रहा है। क्योंकि यह नाज खाने के मामले में अपनी गाड़ी स्वयं नहीं चला सकता।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ग्रामों के पुनर्गठन से हमें आशा है कि अब उन विद्रोहियों को न तो धन प्राप्त होगा और न ही आवश्यक वस्तु प्राप्त होंगी।

श्री नाथवाई (राजापुर) : गृह कार्य मंत्री राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार से इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ हैं। इस विद्रोह को आरम्भ हुए 485 दिन हो चुके हैं परन्तु यह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जब आपको आक्रमण का पता था तो आपने उसे रोका क्यों नहीं। यह समस्या थोड़े क्षेत्र में है और इसे आप कब तक सुलझायेंगे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह कहकर मैं देश तथा अपने आपको धोखा नहीं दे सकता कि हम इसे कल ही समाप्त कर देंगे। यह 16 मास से है परन्तु हमारा सुरक्षा दल भी खाली नहीं बैठा है। समस्या कठिन है। हमें पता चला कि इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं तो हमने एजल नगर के पास अपनी सुरक्षा दल छिपा दिया और यह सफल भी रहा है

अध्यक्ष महोदय :—अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे t

Shri Ram Charan (Khurja) ; I have a point of order Sir. There is a land in my constituency used for military cantonment which was given on lease for Rs. 500/- per year whereas its present price is of that land is Rs. 30,000/-. I tabled some questions and calling attention notice about it but I have not heard anything.

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि यह मामला हैदराबाद में किसी भूमि का है। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। आप इस प्रकार इसे नहीं उठा सकते। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हेम बरुआ :—कल आपने वैदेशिक-कार्य मंत्री को निर्देश दिया कि वे एक साम्यिक वक्तव्य चीन भारत सम्बन्धों के बारे में दें। उस वक्तव्य में मंत्री महोदय ने चीन के उद्जन बम के प्रश्न को नहीं लिया। उसका उत्तर उन्हें देना है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय कल 5 म० प० वक्तव्य देंगे यदि वे आज भी वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं परन्तु सदस्यों को इसकी पूर्ण सूचना होनी चाहिये अतः ठीक यही है कि कल वक्तव्य दिया जावे।

(सभा पटल पर रखे गये पत्र)

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1967

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : श्रीमान, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर, रखता हूं [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 711/67]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब

शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा, (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्यान्न वहन प्रतिबन्ध (प्रमाणित बीजों के लिए छूट) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 898 में प्रकाशित हुआ था ।

(2) खाद्यान्न वहन प्रतिबन्ध (भारत के खाद्य निगम के लिए छूट) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 899 में प्रकाशित हुआ था । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 710/67]

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Subha then adjonrned for Lunch till, fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha then reassembled after Lunch at fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोंदय पीठासीन हुए ।

Mr. Deputy Speaker *in the chair.*

केन्द्रीय मंत्रियों पर आरोपों के बारे में वक्तव्य

STATEMENTS RE: ALLEGATIONS AGAINST CERTAIN CENTRAL MINISTERS

उपाध्यक्ष महोदय :—अब प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगी ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir.

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : May I know whether Prime Minister does not have a right to make a statement.

उपाध्यक्ष महोदय :—आपको किस नियम के अन्तर्गत इस पर आपत्ति है ।

Shri Madhu Limaye : Sir, if the Prime Minister is allowed to make a statement, it will be against the procedure and convention and it will also violate the ruling of the Speaker given on 21st May. It will be a breach of privilege. A statement is made under rule 372, but in this case the statement cannot be made under rule 372 since the statement is to be made in reply to my motion of privilege and the decision of the Speaker thereon. If the statement is not being made under Rule 372, I would like to know under which rule it is being made. I will quote from the motion of privilege, moved by me and the ruling given by the Speaker thereon.

I, therefore, request you to listen to my point of order. If the statement comes and it forms part of the proceeding, it will be very harmful.

उपाध्यक्ष महोदय :—मेरे विचार में प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने का अधिकार है । नियम 372 के अन्तर्गत वह ऐसा कर सकती हैं । इसका निर्णय करना पीठासीन अधिकारी का

काम है । प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों का निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है । यह आज की कार्य-सूची में शामिल है ।

Shri Madhu Limaye : Under which rule the notice has been given.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 372 के अन्तर्गत ।

Shri Madhu Limaye : I object to it, Rule 372 says :

"A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made."

This is not an ordinary statement under rule 372.

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने अभी नियम पढ़ा है कि "अध्यक्ष की अनुमति से लोक महत्व के मामले के बारे में वक्तव्य" मैंने अनुमति दे दी है और इसी कारण यह कार्य सूची में शामिल है ।

Shri Madhu Limaye : I submit that it is against the rules to include it in the Order Paper.

श्री रणधीरसिंह (रोहतक) : यह पीठासीन अधिकारी के विनिर्णय को चुनौती दे रहे हैं । आपके द्वारा अनुमति दिये जाने पर यह मामला नहीं उठाया जा सकता । आपका निर्णय अन्तिम निर्णय है ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : व्यवस्था का प्रश्न प्रक्रिया नियमों के अनुसार होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए ।

Shri Madhu Limaye : A Calling Attention Notice in this connection was admitted by the Chair on 31st May. Just then I raised the question of privilege. It is no more a matter pertaining to Calling Attention Notice or an internal affair of the Congress Party. After the statement of the Prime Minister, this matter will be before the House. At that time, the Speaker ruled that there is a procedure with regard to such matters. The procedure adopted in Mudgal case, which came before the Dominion Parliament, would also be adopted in this case. In his ruling the Speaker said :

"Any one who has reasonable belief that a Member of Parliament has acted in a manner which, in his opinion, is inconsistent with the dignity of the House or the standard expected of a Member of Parliament may inform the Leader of the House (Prime Minister) or the Speaker about it....He should be careful in sifting and arranging facts because, if the allegations are proved to be frivolous, worthless or based on personal jealousy or animosity, directly or indirectly, he will himself be liable to a charge of the breach of privilege of the House. Therefore, it is of the utmost importance that allegations are based on solid, tested and checked facts,"

Thereafter he narrated the procedure. The procedure is as follows :

"When information regarding the alleged misconduct on the part of a Member of Parliament is received, the usual practice is that the Prime Minister examines the whole evidence and if he is satisfied that the matter should be proceeded with, he should give a full and fair opportunity to the Member to state his own version of the case, to disprove

the allegations against him and to place before the Prime Minister such information as may assist him to come to a conclusion. After the Member's explanation, oral or written, is received by the Prime Minister, he sifts the evidence critically...."

The case, thereafter, goes before the Speaker. It is then decided whether a **prima** facie case has been made out. The statement the Prime Minister is going to make is totally against this procedure. She gave a statement in this connection in Rajya Sabha. I know that the Rajya Sabha proceedings cannot be referred to here but our rules provide that in the case of a question of privilege, it can be done af er informing the Speaker. I have informed him. I am proceeding under the rules.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 354 के सम्बन्ध में आपका यह कहना ठीक नहीं है। नियम 354 में दिया हुआ है कि :

"राज्य सभा में दिये गये किसी भाषण का लोकसभा में उल्लेख नहीं किया जायेगा..... परन्तु आवेदन किये जाने पर अध्यक्ष..... ।"

यह राज्य सभा में दिये गये भाषण का उल्लेख करने के सम्बन्ध में है। जब प्रधान मन्त्री यहां वक्तव्य दे रही हैं, तो यह नियम बिल्कुल लागू नहीं होता है। उन्हें वक्तव्य देने का अधिकार है।

Shri Madhu Limaye : I have given the reasons for quoting from the Rajya Sabha Proceedings. The Prime Minister is going to make a statement against procedure. It will be futile to allow me to speak after she has made the statement.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री के वक्तव्य के बाद यदि आप अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के आधार पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ..... । पहले उन्हें वक्तव्य देने दीजिये।

श्री ही. ना. मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) इसके सम्बन्ध में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी गई थी..... ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने किसी सदस्य को यह मामला उठाने से नहीं रोका है, परन्तु मैंने वक्तव्य दिये जाने के बारे में मूल आपत्ति को नियम बाध्य ठहराया है। यह नियम 354 के अन्तर्गत वक्तव्य दे सकती है।

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : कुछ समय पूर्व कांग्रेस संसदीय दल की एक बैठक में श्री अर्जुन अरोड़ा ने एक आम बयान इस आशय का दिया कि कुछ केन्द्रीय मन्त्रियों को बिरलाओं से रुपया मिलता है। स्वाभाविकतः सदन का ध्यान इस कथन की ओर आकर्षित हुआ। मैंने श्री अरोड़ा से निवेदन किया कि वे उन विशिष्ट आरोपों को बताये और उनकी पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाण भी दें। उन्होंने मुझे बताया कि जो मंत्री उनके ध्यान में थे, वे हैं श्री सत्य नारायण सिंह और श्री के० सी० पन्त। बाद में उन्होंने मुझे उन मंत्रियों के सम्बन्ध में कुछ टिप्पण भेजें।

मैंने अपने सहयोगियों, उप प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री और विदेश मन्त्री श्री चागला के परामर्श से इस सामग्री पर सोच विचार किया। उन्होंने मुझे दी गई सामग्री का और श्री सिंह और श्री पन्त के लिखित कथनों का ध्यान पूर्वक परीक्षण किया।

उप प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री और श्री चागला इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो आरोप लगाये गये हैं, वे प्रमाणित नहीं होते। वह पूर्णतया सन्तुष्ट हैं कि उनके परीक्षण से इन मन्त्रियों

के आचार के बारे में कोई ऐसी बात नहीं निकली जिसे उनकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझा जाये। मैं इस निष्कर्ष से सर्वथा सहमत हूँ।

राज्य सभा में मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। प्रश्न काल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कुछ कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे परन्तु व्यवस्था के प्रश्नों की अनुमति दी जायेगी।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabankl) ; I raise a matter of breach of privilege against Shri Arjun Arora. He has accused some hon. Members of this House.

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले सभी माननीय सदस्यों को मैं अवसर दूँगा। यदि उनमें कोई सार होगा तो वह विस्तारपूर्वक बोल सकते हैं। अथवा उसे नियम बाध्य करार दिया जावेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) मैंने उस सम्बंध में एक ध्यान दिलाने की सूचना दी थी परन्तु इस मामले के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया था। जब कोई ध्यान दिलाने वाली सूचना दी जाती है और उसके बाद वक्तव्य दिया जाता है तो ध्यान दिलाने की सूचना देने वालों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय अभी हाल ही में इस प्रथा का पालन करते रहे हैं कि जब कभी इस प्रकार का वक्तव्य सभा के समक्ष आता है तो विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है..... **(अन्तर्बाधायें)**।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बंध में मुझे बताया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने ध्यान दिलाने वाली सूचना अस्वीकार कर दी थी। अतः ध्यान दिलाने की सूचना को पुनः उठाये जाने तथा कुछ प्रश्न पूछने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री उमानाथ (पुदुकोटे) : यह ध्यान दिलाने की सूचना को पुनः उठाये जाने का प्रश्न नहीं है। माननीय वाणिज्य मन्त्री ने आर्थिक समुदाय में शामिल होने के बारे में स्वेच्छा से एक वक्तव्य दिया था और सभी को स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। जब कभी मन्त्री स्वेच्छा से कोई वक्तव्य देते हैं और उसका ध्यान दिलाने वाली सूचना के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता तो सदस्यों को स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी हद तक स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है परन्तु ध्यान दिलाने वाली सूचना के आधार पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इस सम्बन्ध में आप तथा सभा के पास कोई विकल्प नहीं। जब ऐसा वक्तव्य दिया जाये तो कोई प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं व्यवस्था के प्रश्नों पर विचार करूँगा। उसके बाद यदि समय हुआ तो स्पष्टीकरण के लिये कुछ प्रश्नों की अनुमति दूँगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : यह मामला मंत्रिमण्डल के मंत्रियों से सम्बन्धित हैं इसलिए आप हमें प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मधु लिमये व्यवस्था का प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री तिरूमल राव (काकिनाडा) : यह उचित नहीं है। आपने सभी सदस्यों को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है परन्तु श्री विक्रम चन्द को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। किसी अन्य सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देने से पहले उनको अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : नियमों के अनुसार कानूनी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए न कि नैतिक। इसलिए यदि प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है तो यह गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने यह कहा था कि वक्तव्य के बाद उनको भी अन्य लोगों के साथ-साथ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी।

श्री क. ना. तिवारी (बेतिया) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मन्त्री ने नियम 372 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया है। इसलिए इस पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the statement of the Prime Minister is clearly against the established procedure and is also improper that it necessitates the action on your part. According to the decisions by the chair. All the allegations and complaints should be made to the Prime Minister or to the Speaker. The usual practice is that the Prime Minister examines the whole evidence and if he is satisfied that the matter should be proceeded with, he should give a full and fair opportunity to the Member to state his own version of the case to disapprove the allegations against him and to place before the Prime Minister such information as may assist him to come to a conclusion. After the Members' explanation oral and written is received by the Prime Minister, he sifts the evidence critically. It is clear from the statement of the Prime Minister that the said procedure has not been followed. She put the responsibility or the enquiry on her three colleagues and acted on the conclusions arrived at by them. Secondly this matter should have been referred to the Speaker before it is put before the House.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि प्रत्यक्षतः मामला सिद्ध होने पर ही इसको अध्यक्ष को सौंपा जाता है। इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री संतुष्ट हैं कि प्रत्यक्षतः यह कोई मामला नहीं है इसलिए इस मामले को अध्यक्ष को सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : Fourth and the last thing is that......

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

Shri Madhu Limaye*

उपाध्यक्ष महोदय : इसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा। यदि वह कोई असंगत बात कहेंगे तो इसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : It was necessary to act in this matter in consultation with the Speaker because........

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति–शान्ति !

Shri Madhu Limaye : * *

उपाध्यक्ष महोदय : इसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा। आप ऐसे मामले उठा रहे हैं कि जिनका व्यवस्था के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

* कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* Not recorded.

Shri Madhu Limaye : The whole of this matter should have been gone into in consultation with the Speaker. But it has not been done like that and the procedure has not been followed. Therefore it has become the question of privileges. I want you to give your decision on this.

Shri George Fernandes (Bombay South) : I rise on a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : आपके व्यवस्था के प्रश्न में कोई सार नहीं है । श्री वाजपेयी ।

Shri George Fernandes : You cannot call anybody else when I am raising a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : इसी प्रश्न पर उन्होंने पहले ही अध्यक्ष महोदय को लिखा है ।

श्री विक्रम चन्द (चम्बा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रधान मन्त्री ने दो मन्त्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में वक्तव्य दिया था । क्या सरकारी पक्ष के किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध भी आरोप लगाया जा सकता है और क्या उस कार्यवाही को रिकार्ड किया जायेगा । मेरा निवेदन यह है कि उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है कि उसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : I have not said anything irrelevant. My request is that you should not use your authority in this way.

श्री विक्रमचन्द : मेरा व्यवस्था का दूसरा प्रश्न यह है कि जब प्रधानमन्त्री तथा किसी अन्य मन्त्री द्वारा कोई वक्तव्य दिया जाता है तो क्या उस पर प्रश्न तथा स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है । मेरे विचार में नियम 372 में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह निर्णय दिया है कि साधारणतया कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती । अध्यक्ष को इस बात का स्वविवेक है कि वह स्पष्टीकरण अथवा प्रश्न पूछने की अनुमति दे अथवा न दे ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : I would like to draw your attention on the allegations made by Shri S. M. Banerjee on the floor of this House. Prime Minister has not made any mention of these allegations is her statement. Should we take it that Shri Banerjee has not been asked to substantiate his allegations. If it is true then the statement of the Prime Minister is incomplete. Shri Banerjee should either prove his allegations or should withdraw then. I have given a notice to the effect that both the Prime Ministers' statement and allegations made by Shri Banerjee should be referred to Privilege Committee.

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्री बनर्जी ने आरोप लगाये थे तब मैं सभा में उपस्थित था । मेरे विचार में आरोप निराधार थे तथा प्रेस में छपे कुछ समाचारों पर आधारित थे । अब जब कि मामला उठाया गया है तो मैं कहूंगा कि इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है । परन्तु या तो श्री बनर्जी को अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य अध्यक्ष अथवा विशेषाधिकार समिति को प्रस्तुत करने होंगे । यदि उनके पास प्रत्यक्षतः कोई साक्ष्य है तो कार्यवाही की जायेगी, यदि नहीं है तो उनको सभा से क्षमायाचना करना होगी ।

Shri Madhu Limaye : How you have given this decision? Now as the question regarding the allegations made by Shri Banerjee has arisen,I would request you that the allegations made

by Shri Arora should be placed on the table of the House with your permission. I place them on the table of the House.

Mr Deputy Speaker : You can-not do that.

श्री वाजपेयी ने एक संगत प्रश्न उठाया था कि एक सदस्य ने कुछ आरोप लगाये हैं और इस बारे में वह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते थे।

Shri Madhu Limaye : Shri Banerjee is not present in the House, I rule your permission to lay those allegations on the Table of the House.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री बनर्जी ने उस दिन कुछ कहा था जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दे दिया था। बाद में दोनों मन्त्रियों ने इस बारे में अपने वक्तव्य दिये थे।

उपाध्यक्ष—मैं अपने विनिर्णय के बारे में प्रश्न को स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री वाजपेयी वक्तव्य के बाद तथा इस समय भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते थे। इसलिए मैंने कहा था कि व्यक्तव्य तथा स्पष्टीकरण के बाद यदि माननीय सदस्य अपने आरोपों को सिद्ध करने की स्थिति में हैं और यदि यह प्रत्यक्ष मामला है तभी केवल इसकी जांच की जा सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य यही था।

श्री ही. ना. मुकर्जी : श्रीमान आपने व्यवस्था दे दी है और इससे पूर्व कि आप अगले विषय को लें मैं श्री बनर्जी की अनुपास्थिति में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का सुझाव दिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस मामले को विशेषाधिकार समिति अथवा किसी अन्य ख्याति प्राप्त अथवा स्वीकार्य न्यायाधिकरण के पास सच्चाई जानने तथा आरोपों की जांच करने के लिए भेजा जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मन्त्री ईमानदार हों। हम यह चाहते हैं कि उनको उचित ढंग से दोषमुक्त किया जाये और मामले को दबाया नहीं जाना चाहिए। इस बारे में श्री मधु लिमये ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। इससे सदस्यों के हृदय में सन्देह बाकी रह जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में अध्यक्ष महोदय का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि श्री मुकर्जी ने उसको अच्छी तरह पढ़ा है। इस मामले को दबाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आरोप तथा साक्ष्य प्रधान मन्त्री के पास भेजे गये थे। उन्होंने इनकी छानबीन की तथा अपने सहयोगियों से परामर्श किया। उनको यह मालूम पड़ा कि यह प्रत्यक्षतः कोई मामला नहीं है इसलिए अध्यक्ष अथवा विशेषाधिकार समिति को सौंपने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

Shri Madhu Limaye : In this case nothing has been placed before the Speaker. Actually speaking he has been bypassed in this matter. You are only Deputy-Speaker and not a Speaker. Where is he ?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय का निर्णय मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री मधु लिमये ने अपना तर्क देते समय यह कहा है कि आप स्पीकर नहीं हैं, जब तक आप इस कुर्सी पर बैठे हैं आपको स्पीकर के पूरे अधिकार हैं। उनको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आप स्पीकर नहीं है। इससे पूर्व कि आप आगे कार्यवाही करें उनको ये शब्द वापस लेने के लिए कहा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बिना नियम बताये पहले भी यह कहा था परन्तु अब नियम बताये देता हूँ ।

Shri Madhu Limaye : This much I know that cubosoluse is sitting on that chair has all the rights of the speaker.

Shri George Fernandes : Under rule 370 the hon. Prime Minister should place on the Table of the House report of the Sub Committee appointed to look into the allegations made against the two Ministers. On the basis of the conclusions arrived at by this Sub Committee the Prime Minister has cleared them off those allegations. The House should be made aware of the grounds on which the Prime Minister has arrived at such a decision.

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम का केवल एक भाग ले रहे हैं। यदि उन्होंने अपने सहयोगियों अथवा सरकारी अधिकारियों के अलावा किसी अन्य से परामर्श किया होता तो यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता था अब नहीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये प्रश्न की ओर सभा तथा अध्यक्षपीठ का ध्यान दिलाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने अध्यक्ष के निर्णय का उल्लेख किया है । अध्यक्ष के निर्णय में मुदगल के मामले में अपनाई गई प्रथा को ही दोहराया गया है । यह मामला मुदगल के मामले से भिन्न है ।

मुदगल का मामला एक मंत्री का नहीं बल्कि एक गैर–सरकारी सदस्य का मामला था । दूसरे सभा को इस मामले के बारे में आरम्भ से ही नहीं बताया गया था न तो सभा में कोई प्रस्ताव ही दिया गया था और न ही कोई आरोप लगाया गया था । श्री बनर्जी तथा अन्य सदस्यों द्वारा दी गई ध्यान दिलाने वाली सूचना में श्री आरोड़ा द्वारा दल की बैठक में दिये वक्तव्य का उल्लेख किया गया था । ध्यान दिलाने वाली सूचना का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने स्वेच्छा से जांच करने के लिए कहा था यद्यपि इस बारे में उनको कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था ।

इसलिए तकनीकी तौर पर इस बारे में सभा को अवगत नहीं कराया गया था । दूसरी ओर दल की बैठक में जो कुछ हुआ प्रधान मंत्री उसके बारे में सभा को सूचित कर रही थीं । अध्यक्ष द्वारा मुदगल के मामले के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया बताई गई है उसका प्रश्न भी तभी उत्पन्न होता है जबकि प्रधान मंत्री इस बात से संतुष्ट हों कि इस बारे में प्रत्यक्षतः कोई मामला है तभी वह इस समूचे मामले को अध्यक्ष को सौंप सकती है तथा निवेदन कर सकती है कि वह अपने को संतुष्ट करें कि क्या इस बारे में आगे कुछ कार्यवाही की जा सकती है । परन्तु इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री स्वयं संतुष्ट नहीं है कि यह प्रत्यक्षतः कोई मामला है । अतः इस मामले को अध्यक्ष को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है । न ही सभा में आगे कार्यवाही करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता रह जाती है ।

श्री वाजपेयी ने सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार के भंग का प्रश्न उठाया है । यह विशेषाधिकार भंग का मामला भी नहीं है कि क्योंकि श्री बनर्जी ने ध्यान दिलाने वाली सूचना द्वारा यह मामला उठाया था तथा स्वयं कोई आरोप नहीं लगाया था ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : पहले एक बार जब एक मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे उस समय प्रधान मंत्री श्री नेहरु ने अपने आपको संतुष्ट करने के लिए उच्चतम

न्यायालय के न्यायाधीश से राय मांगी थी। न्यायाधीश ने कुछ साक्ष्य एकत्र कर तथा उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाल कर श्री नेहरू को भेजे थे। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर श्री नेहरू ने कार्यवाही की थी। इस विशिष्ट मामले में भी श्री अरोड़ा ने कुछ आरोप लगाये है और हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री ने उस प्राक्रिया को इन मामलों में नही अपनाया है जिसको उनके पिता ने अपनाया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नेहरू ने यह महसूस किया था कि उन आरोपों में कुछ सार है इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। परन्तु इस मामले में कोई सार नहीं है।

श्री हेम बरुआ : वर्तमान मामले में प्रधान मंत्री ने श्री अरोड़ा से साक्ष्य मांगे बिना ही यह निष्कर्ष निकाला है कि यह प्रत्यक्षतः कोई मामला नहीं है। मेरे विचार में लोकतंत्र को और स्वस्थ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपों की पूरी तरह जांच की जाये। इस मामले में कानून के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तथा जैसा श्री मुकर्जी ने कहा इससे देश के लिए एक गलत प्रथा बन जायेगी।

श्री ही. ना. मुकर्जी : हम केवल दो बातें चाहते है एक तो यह कि जब किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये जाये तो उनकी उचित ढंग से छानबीन हो। दूसरे जब किसी सदस्य का चरित्र हनन हो और इस ढंग से कार्य करें जो कि सभा की सदस्यता के योग्य न हो तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये। यदि हम संसदीय प्रणाली में कार्य करना चाहते हैं तो दोनों बात साथ साथ होनी चाहिए। इस मामले में प्रधान मंत्री ने स्वयं जांच करने और साक्ष्य की छानबीन के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व की उपेक्षा की है। उन्होंने इस मामले को अपने तीन सहयोगियों पर छोड़ दिया तथा उनके निर्णय पर विश्वास कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्य बड़े बड़े आरोप लगाते रहते हैं। जहाँ तक मुकर्जी के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है प्रधान मंत्री ने अध्यक्ष के विनिर्णय का कठोरता से पालन किया है।

श्री ही. ना. मुकर्जी : केवल सदस्य ही नहीं मंत्रीगण भी आरोप लगाते रहते हैं ;

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) मै एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने स्पष्टीकरण पूछने का अवसर खो दिया है।

श्री क. लकप्पा (तुमकुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मंत्री को कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। नियम 370 तथा 320 इसमें लागू नहीं होगा। उन्होंने एक गलत उदाहरण स्थापित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर हम पहले ही एक घंटा और पांच मिनट लगा चुके हैं और मैं और अधिक समय नहीं देना चाहता। यह मामला अध्यक्ष महोदय के स्वविवेक पर छोड़ा जाता है। वही इस पर निर्णय लेंगे ?

श्री क० लकप्पा : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूँ। सन्थानम समिति ने भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मसानी के भाषण के अतिरिक्त कुछ रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री क० लकप्पा .'×.'

उपाध्यक्ष महोदय—यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

** कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

* Not recorded.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : You have stated that permission will be granted for seeking clarification.

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरे स्वविवेक के अन्तर्गत है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापतनम्) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रधान मंत्री सभा से बाहर जा रही हैं ।

Shri Madhu Limaye : It is contempt of the House. The Prime Minister has gone out,

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नये विषय को ले लिया है । अब हम पारपत्र विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं । अतः उनको सभा से जाने का अधिकार है-**अन्तर्बाधायें** । कोई भी अन्तर्बाधा रिकार्ड नहीं की जायेगी ।

अन्तर्बाधाएं : :×:.

Shri Madhu Limaye : You have not ful illed your assurances. That is why we leave the House.

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड पर है कि मैंने प्रक्रिया के अनुसार काम किया है ।

श्री एस. एम. जोशी, श्री मधु लिमये तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।

(Shri S M. Joshi, Shri Madhu Limaye and some other members left the House)

पारपत्र विधेयक-जारी
PASSPORTS BILL-CONTD.

श्री मी. रु. मसानी (राजकोट) : पारपत्र विधेयक का खण्ड II बहुत आपत्तिजनक है । इसके अन्तर्गत अपील करने की अनुमति नहीं दी गई है । यह उचित है कि न्यायालय में अपील करने के बारे में उपबन्ध नहीं किया गया है ।

Shri Ram Sewak Yadav : You-have not fulfilled yonr assurance. 1 go out of the House.

(इसके पश्चात श्री राम सेवक यादव सभा भवन से बाहर चले गए)
(SHRI RAM SEVAK YADAV THEN LEFT THE HOUSE)

श्री मी० रु० मसानी : इस विधेयक से स्पष्ट है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तन करना चाहती है । न्यायालय ने कहा है कि एक नागरिक का यह मूल अधिकार है कि वह विदेश में जाये और जब चाहे स्वदेश लौट आये । सरकार कहने को तो कहती है कि यह कानून न्यायालय के निर्णय में कही गई इस बात को पूरा करने के लिये बनाया जा रहा है कि पारपत्रों के जारी करने की प्रक्रिया विनियमन होना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कानून ठीक है ? क्या यह त्रुटिरहित है ? इस कानून में बहुत त्रुटियां हैं । अब इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद कोई व्यक्ति न्यायालय में अपील नहीं कर सकेगा । सरकारी अधिकारियों

:×: कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

:×: Not recorded.

को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। पहले तो एक व्यक्ति जिसे पारपत्र नहीं मिलता था वह न्यायालय में जाकर अपील कर सकता था परन्तु अब अधिकारियों को अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। अब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय अब भी हस्तक्षेप कर सकेंगे। यदि मूल अधिकारों का हनन हो तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं।

श्री मी० रु० मसानी : यदि माननीय मंत्री ऐसा कहते है तो उन्हें मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री सभा को गुमराह कर रहे है। यदि आप चाहें तो सरकार इस विधेयक में आवश्यक परिवर्तन कर सकती है। मैं तो यह कहूंगा कि यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन करता है। हमारे देश में संविधान में वास्तविक प्रभुसत्ता है। कार्यकारिणी, विधानमण्डल आदि सभी उसी के अधिनस्थ हैं। अब सरकार इस विधेयक द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की उपेक्षा कर रही है। मेरे विचार में तो सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को गैर-कानूनी घोषित कर देगा।

मैं इसी कारण अपने संशोधनों पर बल देना चाहता हूं। यदि माननीय मंत्री अपनी बात को कार्यरूप देना चाहते है तो उन्हें मेरे संशोधन स्वीकार कर लेने चाहियें।

श्री गोविन्द मेनन : जब यह बात पहले ही संविधान में है तो इसे दोहराया क्यों जाये ? अनुच्छेद 136 के अधीन कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिये जा सकता है। ऐसा संवैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत किया जा सकता है। इस विधेयक के खण्ड 10 में जिस न्यायाधिकरण का उल्लेख है उसके निर्णय को भी चुनौती दी जा सकती है। ऐसी स्थिति हमारे बहुत से कानूनों के बारे में है। अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनेकों अपीलें प्रस्तुत की जाती है। इसलिये श्री मसानी की आपत्ति निराधार है।

श्री कन्डप्पन (मैंदूर) : माननीय मंत्री के अनुसार संविधान में उपबन्ध हैं कि अपील की जा सकती है, परन्तु हमें यह सन्देह है कि कार्यकारी अधिकारों को बहुत अधिक अधिकार से वे मनमानी करेंगे। इस से जनसाधारण को बहुत कठिनाई हो सकती है। इस विधेयक में बहुत सी अस्पष्ट बातें हैं जिन के बहाने एक व्यक्ति के पारपत्र सम्बन्धी आवेदन को रद्द किया जा सकता है। और कुछ लोगों के आवेदनों को राजनैतिक कारणों से भी रद्द किया जा सकेगा। श्री चागला ने राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा के समय कहा था कि इस कानून के अन्तर्गत किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। परन्तु क्या ये माननीय मंत्री हमेंशा के लिये मंत्री बने रहेगे ? कल को कोई और दल सत्तारूढ़ हो सकता है। इस लिए हमें अधिकारियों को बहुत अधिक अधिकार नहीं देने चाहियें।

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि श्री मसानी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को स्वीकार कर लें।

श्री क० कृ० नायर (बहराइच) : मैं इस कानून की आधारभूत बात के विरुद्ध हूं। वास्तव में यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिये पारित किया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वह निर्णय देश के बहुमत से सम्बंधित नहीं है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय उस विषय पर अन्तिम तथा पवित्र निर्णय होता है। इस निर्णय में संविधान

की एक प्रकार से व्याख्या की गई है। इस विधेयक से विशेष अन्तर नहीं होगा क्योंकि मूल बात तो संविधान में दी गई है।

संविधान के अन्तर्गत देश के लोगों को मूल अधिकार दिये गये है। इस कानून के द्वारा कुछ अधिकारों पर कार्यकारणी को कार्य करने का अधिकार दिया जा रहा है। संविधान में यह भी है कि सरकार कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। यह प्रतिबंध किन्हीं विशेष कारणों से लागू किये जा सकते है। उनमें जनहित एक कारण हो सकता है। परन्तु इस विधेयक में इस कारण का उल्लेख नहीं है। इसमें देश की सुरक्षा की बात कही गई है। दूसरी मुख्य बात यह है कि प्रतिबंध युक्तिसंगत होना चाहिये। इस मामले में अधिकारियों को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। मैं इन को युक्तिसंगत नहीं समझता। सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिये कानून बनाने जा रही है।

[श्री च० कां० भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharya, *in the Chair*]

उच्चत्तम न्यायालय के अनुसार इस प्रकार नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस कानून द्वारा न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु इससे संविधान में तो परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में यह प्रश्न फिर उठाया जा सकेगा कि क्या यह कानून न्यायसंगत है अथवा नहीं? मुझे भय है कि अन्ततः इस कानून को ही कहीं रद्द न कर दिया जाये। इसलिये मेरा माननीय विधि मंत्री से अनुरोध है कि वह वास्तविक स्थिति को समझें और आवश्यक परिवर्तन करें।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : माननीय मंत्री ने कहा है कि हम उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेंगे। हम यह सब जानते है। जब केन्द्रीय सरकार एक व्यक्ति को पारपत्र नहीं देना चाहेगी तो उसे बिना कारण बताये पारपत्र नहीं दिया जायेगा और उसके विरुद्ध अपील भी नहीं हो सकेगी। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में सभी शक्तियां रख ली हैं। केन्द्रीय सरकार को अपील सुनने का अधिकार अपने पास न रखकर किसी न्यायिक निकाय को देना चाहिये। यदि केन्द्रीय सरकार चाहे तो सब प्रकार की मनमानी कर सकेगी। मुझे इसकी कार्य प्रणालियों का अच्छा अनुभव है।

मुख्य बात तो यह है कि लोगों को केन्द्रीय सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार मिलना चाहिये। मेरे विचार में तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यदि सरकार समझती है कि यह विधेयक किसी प्रकार भी लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं है तो उन्हें पारपत्र प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होना चाहिये। वास्तव में सरकार पारपत्र अधिनियम के नाम अत्यधिक अधिकार स्वयं लेना चाहती है।

मैं तो यह भी कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार मनमानी करने के लिये यह विधेयक लायी है। लोगों को स्पष्ट शब्दों में कह दिया जायेगा कि पारपत्र नहीं मिल सकता और इसके विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकेगी। इस समय जबकि एक अध्यादेश लागू है और यह अभी कानून बना नहीं, सरकार ने लोगों को पारपत्र नहीं दिया है। मैं ऐसे मामलों के उदाहरण दे सकता हूं। उन मामलों में पारपत्र प्राधिकार ने वैदेशिक कार्य मंत्रालय को भेजा और वहां से उनको

गृह मंत्रालय भेज दिया गया है। सरकार को यह सब अधिकार अपने हाथ में नहीं लेने चाहियें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) :—लोकतन्त्रीय अधिकारों को बनाये रखने के लिये एक प्रकार का संघर्ष जारी रखना पड़ता है। लोकतन्त्र सदैव अपने अधिकारों की रक्षा के लिये सजग रहता है। लोकतन्त्र को ध्यान रखना होता है, कि कार्यकारिणी कहीं अत्यधिक शक्तिशाली तो नहीं होती जा रही। मैं श्री मसानी की उस बात से सहमत हूं कि कार्यकारिणी को बहुत अधिकार नहीं मिलने चाहियें। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पारपत्र दिये जाने सम्बन्धी नियमों को उदार किया जाना चाहिये। हां सरकार कुछ न्यायोचित प्रतिबन्ध लगा सकती है। हमारे देश में न्यायपालिका ने सदैव व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की है। मैं समझता हूं कि अब इस मामले में भी न्यायालय में अपील करने का अधिकार मिलना चाहिये। मैं श्री मसानी के संशोधनों का समर्थन करता हूं।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) :—मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूं। मेरे विचार में हमें विधेयक में ही समय निर्धारित कर देना चाहिये। माननीय मंत्री ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी परन्तु उसके लिये पहले विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। सीधे अपील नहीं की जा सकेगी। अपीलीय प्राधिकार के अधिकारों तथा प्रक्रिया के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। बल्कि उच्च न्यायालय के अधिकारों को भी इस मामले में सीमित कर दिया गया है। पारपत्र प्राधिकार शब्द भी स्पष्ट नहीं किया गया। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये। इसका उल्लेख श्री राममूर्ति ने भी किया है। जब केन्द्रीय सरकार स्वयं पारपत्र प्राधिकार बन जायेगी तो अपीलें किस के समक्ष रखी जायेंगी। इस प्रकार लोगों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यदि सरकार चाहती है कि सभी से न्याय हो तो इस किसी न्यायिक निकाय के समक्ष अपील करने की व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार को श्री मसानी का तथा मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :—माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि सरकार मनमानी करेगी और भेदभाव करेगी। सरकार न्यायालय के निर्णय से पूर्व भी पारपत्र जारी कर रही थी। उस समय भी बहुत कम लोगों को पारपत्र दिये जाने से इन्कार किया जाता था। यह बात गलत है कि सरकार मनमानी करेगी। इस बारे में निर्णय सरकार का एक उच्चस्तर का अधिकारी करता है। देश की सुरक्षा तथा अखण्डता को ध्यान में रखते हुए ही किसी को पारपत्र देने से इन्कार किया जायेगा। इस बारे में किसी दल से भेदभाव नहीं किया जायेगा। इस बारे में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिये। अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय :—खण्ड 11 पर 4 संशोधन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 33 मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 73 : विपक्ष में 83

Ayes 73 : Noes 83

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 34 मतदान के लिये रखा गया।

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 66 : विपक्ष में 84

Ayes 66 : Noes 84

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was Negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 36 और 51 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment No. 36 and 51 were put and Negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

'कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 11 was added to the Bill

खण्ड 12 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 12 to 18 were added to the Bill

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 19 was added to the Bill

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 20 was added to the Bill

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 21 was added to the Bill

खण्ड 22 और 23 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 22 and 23 were added to the Bill

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 24 was added to the Bill

खण्ड 25 से 27 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 25 to 27 were added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि विधेयक को पारित किया जावे"

उपाध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : If the amendments were accepted, this Bill would have become a model law. This Bill has been brough as a result of the Supreme Courts' decision in which they had pointed out some loopholes in the present passport rules. Government should have brought a Bill in keeping with the spirit of the judgement of the Supreme Court. We should incorporate the suggestions of the Supreme Court. It is the duty of the Court to interpret the constitution. A provision should be made in this Bill that in case of refusal of passport an appeal could be made to the High Court or Supreme Court.

श्री च० चू० देसाई (सावर कंडा)—यह विधेयक बहुत त्रुटिपूर्ण है। सरकार ने यह विधेयक बहुत शीघ्रता से पारित कराने की कोशिश की है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तुरन्त बाद अध्यादेश जारी कर दिया गया था। अब यह विधेयक उसी के आधार पर लाया गया है। सरकार को प्रतिपक्ष की बात मानकर इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना चाहिए था। वहां पर इस विधेयक के सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार किया जा सकता था।

पारपत्र प्राप्त करना एक नागरिक का मूल अधिकार है। यहां आश्वासन दे दिया गया है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा परन्तु व्यावहारिक रूप में स्थिति बदल जाती है और लोगों को निरन्तर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह आरोप लगाया गया है कि सरकार कम्युनिस्टों को पारपत्र नहीं देती। यह बहुत अनुचित है। भविष्य में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिये। सरकार को चाहिए जब भी कोई व्यक्ति पारपत्र के लिये आवेदन दे उसे पारपत्र जारी कर दे। यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि यात्रा के समय ही पारपत्र जारी किया जाये। उससे काफी समय पूर्व भी पारपत्र मिल जाना चाहिये।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा)—इस विधेयक द्वारा सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उपहास कर रही है। सरकार ने नागरिकों के मूल अधिकारों की ओर ध्यान नहीं दिया। इस सम्बन्ध में न्यायालयों के समक्ष नहीं जायेंगे उनको कानूनी रूप दिया जाना चाहिये और संशोधन स्वीकार कर लिये जाने चाहिये। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री वासुदेवन नायर (परिमाडें) मैं अब भी इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हू जब पारपत्र दिये जाने से इन्कार किया गया हैं। 1963 में श्री नम्बूदिरिपद को विदेश जाने के लिये पारपत्र नहीं दिया गया था। बाद में श्री नेहरू के हस्तक्षेप से उन्हें अनुमति दी गई। अब भी हम सरकार के आश्वासनों पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें आशा थी कि सरकार कुछ संशोधन स्वीकार कर लेगी परन्तु हमें खेद है कि सरकार ने प्रतिपक्ष वालों की बात नहीं मानी।

Shri George Fernandes : (Bombay-South) Inspite of combined opposition from all the parties against this Bill the Government have brought this measure,

All the citizens have the right to go abroad but the Government is trying to deny them this right. The Government will be equipped with unlimited powers on the passing of this Bill. They can refuse passport to anyone without assigning any reason. The aggrieved party have also been deprived of the right of appeal. In fact the Government

have tried to play with the Fundamental Rights of the individual as has been done in the Defence of India Rules.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) यह बात कही गई है कि इस विधेयक द्वारा हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का अनादर कर रहे हैं। वास्तव में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय से ही यह स्पष्ट होता है कि पासपोर्ट जारी करने के बारे में कोई विधि नहीं है पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है इस विधेयक को पासपोर्ट देने से इन्कार करने के सम्बन्ध में शर्तें आदि बनाने के लिये प्रस्तुत किया गया है इसलिये यह कहना अनुचित होगा कि इस विधेयक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनादर करने का यत्न किया गया है

दूसरी बात यह कही गई है कि सरकार द्वारा इन शक्तियों का मनमाने ढंग से तथा राजनैतिक कारणों के लिए प्रयोग किये जाने की सम्भावना है। जिन आधारों पर पासपोर्ट देने से इन्कार किया जा सकता है उनका विधेयक में स्पष्ट उल्लेख किया गया है अतः राजनैतिक कारणों से किसी को पासपोर्ट न देने की कोई बात नहीं है।

विधेयक में अपील करने का अधिकार दिया गया है। जैसा कि विदेशमंत्री ने बताया था अपीलीय प्राधिकारी को कानून की पृष्ठभूमि तथा कानून की जानकारी होगी। अतः इन शक्तियों को मनमाने ढंग से प्रयोग किये जाने की काई सम्भावना नहीं हैं

इन सभी कारणों से मैं निवेदन करूंगा कि विधेयक को पारित किया जाये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

[**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
The Motion was adopted]

अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1967-68

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1967-68

उपाध्यक्ष महोदय : अब वर्ष 1967-68 के रेलवे आयव्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान किया जायेगा। इसलिए आठ घंटे का समय रखा गया। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देना चाहें वे पन्द्रह मिनट के अन्दर अन्दर अपनी पर्चियाँ सभापटल पर भेज दें।

वर्ष 1967-68 के लिए रेलवे मंत्रालय के अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		Rs.
1.	रेलवे बोर्ड	85,98,000
2.	विविध व्यय	3,06,26,000
3.	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान	24,96,000
4.	संचालन-व्यय—प्रशासन	44,53,67,000
5.	संचालन-व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	1,41,51,75,000
6.	संचालन-व्यय—परिचालन कर्मचारी	91,46,16,000
7.	संचालन-व्यय—परिचालन (ईंधन)	88,45,09,000

8. संचालन-व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	25,24,41,000
9. संचालन-व्यय—विविध व्यय	21,39,05,000
10. संचालन-व्यय—कर्मचारी कल्याण	15,37,76,000
11. संचालन-व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	71,99,98,000
11-क संचालन-व्यय—पेंशन निधि में विनियोग	10,03,33,000
12. सामान्य राजस्व को लाभांश	1,35,55,86,000
13. चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	7,50,00,000
14. नई लाइनों का निर्माण	25,34,18,000
15. चालू लाइन निर्माण—पूंजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	3,57,79,39,000
16. पेंशन-प्रभार—पेंशन निधि	2,75,38,000
17. सामान्य राजस्व से लिये गये कर्ज और उस पर सूद का भुगतान—विकास निधि	41,15,000
18. विकास निधि में विनियोग	1,27,75,000
20. राजस्व आरक्षित निधि से निकासी	2,05,49,000

डा० रामेन सेन (बारसाट)—इससे पूर्व कि भाषण किये जाये जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव दे रखे हैं उनको उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय—आप कटौती प्रस्ताव की संख्या देकर अपनी चिटें भेज सकते हैं ।

रेलवे मन्त्री (चे०मु० पुनाचा)—यदि सभा सहमत हो तो अनुदानों की अतिरिक्त मांगों पर भी साथ ही चर्चा की जा सकती है । इससे समय बच जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय—उनको अलग से दिया गया है । इसलिए उनको अलग से ही लिया जायेगा ।

श्री चित्ति बाबू (चिंगलपट)—माननीय मन्त्री ने यात्री किराया तथा माल भाड़ा बढ़ाने का एक कारण यह बताया है कि इस्पात के मूल्यों में वृद्धि हो गई है । मेरे विचार में इसका कारण यह है कि हमारे इस्पात संयंत्र हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहे हैं । यदि यह स्थिति है तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि मद्रास राज्य में सलेम के स्थान पर इस्पात संयंत्र लगाने का काम आरम्भ करें । सलेम के समीप पर्याप्त प्राकृत्तिक सुविधायें उपलब्ध हैं अतः यह एकक बहुत ही मितव्ययी एकक होगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि तूतीकरीन पत्तन का विस्तार किया जाना चाहिए इसका रेलवे की अर्थव्यवस्था से सीधा सम्बन्ध है ।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में न तो पहले ही मद्रास राज्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था और नहीं अब है । मद्रास राज्य की सदा से उपेक्षा की जाती रही है । दक्षिणी रेलवे प्रभावहीन हो कर रह गई है ।

[**श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Bhattacharya *in the chair*]

रेल गाड़ियों में बहुत भीड़ होती है । डिब्बों में बिजली आदि का भी प्रबन्ध नहीं होता ।

चिंगलपट जिला औद्योगिक तौर पर बहुत प्रगति कर रहा है । मद्रास नगर की अधिकांश आवश्यकताओं को यह जिला ही पूरा करता है परन्तु खेद की बात है कि इस जिले से मद्रास नगर के लिए अधिक रेल गाड़ियां नहीं चलाई जाती हैं । दक्षिणी रेलवे की कार्यकुशलता यह है कि एक यात्री रेलगाड़ी को अरक्कोनम से कंचापुरम के रास्ते चिंगलपट पहुंचने में पांच घण्टे लगते हैं । इस कारण यहां के व्यापारियों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है । रेलवे की पर्याप्त व्यवस्था के अभाव के कारण निजी मोटरों वाले बहुत लाभ कमा रहे हैं ।

भारत सरकार अणुशक्ति संयंत्र कलपाक्कम में स्थापित कर रही है जोकि चिंगलपट जिला में स्थित है । परन्तु यहां भी रेलवे सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ।

चिंगलपट जिले में रेलवे परिवहन के विकास के लिए पहले भी तथा हाल के चुनाव के बाद भी कई सर्वेक्षण किये गये हैं परन्तु रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उनको कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि मद्रास राज्य में डी० एम० के० सत्तारूढ़ हो गई है । यदि जिन संघों का सर्वेक्षण किया गया था वहां पर रेलवे लाइने बिछाई जायें तो रेलवे के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है ।

चिंगलपट का वर्तमान रेलवे स्टेशन बहुत ही छोटा है तथा यहां पर बहुत कम प्लेटफार्म हैं । मैं माननीय मंत्री से इस स्टेशन के विस्तार के लिए निवेदन करूंगा क्योंकि यहां पर अत्यधिक भीड़ रहती है । और अब यह जिला मुख्यालय होने के साथ साथ एक औद्योगिक केन्द्र भी बन गया है । वैसे भी मद्रास राज्य के अधिकांश स्टेशनों पर प्लेटफार्म छोटे-छोटे हैं उन स्टेशनों पर अधिक सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए ।

गत पन्द्रह वर्षों के दौरान चिंगलपट तथा तमबारम के बीच बहुत से उद्योग स्थापित हो गये हैं । यहां पर माल यातायात की बहुत भीड़ रहती है परन्तु यहां पर केवल एक मीरागंज की ही लाइन है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि यहां पर डबल लाइन की व्यवस्था की जाये । मद्रास नगर को एक महानगर बनाने का भी प्रस्ताव है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इलेक्ट्रिक शेड का चिंगलपट में बदल दिया जाये ।

चिंगलपट जिले में विभिन्न पर्यटन केन्द्र हैं । यदि इन सभी केन्द्रों को वृत्ताकार रेलवे से मिला दिया जाये तो पर्यटकों को इससे बहुत सहायता मिलेगी ।

तम्बरम में रेल कर्मचारियों के लिए लगभग 500 क्वाटर है परन्तु उनके क्वाटरों के निकट मेडिकल की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं है । रेलवे अस्पताल उनके क्वाटरों से बहुत दूर हैं और उसमें बहुत भीड़ रहती है । रेलवे कर्मचारियों को सामान खरीदने तथा उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए रेलवे लाइनों को पार करना पड़ता है । उनके क्वाटरों के निकट कोई ऊपरि-पुल नहीं है । मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह यथासम्भव शीघ्र सुविधायें पहुंचाने के लिए कार्यवाही करें ।

दक्षिण रेलवे में खलासियों की एक बड़ी संख्या ने 10 से 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है परन्तु उनको अभीतक स्थायी नहीं बनाया गया है । उनको पांच वर्ष के सेवा के पश्चात् स्थायी बनाने की प्रथा है । रेलवे मन्त्री को इस ओर दक्षिण रेलवे के टाइपिस्टों तथा लेखा विभाग के पदक्रम के कलर्कों के लिए भी कुछ नहीं किया गया है । वे लोग पन्द्रह से पच्चीस वर्ष की सेवा

कर चुके हैं परन्तु अभी तक उनकी पदोन्नति नहीं हुई है। उनको लोगों को कम से कम विशेष वर्ष वृद्धियाँ दी जानी चाहिए।

मैंने कई बार रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात् जनरल मैनेजर आदि से मिलने का प्रयत्न किया परन्तु प्रत्येक बार मुझे निराशा हुई है। यह सामान्य विश्वास है कि जो अधिकारी जनता के प्रतिनिधियों को मिलने से इन्कार करता हैं वह उस क्षेत्र में जनता की प्रभावशाली ढंग से सेवा नहीं कर सकता। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामलों की जांच कर अपराधी को दण्ड दें।

मेरे क्षेत्र की सदा से उपेक्षा की गई है। यदि लोगों को पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं की गई तो वे आन्दोलन करेंगे।

चीन द्वारा अपने राजनयिक कर्मचारियों को वापस ले जाने के लिए एक विमान भेजने के प्रस्ताव का समाचार

Reported Chinese proposal to send an Aircraft to evacuate their diplomatic personnel.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It is said that China has informed of its decision of sending an aircraft to India to evacuate their personnel as this land belongs to their father who are they to take the decision ? I would like to know whether the hon. Minister will make a statement in this regard.

सभापति महोदय—इस बारे में मन्त्री महोदय को सूचित कर दिया जायेगा।

अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1967–68

DEMANDS FOR (GRANTS RAILWAYS) 1967-68

श्री प्र० नं० सोलंकी (कैरा); रेलवे के भाड़े में वृद्धि से आम व्यक्ति पर अधिक बोझ पड़ा है। रेलवे में किरायों तथा माल भाड़े में वृद्धि के कारण सड़क परिवहन वालों ने भी अपने भाड़ों में वृद्धि कर दी है।

तीसरे दर्जे के यात्रियों को यात्रा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है। बैठने के लिए स्थान भी नहीं मिलता है। स्टेशनों पर विश्रामालय तथा पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। यदि माननीय मन्त्री वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वालों के किराये में वृद्धि करते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। अतः मैं तीसरे दर्जे के किरायों में वृद्धि के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करता हूं।

माननीय मंत्री को किसी क्षेत्र में छोटी लाइनें तब तक बन्द नहीं करनी चाहियें जब तक कि सरकार उसके स्थान पर मीटर लाइनें अथवा बड़ी लाइनें लगाने के लिये तैयार न हो। गुजरात राज्य के भड़ौच जिले में एक छोटी लाइन दहेज पत्तन को अन्दर के भाग से मिला रही है। वह लाइन तब तक बन्द नहीं की जानी चाहिये जब तक परिवहन के किसी दूसरे साधन की व्यवस्था नहीं की जाती क्योंकि इसके परिणाम इस पत्तन के लिये घातक सिद्ध होंगे।

जिन कुछ मांगों के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं रेलवे मंत्री को यह याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सवालिया से बजालिनौरे तक जाने वाली बड़ी लाइन आम जनता के प्रयोग के लिये नहीं है। यह केवल गैर सरकारी समवायों

के प्रयोग के लिये है। इस लाइन को आम जनता के प्रयोग में लाना चाहिये। कपाडवंज से मद्रास तक एक मीटर गेज लाइन बनाई जानी चाहिये।

गुजरात राज्य में धुवारन में एक बहुत बड़ी विद्युत परियोजना है। वहां हजारों श्रमिक प्रतिदिन आते जाते हैं। वहां एक फ्लैग स्टेशन की अवस्था होनी चाहिये ताकि इस परियोजना के कर्मचारियों को सुविधा मिल सके।

रेलवे अधिकारियों तथा कर्मचारियों में अधिक तालमेल होना चाहिये अन्यथा इस विभाग में भी घेराव होंगे। खेद की बात है कि रेलवे प्रशासन बुकिंग, पार्सलों तथा माल का निपटारा करने वाले वाणिज्यिक कलर्कों को आवश्यक कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं दे रहा है। रेलवे मंत्री को उनके मामलों पर विचार करना चाहिये और उन्हें आवश्यक कर्मचारी समझना चाहिये। कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक कलर्कों को वर्दियां दी जाती है परन्तु पश्चिमी क्षेत्र में वर्दियां नहीं दी जाती हैं। उन्हें वर्दियां मिलनी चाहियें और पदोन्नति के अन्य साधन उपलब्ध होने चाहिये।

वाणिज्यिक कलर्कों के अन्धाधुन्ध स्थानान्तरण से उन्हें बहुत असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि तबदीली को बदलवाने के लिये घूस देनी पड़ती है। ऐसे कलर्कों के स्थानान्तरण बहुत कम होने चाहिये।

रेलवे मंत्री ने गाड़ियों के समय पर चलने के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिये हैं जो ठीक नहीं हैं। कुछ तेज तथा लम्बे मार्ग की गाड़ियां देर से चलती हैं। क्या सदर्न एक्सप्रैस तथा ग्रांण्ड ट्रंक एक्सप्रैस कभी समय पर चलती हैं, इस बात की जानकारी की जानी चाहिये कि वे गाड़ियां देर से क्यों चलती हैं ?

मैं आपका ध्यान फालतू कर्मचारियों के उपयोग की ओर दिलाना चाहता हू। उनका ठीक तरीके से उपयोग किया जाना चाहिये। उनका उपयोग बिना टिकट की यात्रा को रोकने तथा सफाई की समस्या पर ध्यान देने के लिये किया जाना चाहिये। इससे रेलवे की कार्य-कुशलता में वृद्धि होगी।

वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारियों की बात नहीं सुनते। उन्हें कनिष्ठ अधिकारियों की गलतियों के लिये भी जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिये। इससे अधिक सतर्कता होगी और कार्य कुशलता बढ़ेगी।

श्री जार्ज फरनेन्डीज रेलों पर विलास पूर्वक यात्रा का मामला बहुत बार उठाते हैं, वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के लिये 900 से अधिक सैलून हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त वे सरकार की समाजवाद की नीति से असंगत हैं। ऐसे सैलून-समाप्त किये जाने चाहियें। मामूली मामूली मामलों के लिये सैलूनों में यात्रा की जाती है और हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं।

Shri D.N. Tiwary (Gopalganj) : The Railway Board is the highest administrative authority, policy making body and highest executive body of the Railways. One begins to think whether there is any use of a Railway Minister in addition to the Railway Board. The members of the Board behave as if they are omnipotent. The Minister of Railways

appears to be helpless in the face of the Railway Board, The Members of the Board do not accept the constructive and valuable suggestions of the Members of Parliament.

The General Managers and authorities of different railways make their own interpretation of the circulars issued by the Railway Board, The circulars are implemented or not implemented according to the whims of the authorities. Certain instructions were issued in some circulars but it is very unfortunate that those instructions have not been complied with. Vide Circular No. E/11/265/15/15.4.67 instructions were issued that the suspension of employees should not be made for more than four months. But I have got cases in which such suspension has been going on for years. Such a state of affairs should not be allowed to continue, This tells upon the efficiency of the railways since dissatisfaction amongst the employees results in the inefficiency of the railways. The Railway Board should be in a position to get its circulars implemented.

The railway employees are sent on deputation for a period of three to four years in the vigilance Department. After the period of deputation is over, they have to come back under those very officers, against whom they have to submit reports. As a result, they cannot dare to take action against their former officers. The vigilance Department should have separate establishment.

Saloons and Air-conditioned trains should be done away with. More accommodation can be provided by taking such a step. A poor country like ours cannot afford such a luxury.

The rules regarding age of retirement are not applied universally. Extensions are given on the whims of officers.

The Members of the Railway Board do not care to know about the condition of railway-lines. The railway lines are not looked after properly. That causes accidents. Steps should be taken for a proper checking of railway lines. The lines have become outdated and their inspection and supervision has become a necessity.

It is a curious thing that trains get late even at the starting station. It means that there is no body to see that the trains leave in time. Such things should not be allowed to happen.

The Railway Service Commission for Eastern Railway and South Eastern Railway shall be located at Patna. This will help in securing employment to the people belonging to the State of Bihar on the Railways and justice will be done to them. A quota for them should be fixed in the matter of railway services.

I have written to the Railway Minister with regard to a case in which a candidate was declared successful in a written test and interview and he was given a letter of appointment but when he went to the place where he was asked to report, he was not given the job. I hope the hon. Minister will look into this matter.

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पडरौना) :—यह ठीक है कि कर में वृद्धि का भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है। मजूरी में वृद्धि आदि से यात्री तथा अन्य यातायात की दरों में वृद्धि स्वाभाविक ही है। परन्तु इसके साथ ही मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाली राशि की भी कोई सीमा होती है। उपभोक्ताओं के लिये सुविधाओं में भी वृद्धि की जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं उत्तर पूर्व रेलवे की एक विशेष लाइन का उल्लेख करना चाहता हूं। गोरखपुर से सिवान तथा चितौनीघाट तक एक रेलवे लाइन का है। बाढ़ से चितौनीघाट का पुल टूट गया था। उसके पश्चात् वहां कोई पुल नहीं बना है। हाल ही की बाढ़ से रेलवे लाइन का कुछ भाग बह गया था। उसकी मरम्मत आदि करने के लिये रेलवे ने कोई परवाह नहीं की। वर्षा आरम्भ होने से पहले ही इस लाइन की शीघ्र मरम्मत की जानी चाहिये।

हम समाजवाद की बहुत बातें करते हैं। समाजवाद लाने का एक तरीका अथवा सामाजिक एकता लाने का एक तरीका सहकारी समितियां स्थापित करना है। उनके निर्माण

को प्रोत्साहन देना चाहिये। रेलवें मजदूरों को केवल 1·50 रुपये प्रति दिन मिलते हैं। इतनी कम राशि से निर्वाह करना बहुत कठिन है। उनकी समस्यायें हल करने के लिये सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

इसमें सन्देह नहीं है कि वातानुकूलित डिब्बे तथा सैलून विलास के प्रतीक है। परन्तु कई बार विलास की वस्तुयें भी आवश्यक हैं। पदाधिकारियों के लिये सैलून जैसी सुविधायें आवश्यक है। इस बारे मे बार बार आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। अधिकारियों को अपने कर्त्तव्य की पालना मे इन सुविधाओं की आवश्यकता है।

मैं अन्य माननीय सदस्यों के साथ इस बात में सहमत हूं कि अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है। मैं जानता हू कि ऐसी व्यवस्था है कि रेलवे बोर्ड तथा संघों के प्रतिनिधि मिलकर विवादों को हल करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु ऐसे कई मामले हैं कि लोग एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये मुअतल रहे हैं। कुछ अवधि निर्धारित की जानी चाहिये जिसके अन्दर झगड़े निपटाये जाने चाहिये।

मैं श्री तिवारी के साथ इस बात में सहमत हूं कि गाड़ियों के समय पर चलने के मामले में जांच की जानी चाहिये। गाड़ियों का दो तीन घण्टे देर से चलना साधारण बात हो गयी है। मुझे आशा है कि रेलवे मन्त्री इस बात की ओर ध्यान देंगे और रेलों का समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था बनायेंगे ताकि गाड़ियों की प्रतीक्षा करते करते लोगों का समय बर्बाद न हो।

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly) : The Railway Budget used to be a surplus budget and the railways used to be a good source of income for the Central Government. But the income of the railway is dwindling day by day and no attempts are being made to check the loss to railway income. The railways are particularly suffering on account of goods traffic. People do not want to avail of the railway goods services because of the late arrival of goods, damage and loss due to careless handling of goods. The railway have also to pay damages in the event of goods having been lost in transit. This loss to the railway accrues due to the careless- ness of its employees. Steps should be taken to check it. Goods carried by the railways lie on the platforms for a number of days. This results in damage to the goods and causes loss to the railways. Such goods should be ordered to be removed from the railway platforms within twelve hours of unloading.

The railways have also to compete with road transport in the matter of passenger traffic. No facilities have been provided to passengers inspite of the increased fare. That is why, people prefer to travel by buses and it results in loss of income to the railways. Attention should be paid to this matter.

A few trains reach the destination before the time mentioned in the Time Table. The railways have, therefore, to pay more allowances to the employees unnecessarily. It appears, the railway administration is no t aware of actual timings of trains. A committee should be appointed to look into this matter and suggest new timing of trains. Concerned officers should not be represented on those Committees. The Commitee should comprise of Members of Parliament.

It is not proper to provide, saloons to railway officers. The saloons should be discontinued. The Ministers should pay attention to it.

The disparity between the salaries of guides third class drivers Station Masters and other employees should be removed. Their pay scales should be fixed in accordance with the pay-scales of other employees of the same category. There is more strain on booking clerks, goods clerks and parcel clerks. Their pays and allowances are also less. They should be given better pay--scales and they Should be treated as essential employees.

रेलवे मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	1	श्री यशपालसिंह	रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर
1	2	,,	रेल के किराये, भाड़े, प्लेटफार्म टिकट आदि में बढ़ौतरी ।	1 रुपया कर दी जाये
1	3	,,	रेलवे बोर्ड का कार्य संचालन सुधारने में असफलता ।	,,
1	4	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	किराये तथा भाड़े में वृद्धि ।	,,
1	5	,,	रेलवे बोर्ड में रेल कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व न देना ।	,,
1	6	,,	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के साथ बातचीत करने से इंकार करना	,,
1	7	,,	श्रेणियों के अनुसार कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करना ।	,,
1	8	श्री श्रीचन्द गोयल	रेलवे में स्वचालन तथा यंत्रीकरण आरम्भ करना ।	,,
1	9	श्री बेधर बेहेरा	रेलवे राजस्व के संसाधनों को कम विकसित राज्यों में प्रयुक्त करने के सम्बन्ध में अध्ययन करने के एक आयोग नियुक्त न करना ।	,,
1	10	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे और अन्य सब रेलवे में डीजल पद्धित के अपनाये जाने और मितव्ययता करने के कारण कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी को रोकने में असफलता ।	,,

1	11	श्री बेघर बेहेरा	रेलवे के प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने और मितव्ययता करने में असफलता।	राशि घटा कर रुपया कर दी जाये
1	12	श्री क० मि० मधुकर	रेलवे विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता।	,,
1	13	,,	छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में असफलता।	,,
1	14	,,	रेल के किराये में वृद्धि।	,,
1	15	,,	रेलवे बोर्ड में अनावश्यक व्यय।	,,
1	17	श्री वासुदेवन नायर	किराये और भाड़े की दरों में वृद्धि।	,,
1	18	,,	विशेष अधिकारों के अधीन रेलवे कर्मचारियों का बर्खास्त किया जाना।	,,
1		श्री यशपाल सिंह	रुड़की रेलवे स्टेशन पर टांगा–शड की व्यवस्था की वांछनीयता।	100 रुपया
1	21	,,	रुड़की–दिल्ली सड़क पर ऊपरी–पुल बनाने की वांछनीयता।	,,
1	22	,,	रुड़की स्टेशन पर विश्राम गृह बनाने की वांछनीयता।	,,
1	23	,,	रेलवे बोर्ड के सदस्यों के वेतन में कमी करने की वांछनीयता।	,,
1		,,	रेल के डिब्बों में पीने के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
1	25	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की बहुत पुरानी शिकायतों का दूर न किया जाना।	,,
1	26	,,	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की ड्यूटी के समय में निर्धारित संख्या में गाड़ियां गुजरें या न गुजरें इस पर ध्यान न देते हुए उन्हें रात्रि ड्यूटी भत्ता देने में असफलता।	

1	27	,,	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों को बिना किराये के क्वार्टर न देना ।	,,
1	28	,,	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के परिवारों के लिये चिकित्सा तथा शिक्षा की पर्याप्त सुविधायें न देना ।	,,
1	29	,,	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर संघ को दिये गये इस आश्वासन को, कि नियमानुसार कार्य में भाग लेने के लिये किसी कर्मचारी को दण्ड नहीं दिया जायेगा, प्रशासन द्वारा पूरा न करना ।	,,
1	30	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	मध्य रेलवे में छोटी लाइनों की दशा सुधारने की आवश्यकता ।	,,
1	37	श्री रामावतार शास्त्री	तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये सुविधाओं का अभाव ।	,,
1	38	श्री बेघर बेहेरा	दक्षिण पूर्व रेलवे के बैरी रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	39	,,	कटक जिले के केन्द्रपाड़ा नगर में टिकट घर की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1	40	डा रानेन सेन	पूर्व रेलवे के बनगांव सेक्शन ने दुहरी रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	41	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	रेलवे बोर्ड द्वारा अनावश्यक व्यय को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	42	,,	फतेहपुर-चुरू और उदयपुर-हिम्मतनगर के बीच लिये जाने वाले अधिक किराये में समानता लाने की आवश्यकता ।	,,
1	113	श्री बलराज मधोक	रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के साथ, जब वे दूसरे मंत्रालयों में जाना चाहते हैं, भेदभावपूर्ण व्यवहार ।	,,

1	119	श्री वासुदेवन नायर	केरल में नयी रेलवे लाइनें बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	120	,,	एरणाकुलम से त्रिवेंद्रम तक मोटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	,,
1	121	,,	कोचीन से कायनकुलम तक तटीय रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	122	,,	तेल्लिचेरी–मैसूर रेलवे लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
1	123	,,	केरल में कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों को नया रूप देने की आवश्यकता ।	,,
1	124	,,	मद्रास से केरल के बीच चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों में डीजल से चलने वाले इंजन लगाये जाने की आवश्यकता ।	,,
1	125	,,	बम्बई से सीधी कोचीन जाने वाली एक गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
1	126	,,	हावड़ा से सीधा कोचीन तक जाने वाला एक डिब्बा लगाये जाने की आवश्यकता ।	,,
1	127	,,	ओलवक्कोड डिवीजन में नारियल जटा, पैकिंग करने की पेटियां, टाइलों और खाद्य पदार्थों को ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में मालगाड़ी के डिब्बों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1	128	,,	कोचीन से कोयम्बतुर तक दुहरी रेल लाइन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
2	132	श्री शिकरें	गुन्जी से सावन्तवादी तक गोवा से गुजरती हुई एक नयी रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
2	137	श्री श्रीचन्द गोयल	प्रतीक्षालय तथा शौचालयों का निर्माण करके चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन का सुधार करने की आवश्यकता ।	,,

2	138	,,	अमृतसर, जालंधर, रोहतक और धुरी स्टेशनों का सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
2	139	,,	दिल्ली में पटेल नगर क्रासिंग, न्यू रोहतक रोड डबल फाटक पर रेल के पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
2	140	श्री रामावतार शास्त्री	रफीगंज से बिहटा तक नयी लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
2	141	,,	जहानाबाद से बिहार तक नयी लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
2	142	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	कोटा से चित्तौड़ तक रेलवे लाइन के विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता ।	,,
2	149	श्री क० मि० मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे पर महेशी से सीतामढ़ी तक नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता ।	,,
2	150	,,	पूर्वोत्तर रेलवे पर हाजीपुर स्टेशन से वाल्मीकी-नगर तक नई लाइन के, जो लालगंज, साहिबगंज केसरी ओर गोविन्दगंज से गुजरेगी, निर्माण के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता ।	,,
2	151	,,	पूर्वोत्तर रेलवे पर मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक एक नई लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण की आवश्यकता ।	,,
4	156	श्री बेधर बेहेरा	उड़ीसा के अनसूचित जाति के लोगों को दक्षिण पूर्व रेलवे में चतुर्थ और तृतीय श्रेणियों के पदों पर नियुक्त करने में प्राथमिकता न देना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
4	157	,,	रेलवे की भूमि को खेती के लिये पटटे पर देने में अनुसूचित जातियों के लोगों को प्राथमिकता न देना ।	,,

4	158	श्री बृज भूषण लाल	भारतीय रेलवे में गार्डों तथा तृतीय श्रेणी के अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में अन्तर को दूर करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
4	162	श्री बेघर बेहेरा	तीसरी श्रेणी के डिब्बों में प्रति यात्री एक सीट उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	,,
4	163	,,	तीसरी श्रेणी के किराये में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता ।	,,
4	164	,,	समस्त भारत में छोटे छोटे स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
4	165	श्री इब्राइम	कोट्टयम से एट्टूमनूर ले जाने के लिए सामान भरने की बड़ी बड़ी पेटियां (चैस्ट्स) के लिए माल डिब्बों की सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
5	173	श्री नायनार	कोचीन और एलेपी में नारियल जटा के निर्माताओं को पर्याप्त माल डिब्बों की सुविधाएं न देना ।	,,
5	179	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	19 अप और 20 डाउन रेल गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के लिए कन्डक्टर की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
5	180	,,	बम्बई से दिल्ली तक चलने वाली फ्रांटीयर मेल रेल गाड़ी में कण्डक्टर की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
5	181	,,	जनता एक्सप्रेस और देहरादून रेलगाड़ियों में कर्मचारियों के लिये शायिकाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
5	183	श्री क० मि० मधुकर	पूर्वोत्तर रेलवे में मोतीपुर और कांटी के बीच एक स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	,,
5	184	,,	पूर्व रेलवे में गुलजारबाग स्टेशन के निकट रेलवे फाटक चौड़ा करने की आवश्यकता ।	,,

5	185	श्री स० कुंडू	दक्षिण-पूर्व रेलवे के ढेंकानाल, हरिदासपुर, केन्द्रपाड़ा रोड, बालासोर, रूप्सा, बस्ता, जालेश्वर, जगपुर रोड, अमरया रोड रेलवे स्टेशनों पर सफाई, रोशनी, प्लैटफार्म, शेड तथा प्रतीक्षालयों की दशा सुधारने की आवश्यकता ।	,,
6	191	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
6	192	,,	कर्मचारियों को मकान देने की आवश्यकता ।	,,
9	199	श्री क० मि० मधुकर	रेलवे में दुर्घटनाओं को रोकने तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता देने में असफलता ।	,,
9	200	श्री बलराज मधोक	सरकारी रेलों में विभागीय भोजन-व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
10	202	श्री यशपाल सिंह	रेल कर्मचारियों के लिए आयुर्वेदिक औषधालय (डिस्पेंसरियां) खोलने की वांछनीयता ।	,,
10	203	,,	रेल कर्मचारियों के लिए अवकाश गृह तथा शिक्षा संस्थाओं का कार्य संचालन ।	,,
10	208	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों के लिए चिकित्सा, शिक्षा और कर्मचारी जलपान-गृह की सुविधाओं की व्यवस्था ।	,,
10	209	,,	डीजल कर्मशाला, वाराणसी और लोको कर्मशाला के कर्मचारियों के लिए कल्याण सुविधाओं का अभाव ।	,,
10	210	श्री क० मि० मधुकर	कर्मचारियों को शिक्षा तथा चिकित्सा संबंधी सुविधायें देने में असफलता ।	,,
12	212	श्री यशपाल सिंह	सामान्य राजस्व में देय लाभांश को कम करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
13	214	श्री क० मि० मधुकर	कर्मचारियों के कल्याण की ओर उचित ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपया

14	215	श्री यशपाल सिंह	शाहदरा–सहारनपुर लाइट रेलवे का प्रबन्ध अपने (सरकार के) हाथ में लिये जाने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
14	216	श्री वेधर बेहेरा	दक्षिण-पूर्व रेलवे लाइन के अन्तर्गत उड़ीसा में बरसुआं तथा तलचेर को मिलाने वाली एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने में असफलता ।	,,
14	217	श्री नायनार	एलेपी-कायनकुलम रेलवे लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
14	218	,,	तेल्लिचेरी तथा मैसूर को मिलाने वाली नयी रेलवे लाइन की आवश्यकता ।	,,
14	219	,,	केरल में ओलावक्कट में क्रियो-सोटिंग प्लान्ट को पूरी क्षमता से चलाने में असफलता ।	,,
14	220	श्री क० प्र० सिंह देव	उड़ीसा में तालचेर से विमलगढ़ तक रेलवे लाइन के निर्माण की अविलम्बनीय आवश्यकता ।	,,
14	221	,,	अम्बागुडा को लांजीगढ़ रोड (डी० बी० के० रेलवे) से मिलाने के लिये एक नई रेलवे लाइन के निर्माण की अविलम्बनीय आवश्यकता ।	,,
14	222	,,	उड़ीसा में कटक के प्रदीप पत्तन तक एक नई रेलवे लाइन के निर्माण की अविलम्बनीय आवश्यकता ।	,,
14	223	श्री धीरेश्वर कलिता	रेलवे की बड़ी लाइन की योगीधोपा से तिरसुकिया (एन० पी० रेलवे) तक बढ़ाना ।	,,
14	224	,,	गोहाटी से तिरसुकिया (एन० पी० रेलवे) तक वैकल्पिक रेलवे लाइन बनाना ।	,,
14	225	,,	योगीघोपा को पंचरत्न के साथ मिलने तथा बड़ी लाइन को बढ़ाने के लिये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर रेल के पुल का निर्माण ।	,,

14	226	श्री श्रीधर बेहेरा	कटक जिले में केन्द्रपाड़ा रोड रेलवे स्टेशन को केन्द्रपाड़ा नगर से मिलाने वाली नयी रेलवे का निर्माण न करना ।	,,
14	227	,,	दैतारी खान को प्रदीप बन्दरगाह से मिलाने वाली नयी रेलवे लाइन का निर्माण न करना ।	,,
14	228	,,	खुर्दा रेलवे स्टेशन को फूलबनी जिले में से होकर बौलंगीर रेलवे स्टेशन से मिलाने वाली रेलवे लाइन का निर्माण न करना ।	,,
14	229	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे में रूप्सा–बारीपुदा छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाने और उसे टाटा से रैरंगपुर रेलवे स्टेशन वाली बड़ी लाइन में मिलाने की आवश्यकता ।	,,
14	230	श्री यशन्त सिंह कुशवाह	मध्य रेलवे की छोटी लाइनों को बड़ी अथवा मीटर लाइनों में बदलने की आवश्यकता ।	,,
14	231	,,	भिण्ड से इटावा तक के रक्षायोग्य महत्वपूर्ण क्षेत्र को रेलवे लाइन द्वारा मिलाने की आवश्यकता ।	,,
14	235	श्री अ० दीपा	उड़ीसा में खुर्दारोड से बोलनगीर तक, बरास्ता दासपल्ला, पूर्णकिटार, बघियापाडा और तरावा रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
14	236	,,	अंगुल, बोंडा, अथमाल्लिक, पुलेश्वर, महानदी नदी, नेदीपुराना कटक, बानीघोखा तथा चरापद से होकर उड़ीसा में तालूच से बरहामपुर तक रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
14	242	श्री श्रीचंद गोयल	लुधियाना और जगाधरी के बीच नयी रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता जिससे कि चण्डीगढ़ मुख्य रेल मार्ग पर हो जाये ।	,,
14	243	,,	दिल्ली में वृत्ताकार रेलवे लाइन के निर्माण में विलम्ब ।	,,

14	244	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	कोटा से चित्तौड़ तक नयी लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	100 रुपया
14	245	,,	बाटा से शाहबाद तक नई लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
14	246	,,	कोटा से अजमेर तक नयी लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
14	247	,,	कोटा बूंदी देवली टोंक से निवाई तक नयी लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
14	248	,,	सवाई माधोपुर से शिवपुरा तक नयी लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
14	250	श्री क० मि० मधुकर	समस्तीपुर जंक्शन से नरकटियागंज तक बड़ी लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
14	251	,,	हाजीपुर से भैसा-लोटन तक बरास्ता लालगंज साहिब गंज तथा गोविन्दगंज छोटी लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
14	265	श्री अब्राह्म	कोट्टयम से मधुरिया तक, बरास्ता कोंकुलम और कुलदी नई लाईन बिछाने की आवश्यकता ।	,,
14	266	,,	एरणाकुलम से तिवेन्द्रम तक, बरास्ता कोट्टयमक्विलोन मीटर लाइन को बड़ी में बदलने की आवश्यकता ।	,,
14	267	,,	एरणाकुलम से क्विलोन तक, बरास्ता अल्ले पी, एक नई लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	,,
15	273	श्री क० प्र० सिंह देव	दक्षिण पूर्व रेलवे के गढ़ ढेंकनाल स्टेशन पर यात्रियों तथा अन्य रेलवे प्रयोक्ताओं को सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
15	274	श्री शिकरे	करचोरम तथा वासकोडगामा के वर्तमान रेलवे स्टेशनों का नवीकरण करने की आवश्यकता ।	,,
15	275	डा० रानेन सेन	पूर्व रेलवे के बनगांव सैक्शन में रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,

15	276	"	पूर्व रेलवे से राणाघाट-बनगांव लाइन पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	"
15	277	"	बारासत-हसनाबाद लाइन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता ।	"
15	278	"	पूर्व रेलवे के बनगांव नगर को बनगांव स्टेशन के दक्षिण में स्थित डाकपारा, नयागोपालगंज गांवों से मिलाने के लिये एक पैदल ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	"
15	279	"	निर्गिनशल रोड, दक्षिण काजीपाड़ा के दो छोरों को को मिलाने के लिये, जहां सड़क बारासत हसनाबाद लाइन से मिलती है, एक रेलवे फाटक (लेवल क्रासिंग) के निर्माण की आवश्यकता ।	"
15	280	"	बारासत-हसनाबाद लाइन पर उत्तर तथा दक्षिण काजीपाड़ा, बारासत के बीच एक हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	"
15	281	"	पूर्व रेलवे बांगांव सैक्शन में ठाकुरनगर स्टेशन के निकट ठाकुरनगर मुख्य मार्ग से नोआडाग्राम, दिघा, सिंगजोल तथा अन्य ग्रामों की ओर जाने वाली सड़क पर के० एम० 63 (पोस्ट संख्या 63/12) पर रेलवे फाटक बनाने की आवश्यकता ।	"
15	282	"	तीन हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता, अर्थात पूर्व रेलवे की बारासत-हसनाबाद लाइन पर एक हरुआ रोड तथा मालतीपुर के बीच कांकरा रोड में, दूसरा चम्पापुकर तथा बसीरहाट स्टेशनों के बीच ढाबला में तथा तीसरी उत्तर तथा दक्षिण काजीपुर के बारासत स्थान पर	"
15	283	श्री स० कुंडू	जलेश्वर रेलवे स्टेशन पर उच्च श्रेणी का प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता ।	"

15	284	श्री सं० कुंडू	जलेश्वर रेलवे स्टेशन पर तीसरी श्रेणी के मौजूदा प्रतीक्षालय की दशा को सुधार ने आवश्यकता ।	100 रुपया
15	285	,,	जाजपुर रेलवे स्टेशन पर पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालयों को दशा को सुधारने की आवश्यकता ।	,,
15	286	,,	जाजपुर रेलवे स्टेशन पर डी-लक्स गाड़ियों को ठहराने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	
15	287	,,	हावड़ा रेलवे स्टेशन पर तीसरे, दूसरे तथा पहले दर्जे के प्रतीक्षालयों की दशा सुधारने में असफलता ।	,,
15	288	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे के बालासोर स्टेशन पर दो ऊपरी पुलों को मिलाने में असफलता ।	,,
15	289	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे के कटक तथा बालासोर स्टेशनों पर मौजूदा प्रतीक्षालयों की दशा सुधारने में असफलता ।	,,
15	290	,,	बालासोर रेलवे स्टेशन पर केंटीन तथा भोजन व्यवस्था में सुधार करने की असफलता ।	,,
15	291	,,	रूप्सा-बारिपदा छोटी लाइन पर गाड़ियों के समय में सुधार करने में असफलता ।	,,
15	292	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे के कटक रेलवे स्टेशन के दक्षिण की ओर सिगनल केबिन के निकट कटक भुवनेश्वर सड़क के रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल अथवा भूमिगत पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	295	श्री सेक्वीरा	रेलवे बोर्ड की उपयोगिता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
1	305	श्री नम्बियार	सभी कर्मचारियों को, चाहे वे 'लगातार' ड्यूटी दें अथवा 'सविराम' ड्यूटी दें रात्रि ड्यूटी भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	306	,,	सभी परिचालन कर्मचारियों को निरन्तर रात्रि ड्यूटी देने के कारण आंखों की खराबी के	,,

			मामलों में वेतन-सुरक्षा की गारंटी देने की आवश्यकता ।	,,
1	307	,,	डीजल इंजनों के प्रयोग के कारण 'लोको शैडों', में सभी फालतू कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने की आवश्यकता ।	,,
1	308	,,	स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, ड्राइवरों, फायरमैनों, कैबिनमैनों, शंटमैनों, गैसमैनों, आदि परिचालन कर्मचारियों के लिये, जो परिचालन प्रयोजनों के लिये अत्यावश्यक है, और अधिक क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	309	,,	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पांच वर्ष की सेवा पूरी करने और न्यूनतम आवश्यक परीक्षा पास करने पर उन्हें तृतीय श्रेणी में पदोन्नति देने की प्रक्रिया को व्यवहार में लाने की आवश्यकता ।	,,
1	310	,,	दक्षिण रेलवे में तेलीचेरी और मैसूर के बीच नई लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	,,
1	311	श्री नम्बियार	नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित आधार पर रोजगार देने और एक वर्ष की सेवा के बाद वरिष्ठता मात्र के आधार पर रोजगार की गारन्टी देने की आवश्यकता ।	,,
1	312	,,	1-4-1957 से 1-10-1959 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों की पेन्शन में मंहगाई वेतन शामिल करने की आवश्यकता चूंकि सरकार द्वारा मंहगाई वैतन निर्धारित करने में हुए विलम्ब से उनके जीवन भर के पेंशन लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।	,,
1	321	,,	जिन कर्मचायों को होस्टल में एक कमरे वाली जगह दी हुई है उनको मकान किराया भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,

1	322	श्री नम्बियार	दक्षिण रेलवे में तिरुच्चिनापल्ली जंक्शन से मद्रास तक और वापसी यात्रा के लिये नं० 33 इरोद एक्सप्रेस में सीधा जाने वाला डिब्बा लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपया
1	223	,,	गूटी यार्ड (दक्षिण रेलवे) में रुके हुए मालगाड़ी के डिब्बों में की गयी चोरी के बारे में प्राप्त सूचना की जांच करने की आवश्यकता ।	,,
1	324	,,	बम्बई से सीधे कोचीन तक, बरास्ता अरकोणम, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता ।	,,
1	325	,,	वैस्ट कोस्टएक्सप्रेस (दक्षिण रेलवे) के समय को बदलने की आवश्यकता जिससे कि उसके साथ बम्बई से मंगलौर जाने वाला डिब्बा लगाया जा सके ।	,,
1	331	,,	"चितरंजन रेल इंजन कारखाना श्रमिक संघ" को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
1	332	,,	"दक्षिण रेल कर्मचारी संघ" को मान्यता देने की आवश्कता ।	,,
1	333	,,	किराये और भाड़े को बढ़ाने के भंयकर परिणाम और उपयुक्त तथा दक्ष प्रबन्ध और रेल व्यवस्था के पूर्व उपयोग द्वारा आय को बढ़ाने के वैकल्पिक उपाय करना ।	,,
1	334	श्री मंगलाथुमाडोम	प्रसासनिक व्यय कम करने की आवश्यकता ।	,,
1	335	,,	दुर्घटनायें न होने देने के लिये तुरन्त एवं प्रभावी प्रसासनिक उपाय करने की आवश्यकता ।	,,
1	336	,,	रेलवे प्रशासन के कार्य में सुधार की आवश्यकता ।	,,
2	339	,,	एरणाकुलम—तिवेन्द्रम लाइन को दोहरा करने के लिये सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,

2	340	,,	एरणाकुलम—तिवेन्द्रम मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की व्यवहार्यता ।	,,
4	343	श्री सेक्वीरा	अन्य प्रकार से बचत करके मंजूरी में वृद्धि न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
4	344	,,	रेलवे सेवा आयोगों को मिलाकर एक ही आयोग बनाने, जिसकी कई शाखायें हों, की आवश्यकता ।	10,00,000 रुपये
4	345	श्री नम्बियार	नैमित्तक श्रमिकों को छुट्टी जाने पर पास, भविष्य निधि आदि सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	346	,,	रेलवे में लगे प्रत्येक नैमित्तिक श्रमिक को कम से कम 4 रुपया प्रतिवेदन मजूरी देने की आवश्यकता ।	,,
4	347	श्री चक्रपाणि	दक्षिण रेलवे में पट्टांबि रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों और डाक गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
4	350	श्री नम्बियार	हुबली से दक्षिण रेलवे में अधिकारियों के तबादले के लिए दक्षिण मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा निरन्तर इन्कार किया जाना तथा उन्हें अपने यहां रखने के लिये दक्षिण रेलवे द्वारा उपेक्षा बरतना ।	,,
4	351	,,	दक्षिण मध्य रेलवे को दिये गये डिवीजनों के दक्षिण रेलवे में जाने की इच्छा व्यक्त करने वाले कर्मचारियों को खपाने के हेतु उनके लिये दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा 2-10-1966 से रिक्त होने वाले स्थानों को आरक्षित करने में असफलता ।	,,
4	352	,,	जब पति-पत्नी दोनों ही नौकरी पर लगे हों और उनको केवल एक ही मकान अलाट किया हुआ हो तो उस अवस्था में पति अथवा पत्नी को मकान किराया भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,

4	354	श्री नम्बियार	जलपान गृहों तथा भोजन कारों में भोजन का मूल्य कम करके 15-5-1967 के स्तर पर लाने की अविलम्ब आवश्यकता	100 रुपये
4	355	,,	दक्षिण रेलवे में प्लेटफार्मों तथा जलपान गृहों में "कमीशन ब्रियरर्स" तथा "कमीशन वेंडिंग" व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
4	356	,,	रेलवे कार्यालयों, कर्मशालाओं, लोको शैडों तथा डिपुओं में आपातकालीन स्थिति के पूर्व के काम के घंटे फिर से लागू करने की आवश्यकता।	,,
4	357	,,	डिवीजनों में पर्सोनल ब्रांच के कार्य का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता।	,,
5	358	श्री सेक्वीरा	मितव्ययता के लिये उपाय न करना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
5	359	श्री नम्बियारा	दक्षिण रेलवे में ताम्बरम स्थित वर्क्स ब्रांच से छंटनी किये गये नैमित्तिक श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने की आवश्यकता।	100 रुपये
5	360	,,	दक्षिण रेलवे में गोल्डन राक स्थित बिजली विभाग से छंटनी किये गये नैमित्तिक श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने की आवश्यकता।	,,
5	361	,,	दक्षिण रेलवे में लगी महिला नैमित्तिक श्रमिकों को कम से कम 2 रुपये प्रतिदिन मजूरी देने की आवश्यकता।	,,
5	362	,,	पुल में पुनः गर्डर डालने वाले दक्षिण रेलवे श्रमिकों को अधिक मजूरी की आवश्यकता।	,,
5	363	,,	सभी रेलवे लोको शैडों और डिपुओं को फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता।	,,

5	364	,,	लोको शैडो में 1962 की प्रति इंजन निर्धारण के अनुसार, अनुरक्षण और मरम्मत के लिये पर्याप्त कर्मचारियों के दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
5	365	,,	लोको कारीगरों के लिये बी 1, डाक्टरी परीक्षा लागू करना और सभी के लिये बी 2 परीक्षा जारी रखना ।	,,
5	366	श्री वेणी शंकर शर्मा	सागर स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालय और प्लेटफार्म के निर्माण में धन का दुरुपयोग ।	,,
5	367	,,	सागर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
5	368	श्री कंवरलाल गुप्त	दिल्ली में ऊपरी पुलों के निर्माण की आवश्यकता ।	
5	370	श्री नम्बियार	दक्षिण रेलवे में सेन्ट्रल वर्कशाप, गोल्डन राक तथा पेरंबूर में प्रोत्साहन योजना की असफलता तथा बैगनें के निर्माण में हुई भारी कठिनाई	,,
5	371	,,	दक्षिण रेलवे में गोल्डन राक तथा पेरम्बूर कर्मशाला में प्रोत्साहन योजना लागू करने के कारण फालतू किये गये प्रवीण श्रमिकों के सभी रिक्त स्थानों को भरने की आवश्यकता ।	,,
5	372	,,	सभी कर्मशालाओं तथा लोको शैडों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा बेसिक ट्रेड्समैनों को तीन साल की लगातार सेवा के बाद पदोन्नत करने की आवश्यकता ।	,,
5	373	श्री मंगलाथुमाडोम	दुर्घटनायें रोकने के लिये अनुरक्षण में सुधार किये जाने की आवश्यकता ।	,,
6	374	श्री नम्बियार	दक्षिण रेलवे के डिपोस्टोर क्लर्कों के अक्तूबर, 1966 से बढ़ाये गये काम के समय को प्रति सप्ताह 42½ घंटे से कम करके पूर्ववत 36 घंटे करने की आवश्यकता ।	,,

6	375	श्री नम्बियार	पदोन्नति पाने के हकदार फायरमैन II को पदोन्नति न दिये जाने पर उनके द्वारा फायरमैन I के रूप में कार्य करने की असमर्थता व्यक्त करने पर उनके बड़े पैमाने पर निलम्बन के परिणामस्वरूप दक्षिण रेलवे में गम्भीर स्थिति पर चर्चा करने की आवश्यकता।	100 रुपया
6	376	,,	रेलवे इंजन परिचालक कर्मचारियों को इंजन फुट प्लेट पर 12 घंटे और 24 घंटे तक लगातार काम करने के लिये बाध्य करने पर दक्षिण रेलवे में काम की दशा अत्यन्त असुरक्षित होना।	,,
6	377	,,	दक्षिण रेलवे के रेलवे इंजन विभाग के फायरमैनों को स्थायी घोषित करने में विलम्ब।	,,
6	378	,,	आठ घंटे से अधिक समय तक किये गये काम के लिये लोको शैडों के कारीगरों को पूरा समयोपरि भत्ता देने की आवश्यकता।	,,
6	379	,,	लोको शैडों के कारीगरों को ऐसी पदोन्नतियां देने के मामले में, जिनके वे हकदार हैं शंकरशरण एवार्ड को कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	,,
6	380	,,	लोको शैडों के सभी श्रमिकों को अत्यावश्यक कर्मचारी मानने तथा उन्हें ऐसे कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी सुविधायें वर्दी सहित, दिये जाने की आवश्यकता।	,,
6	381	,,	जी० टी० एक्सप्रेस सदर्न एक्सप्रेस तथा डिलक्स गाड़ियों की भोजन कारों में काम करने वाले कर्मचारियों का काम का समय।	,,
6	382		भोजन कारों में काम करने वाले कर्मचारियों को 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करने के बाद एक पत्री दिन का विश्राम दिये जाने की आवश्यकता।	,,

6	383	श्री नम्बियार	भोजन कार के कर्मचारियों को नियमित रूप से गर्म वर्दियां देने की आवश्यकता ।	,,
6	384	,,	वर्दियों के लिए कारखाने का बना अथवा हथ-करघों का बना कपड़ा दिया जाने और खादी का प्रयोग बन्द किये जाने की आवश्यकता ।	,,
6	385	,,	लोको संचालक कर्मचारियों के काम के समय को 8 घण्टे करने की आवश्यकता ।	,,
6	386	,,	लोको संचालक कर्मचारियों को इंजन के फुट प्लेट पर 12 घण्टे से अधिक काम न करने की आव-श्यकता ।	,,
6	387	,,	लोको संचालक कर्मचारियों के इंजन की देख-रेख करने के काम के घण्टों को निर्धारित करने की आवश्यकता ।	,,
7	389	श्री सेक्वीरा	खरीद तथा वितरण पर नियन्त्रण करके और बिक्री (डिसपोजल) मूल्य अधिक रखकर मित-व्ययता करते की आवश्यकता ।	25,00,000 रुपये
7	390	श्री कंवर लाल गुप्त	भारी मात्रा में कोयले की चोरी रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपया
7	391	श्री नम्बियार	इंजनों के लिए अच्छी किस्म का कोयला दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
7	392	,,	इंजनों में अधिक कोयले के प्रयोग के कारण ड्राइवरों को दण्ड दिया जाना बन्द करने की आवश्यकता ।	,,
8	393	श्री सेक्वीरा	वस्तुओं के खोने और उनकी क्षति को कम करके मितव्ययिता करने की आवश्यकता ।	50,00,000 रुपये

8	394	श्री सेक्वीरा	'लेखन सामग्री' तथा 'कपड़ा और सामान' शीर्षकों के अन्तर्गत, वस्तु-सूची बनाकर और खरीद पर नियन्त्रण करके, मितव्ययिता करने की आवश्यकता।	23,00,000 रुपये
8	395	श्री कंवर लाल गुप्त	रेलवे टिकट छापने में अधिक लागत आना।	100 रुपया
9	397	श्री सेक्वीरा	रेलवे में विभागीय जलपान व्यवस्था।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
9	399	श्री कंवर लाल गुप्त	रेलवे द्वारा रखे गये अधिवक्ताओं द्वारा मुकद्दमों की उचित पैरवी न करना।	100 रुपये
10	402	,,	चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को सुविधायें देने विशेषकर उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलने की आवश्यकता।	,,
10	405	श्री नम्बियार	दक्षिण रेलवे में गोल्डन राक की रेलवे कालोनी तथा पैरम्बूर में रेलवे क्वार्टरों, सड़कों और अन्य इमारतों की मरम्मत की आवश्यकता।	,,
10	406	,,	गोल्डन राक (दक्षिणी रेलवे) को रेलवे कालोनी के सभी 'सी' टाइप और 'वी' टाइप क्वार्टरों में बिजली देने की आवश्यकता।	,,
10	407	,,	रेल कर्मचारियों को खाली पड़े स्थानों पर कच्चे मकान बनाने की अनुमति देने की आवश्यकता।	,,
10	408	,,	दक्षिण रेलवे में रेलवे की जगह में इस समय कच्चे मकानों में रह रहे रेल कर्मचारियों को उन मकानों से निकालना।	,,
10	409	,,	दक्षिण रेलवे में गोल्डन राक, पैरम्बूर, मदुरै और ओलवक्कोड में रेलवे के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डाक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों	

			की व्यवस्था की आवश्यकता ।	,,
10	412	,,	अधिक पूंजी लगी अस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास निधि में विनियोग ।	,,
12	413	,,	लाभांश का हिसाब अधिक पूंजी पर नहीं बल्कि वास्तविक पूंजी पर लगाने की आवश्यकता ।	,,
14	416	श्री रामसिंह अयरवाल	पूर्व रेलवे के मन्दार हिल स्टेशन से संथिया रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
14	418	श्री कंवर लाल गुप्त	दिल्ली में रिंग रेलवे के निर्माण में विलम्ब ।	,,
14	419	,,	उत्तर प्रदेश में गजरौला जंक्शन से चन्दौसी तक सीधी नयी लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
14	420	,,	दिल्ली से उत्तर प्रदेश से बुलन्दशहर तक सीधी नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
14	423	श्री नम्बियार	कन्याकुमारी को तिन्नेवेल्लित तथा त्रिवेन्द्रम से मिलाने की आवश्यकता ।	,,
15	426	श्री कंवर लाल गुप्त	राजधानी में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए और क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	,,
15	427	,,	दिल्ली की रेलवे बस्तियों में सुविधायें उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	,,
16	432	श्री नम्बियार	1-4-1957 से पहले सेनानिवृत्ति हो चुके सभी व्यक्तियों को शीघ्र अनुग्रहात पेंशन देने की आवश्यकता ।	,,

17	433	श्री नम्बियार	सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण का राजस्व आरक्षित संचित निधि में समायोजन करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
1	434	श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	दक्षिण मध्य जोन के खण्डों का समायोजन करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
1	435	,,	रेलवे बोर्ड समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
1	436	श्री जार्ज फरनेन्डीज़	सदस्यों, निदेशकों, संयुक्त निदेशकों, उप-निदेशकों सहायक निदेशकों और निजी सचिवों की संख्या कम करने की आवश्यकता ।	25,00,000 रुपये
1	437	,,	रेलवे अधिकारियों के लिए सेलून डिब्बों में यात्रा करने की सुविधा समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
1	438	श्री प्र० न० सोलंकी	सवालिया से बालसिनोर तक रेलवे लाइन बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपया
1	439	,,	कपादवंज से मोदासा तक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	440	,,	व्यावसायिक क्लर्कों को अत्यावश्यक कर्मचारी घोषित करने की आवश्यकता ।	,,
1	451	श्री जार्ज फरनेन्डीज़	रेलवे के कार्यचालन में सुधार लाने में असफलता ।	,,
1	452	,,	रेलवे में भ्रष्टाचार समाप्त करने में असफलता ।	,,
1	453	,,	रेल दुर्घटनायें रोकने में असफलता ।	,,
1	455	श्री भोला नाथ	अलवर शहर के रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	456	,,	पश्चिमी रेलवे में अलवर जिला क्षेत्र में फुलेरा-रेवाड़ी लाइन पर कुण्ड स्टेशन के बाद खातुबास पर फ्लेग स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	457	,,	महुआ स्टेशन (अलवर) के लिए महुआ गांव के पास लेबेल क्रासिंग बनाने की आवश्यकता।	,,
1	458	,,	भरतपुर और अलवर को मिलाने वाली एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण की आवश्यकता।	,,
1	459	,,	दिल्ली और अहमदाबाद को मिलाने वाली मौजूदा मीटर गेज लाइनों के स्थान पर बड़ी लाइन बनाने की आवश्यकता।	,,
2	466	श्री जार्ज फरनेन्डीज़	निदेशकों, संयुक्त निदेशकों, उपनिदेशकों और सहायक निदेशकों के पदों की संख्या कम करने की आवश्यकता।	100,00,000
2	467	,,	प्रचार पर व्यय कम करने की आवश्यकता।	,,
2	468	,,	उचंती खातों की राशि कम करने की आवश्यकता।	,,
2	469	श्री कंवर लाल गुप्त	शक्ति नगर सब्जी मण्डी, दिल्ली, के निकट एक रेलवे स्टेशन बनाने में असफलता।	100 रुपया
2	470	श्री जार्ज फरनेन्डीज़	बम्बई में मंगलूर तक कोंकण रेलवे का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
3	472	श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	सम्बद्ध लाइनों को अपने अधिकारों में लेना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
3	473	श्री जार्ज फरनेन्डीज़	गैर-सरकारी रेल-कम्पनियों को दी जाने वाली राज सहायता बन्द करना।	23,15,000
3	474	,,	शाखा लाइनों के कार्यचालन में मितव्ययता लाने की आवश्यकता।	100 रुपया
5	486	श्री कंवर लाल गुप्त	दिल्ली की रेलवे कालोनियों और विशेषकर पहाड़गंज तथा सब्जी मण्डी में नागरिक सुविधाओं	

5	486	श्री कंवरलाल गुप्त	तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने और राजधानी में रेलवे कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपया
5	487	,,	कुतुब रोड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक रेलवे की भूमि में बनी सभी झुग्गियों और शक्ति नगर से अन्धा मुगल तक रेलवे लाइन के आस-पास बनी झुग्गियों को गिराना तथा झुग्गी निवासियों को अन्यत्र जगह देने की आवश्यकता ।	,,
14	506	,,	वृताकार (रिंग) रेलवे के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
14	507	,,	शक्ति नगर से सराय रोहिल्ला तक तीन ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
14	508	,,	पुल बंगश, सदर बाजार, दिल्ली के पुल को चौड़ा करने की आवश्यकता ।	,,
1	513	श्री प्र० न० सोलंकी	अखिल भारतीय वाणिज्यिक क्लर्क संस्था को मान्यता न देना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
1	514	श्री सोममुन्दरम	रामेश्वरम एक्सप्रेस में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए मद्रास (एगमोर) से करैकुडी तक. बरास्ता पट्टकोट्टई. एक अतिरिक्त सीधा डिब्बा लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपया
1	515	,,	दक्षिण रेलवे में नियोजित महिला नौमीन्तक श्रमिकों को तीन रुपये प्रति दिन तथा पुरुष नैमिन्तिक श्रमिकों को चार रुपये प्रति दिन देने की आवश्यकता ।	,,

1	516	,,	दक्षिण रेलवे में मम्बालम रेलवे स्टेशन पर लेबल क्रासिंग पर ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	517	,,	मद्रास से तूतिकोरिन तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाईन में बदलने की आवश्यकता ।	,,
1	518	,,	तीसरी श्रेणी को यात्रियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
1	519	,,	मद्रास से तिरुचिरापल्ली तक दोहरी लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	520	,,	गोल्डन राक वर्कशाप के फालतू कर्मचारियों को दक्षिण रेलवे में खपाने की आवश्यकता ।	,,
1	521	,,	रेलवे भोजन कारों में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को स्थायी रूप में नियुक्त करने तथा उन्हें नियमित वेतन–मान तथा सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
1	522	,,	प्रथम श्रेणी के डिब्बों में नियुक्त सभी कर्मचारियों (अटेंडर) को स्थाई बनाने तथा उन्हें नियमित वेतनमान तथा सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
1	523	,,	रेलवे कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष निश्चित करने और 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति की योजना समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
1	524	,,	गोल्डन-राक वर्कशाप के कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में क्वार्टर देने की आवश्यकता ।	,,

1	525	श्री सोमसुन्दरम	गोल्डन-राक वर्कशाप में कर्मचारियों को दण्ड देने के लिए राजपत्रित अधिकारियों की, दण्ड देने वाले प्राधिकारियों के रूप में, नियुक्ति की आवश्यकता ।	100 रुपया
1	526	,,	दक्षिण रेलवे की गोल्डन-राक वर्कशाप में तृतीय श्रेणी के 50 प्रतिशत रिक्त पद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा भरे जाने की आवश्यकता ।	,,
1	527	,,	दक्षिण रेलवे में, मद्रास, तिरुचिरापल्लि और गोल्डन-राक के लेखा विभागों में द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति किये जाने की आवश्यकता ।	,,
1	528	श्री भोलानाथ	रिवाड़ी तथा बान्दीकुई के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 161 को जयपुर तक बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
1	529	श्री प्र० न० सोलंकी	वाणिज्यिक तथा माल-वहन कर्मचारियों में क्वार्टरों का ठीक अनुपात के अनुसार वितरण ।	,,
1	530	,,	वाणिज्यिक तथा माल-वहन शाखाओं के कर्मचारियों के वेतन-मानों में असमानता समाप्त करने की आवश्यकता ।	..
1	531	..	सेफटी मूवमेंट पर्सनल, असिस्टेन्ट लेबर वैलफेयर और फ्लड आर्गेनाइजेशन इन्स्पैक्टरों के पद समाप्त करने का प्रश्न ।	..
1	532	..	चीफ रिजर्वेशन इन्स्पैक्टरों का पद समाप्त कर इस कार्यालय को चीफ़ बुकिंग क्लर्क के अधीन रखने की आवश्यकता ।	..

1	533	..	वाणिज्यिक क्लर्क को अत्यावश्यक कर्मचारी मानने और उन्हें अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों से अधिक वेतन देने की आवश्यकता ।	..
2	534	,,	दक्षिण रेलवे में पट्टकोट्टई से थांजाबुर तक एक नई लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता ।	..
2	535	,,	दक्षिण रेलवे में पट्टकोट्टई से वृधाचलम तक बरास्ता मन्नरगुडी तथा कुम्बकोनम् नई रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
2	536	श्री क०प्र० सिंह देव	दक्षिण-पूर्व रेलवे में, उड़ीसा में, तलचर तथा खुदरा रोड जंक्शन के बीच लाइन को दोहरा बनाने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता ।	,,
2	537	..	दक्षिण-पूर्व रेलवे में तलचेर से खुदरा रोड जंक्शन तक रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का व्यवहार्यता एवं लागत अध्यान ।	..
4	538	श्री सोमसुन्दरम	रेलवे कार्यालयों, कारखानों तथा डिपुओं में आपात-काल के पहले के काम के घण्टे फिर से लागू करने की आवश्यकता ।	..
6	539	..	रेलगाड़ी देर से पहुँचने के कारण गोल्डन-राक वर्कशाप के कर्मचारियों के देर से काम पर आने के कारण उनके वेतन से कटौती करने की प्रक्रिया समाप्त करने की आवश्यकता ।	..

10	540	श्री सोमसुन्दरम	दुर्घटनाग्रस्त सभी कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के क्षतिपूर्ति की पूरी राशि देना और टाली जा सकने वाली और टाली न जा सकने वाली दुर्घटनाओं में अन्तर को समाप्त करना ।	100 रुपया
10	541	,,	दक्षिण रेलवे के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डाक्टर नर्सें और अन्य आवश्यक कर्मचारी रखने की आवश्यकता ।	,,
10	542	,,	रेलवे कालोनी गोल्डन–राक तिरुचिरापल्लि (दक्षिण रेलवे) के क्वार्टरों में वार्षिक मरम्मत न करना ।	,,
15	543	श्री क० प्र० सिंह देव	दक्षिण-पूर्व रेलवे के तलचेर. गढ़ ढेंकनाल तथा नेरगुन्डी स्टेशनों पर विश्रामगृहों के निर्माण की की आवश्यकता ।	,,
15	544	,,	राउरकेला से पुरी तक बरास्ता खड़गपुर. एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की व्यवहार्यता ।	,,
4	545	श्री ज्योतिर्मय वसु	स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए उन स्टेशनों पर होने वाली आय के अनुपात में पर्याप्त धन आवंटित न किया जाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
4	546	,,	अनेक स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छत डालने की असफलता ।	,,
4	547	,,	पूर्व रेलवे के दक्षिण सैक्शन में बारुईपुर में एक उपयुक्त ऊपरी पुल बनाने में असफलता ।	100 रुपया
4	548	,,	पूर्व रेलवे के दक्षिण सैक्सन में बालीगंज तथा अन्य स्टेशनों पर पेशावघर तया शौचालय बनाने में असफलता ।	,,

4	549	,,	पूर्व रेलवे के दक्षिण सैक्शन में पूरे साइज की उपनगरीय 'ई० एन० यू०' गाड़ियां चलाने तथा चार डिब्बों वाली 'ई० एन० यू०' गाड़ियों को जारी रखने में असफलता ।	,,
4	550		डायमण्ड हार्बर तथा बसुलडंगा स्टेशनों के बीच एक स्टेशन बनाने में असफलता ।	,,
1	564	श्री राज धरंगधरा	झुन्ड-काण्डला रेलवे लाइन के धरंगधर-झुण्ड सैक्शन को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
1	565	,,	मोरवी-शापुर-सुस्वाव-हवाड रेलवे लाइन सम्बन्धी पुराने करार और मंजूरी पर अमल न करना ।	,,
1	566	,,	गुजरात में ओखा, सिका, जोडिया और नवलखी पत्तनों से, तट से दूर की भूमि तक सीधे पहुंचने के लिए जामनगर-जोडिया-पिपलिया-शापुर-सुस्वाव-हवाल्ड रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	567	,,	कूण्डा और निमकनगर के बीच 'लेवल-क्रासिंग' बनाने में असफलता ।	,,
14	568	श्री भारत सिंह चौहान	दोहाद से खण्डवा तक नई लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
14	569	,,	दोहाद से इन्दौर तक नई लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

कार्य मन्त्रणा समिति
Business Adviisory Committee

तीसरा प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार. 21 जून. 1967 31 ज्येष्ठ. 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, June 21, 1967/ Jyaistha 31, 1889 (Saka).